प्रथम अध्याय

प्राथमिक शिक्षा :–

आधुनिक मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने अपने शोध कार्य द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया है कि औसत बालक पांच वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर स्पष्ट रूप से पूरे–पूरे वाक्य बोल सकता है, वस्तुओं के स्थूल संबंधों को समझ सकता हैं और उसका स्नायविक तंत्र का इतना विकास हो जाता है कि वह लिखने के उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। वह मानसिक कार्यो में भी आसानी से ध्यान केन्द्रित कर सकता है। **गेरस और पियाजे** के अनुसंधानों का निष्कर्ष भी इस धारणा का अनुमोदन करता है। प्राथमिक शिक्षा एक निरन्तर विकास का परिणाम हैं।

प्राथमिक शिक्षा की पृष्ठभूमि :–

(वैदिक काल) :–

प्राथमिक शिक्षा का इतिहास इतना ही पुराना है जितना मानव की सभ्यता का। वैदिक काल को इतिहास का प्राचीनतम काल माना जाता है। इस युग में वर्णाश्रम व्यवस्था का अभ्युदय इस तथ्य की और संकेत करता है कि मानव आरम्भ से ही को जीवनोपयोगी मानकर चलता रहा है। वैदिक काल से प्रारम्भिक शिक्षा के स्वरूप का ज्ञान गुरूकलों के वर्णन से मिलता है। विद्यालय संस्कार **'ओम नमःसिद्धम'** से कराया जाता है। उपनयन संस्कार की आयु 8,11,12 वर्ष थी। वेद, वेदांग, व्याकरण, साहित्य, छंद, निरूक्ति, कल्प, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा आदि पाठ्यक्रम के विषय थे। शिक्षण पद्धति में रटन्त प्रणाली के साथ–साथ करके सीखने पर बल दिया जाता था, अनुशासन मनोवैज्ञानिक था। शुल्क गुरू दक्षिणा के रूप मे लिया जाता था। सह शिक्षा के भी वर्णन मिलते हैं। शिक्षा का सत्र श्रवण मास की पूर्णिमा को आरम्भ होता है और पौष माह में षट्मासिक उत्सर्जन होता था। 450 ई.पू. शिक्षण पद्धति में अन्य प्रायोगिक क्रियाओं का समावेश हो था।

मुस्लिम युग :–

मुस्लिम युग में शिक्षा का उद्देश्य धर्म साधना रहा है, मदरसों मे वर्णज्ञान, प्रार्थना, धार्मिक शिक्षा, कुरान आदि को पढाया जाता है। मदरसे में प्रवेश लेने से पूर्व मफ्फलव रस्म जिसे बिस्मिल्लाह कहते है, की अदायगी करनी होती थी। मदरसो में प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था होती थी। उस समय उर्दू के साथ–साथ अरबी तथा फारसी भाषा को भी प्रचलन था। मकतबों में निशुल्क शिक्षा की व्यस्था थी।

बिट्रिश युग :–

बिट्रिश युग में कम्पनी शासन तक भारत में नवीन शिक्षा की और अपने कदम बढायें। कम्पनी सरकार तो शिक्षा के लिए उतनी उत्सुक नहीं थी, जितनें उत्सुक इसाई धर्म के प्रचारक थे। फिर भी 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारतवासियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। सन् 1822 मे भारत के गर्वनर **सर थामस मुनरो** ने प्राथमिक शिक्षा हेतु एक सर्वेक्षण कराया। 1854 में लार्ड मैकाले ने शिक्षा नीति की घोषणा की और उसके अनुसार शिक्षा का माध्यम अग्रेंजी रखा गया। उसने शिक्षा के माध्यम से भारत को बिट्रेश युग की बाबु पद्धति को नहीं छोड़ पाया।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का रूख :–

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में कम्पनी शासन का रूख विशेष उत्साहवर्धक नहीं है। बिट्रिश पार्लियामेट में 1813 में घोषणा की, जिसके अनुसार कम्पनी को भारत में शिक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया गया। कम्पनी ने 1 लाख रूपये शिक्षा के लिए स्वीकार भी किया। परन्तु 10 वर्षो तक धन राशि व्यय तक नहीं की गयी। 1854 ई. में शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का कार्य राज्यों एवं रियासतों को सौपा। इससे यह स्पष्ट है कि कम्पनी सरकार शिक्षा के प्रति उदासीन थी।

2. बिट्रिश काल में प्राथमिक शिक्षा :–

1859 ई. में कम्पनी शासन की समाप्ति के बाद भारत की राजसत्ता बिट्रिश सरकार के हाथों में आ गई। बिट्रिश सरकार द्वारा शिक्षा की व्यवस्था निम्न प्रकार से हुयी –

1. 1859 ई. में स्टेवली डिस्पैच ने स्वीकार किया कि शिक्षा के लिए और अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2. 1864 ई. लोकल सैंस एकट प्राथमिक शिक्षा के लिए पास किया गया।

3. रियासतों, राज्यों के प्राइवेट विद्यालयों में सरकारी कर्मचारियों के मातहत कामा करने लगें।

4. 1884 ई. में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय स्वराज्य को सौंप दी गई, परन्तु आर्थिक कठिनाईयों के कारण स्थानीय प्रशासन इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सका।

4. 1904 ई. में शिक्षा नीति का निर्धारण हुआ।

अनिवार्य शिक्षा के लिए किए गए प्रयत्न :–

समय–समय पर विभिन्न सुधारकों ने अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता अनुभव करते हुए इसके प्रसार पर बल दिया।

1. 1838 ई. में विलियम एडमस ने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के संचालन पर बहुत बल दिया।

2. 1852 ई. में कैप्टन विंगेट ने शिक्षा के लिए 5 प्रतिशत शिक्षा कर लगाया।

3. टी.सी. होप, जो गुजरात ने शिक्षा निरीक्षक थे, ने स्कूल खोलने के लिए कानून बनवाए।

4. 1880 ई. में बम्बई के सभी प्रान्तों के लिए शिक्षा नीति की घोषणा की गई।

5. 1918 ई. में प्रान्तीय परिषदों ने शिक्षा के सन्दर्भ में कानून पास किए।

6. हरटॉग कमेटी ने 1919 ई. में अपना अध्ययन आरम्भ किया और विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला।

7. भारत में 1939 से 1949 ई. तक प्रान्तीय शासन रहा हैं। प्रान्तीय सरकारें कांग्रेस के हाथों में आ गई और उन्होने गांवों में विद्या मंदिरों की स्थापना की।

8. सर जॉन सर्जेन्ट ने 1944 ई. में 40 वर्षीय शिक्षा योजना बनाकर दी। यह एक समय सम्बन्ध योजना थी राजनैतिक अव्यवस्था तथा स्वाधीनता आंदोलन के कारण ये योजना भी खटाई में पड़ गई। अतः यह देखा गया है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा सदैव ही उपेक्षित रहीं हैं।

प्राथमिक शिक्षा संरचना :–

वर्तमान में हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख दो रूप पाये जाते है–

1. प्राथमिक शिक्षा
2. बुनियादी शिक्षा

पहला स्वरूप शिक्षा का सामान्य स्वरूप कहलाता है इस स्वरूप में केवल कुशलता के लक्ष्य को पूरा करने वाली शिक्षा का विधान है। इसका उद्देश्य जॉन रस्किन के शब्दों में इस प्रकार है– शिक्षा से अभिप्रायः व्यक्तियों को उन बातों की शिक्षा देना नहीं है, जिन्हें वे नहीं जानते है। शिक्षा का अभिप्राय है, उनकों इस प्रकार का व्यवहार करने की शिक्षा देना जैसा है कि वे नहीं करते हैं।

हमारे देश में सामान्य शिक्षा का स्वरूप अलग–अलग नामों से अलग–अलग रूप में पाया जाता है कोठारी कमीशन ने इस विभिन्नता को दूर कर एकरूपता लाने का सुझाव दिया है, प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप अभी विस्तार नहीं हो पा सका है इसके विस्तार के लिए कोठारी कमीशन ने सुझाव प्रस्तुत किए। उनके अनुसार प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में उपयोगी नागरिक तथा उत्तरदायित्वूपर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना हैं।

प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं :–

संविधान प्राप्ति के पश्चात् अन्य समस्याओं की भांति हमारे विद्यालयों में समक्ष शिक्षा की समस्या भी थी। देश को पराधीनता से छुटकार मिलने के बाद यह आवश्यक हो गया था कि शिक्षा का पुर्नमूल्यांकन किया जाए। अतः मूल्याकंन के समय से सभी समस्याएं उपस्थित हुई जिसके कारण देश अशिक्षित रहा। देश के नवीन शिक्षा योजना का आरम्भ रहा। देश के नवीन शिक्षा योजना का आरम्भ होने पर भी संतोषजनक नहीं रही और इसके मूल में भी कतिपय कारण थे। इन सभी स्थितियों पर विचार करने पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याएं आई। ये समस्याएं कही न कही किसी रूप में आज भी विद्यमान है।

1. प्रशासनिक समस्याएं :–

भारत वर्ष में प्राथमिक शिक्षा का दायित्व पूर्णरूप में जिला पर और आंशिक रूप से राज्य प्रशासन पर है ये दोनों प्रशासन अपने–अपने ढंग से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था अपने क्षेत्र में करते हैं। राज्य और स्थानीय प्रशासन में प्रायः सह–सबन्धों का अभाव पाया जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी विद्यालयों की पूरी तरह न तो देखभाल करते है और न ही आवश्यकता समझते हैं।

2. विद्यालयों की व्यवस्था :–

संविधान की धारा 45 के अनुसार भारत में 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ऐसी व्यवस्था संविधान ने की है। लेकिन ये उद्देश्य विद्यालयों के पर्याप्त संख्या में व्यवस्थित न होने के कारण पूरा नहीं हो सका।

3. वित्त की व्यवस्था :–

भारत की भौगोलिक विभिन्नता, क्षेत्रफल जनसंख्या तथा भाषाई विभिन्नता की तुलना में शिक्षा–बजट बहुत ही कम हैं।

4. अध्यापकों की समस्या :–

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों की कुछ समस्याएं इस प्रकार है–

1. समानता की समस्या।
2. वेतन की समस्या ।
3. स्थानान्तरण एवं भाषायी समस्या।

5. पाठ्यक्रम की समस्या :–

हमारे विद्यालयों में व्यवस्थित पाठ्यक्रम का अभाव है, जिसका निरन्तर विकास किया जा रहा हैं।

6. साधनों की समस्या :–

प्राथमिक विद्यालयों में सामान्यतः बैठने के आसन, श्यामपट्ट, फर्नीचर तथा सहायक सामग्री का अभाव रहता हैं।

7. सहायक सेवाओं की समस्या :–

सहायक सेवाओं के अन्तर्गत मध्याह्य भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों तथा चिकित्सा सुविधाओं की अभाव रहता हैं।

8. स्थान की समस्या :–

प्राथमिक शिक्षा में विद्यालय भवन के स्थान की समस्या सदैव रहती हैं।

9. सार्वभौमिक शिक्षा के लिए कानून की शिथिलता :–

प्राथमिक शिक्षा की सफलता के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम एवं विधान तो बना दिए गए लेकिन उचित क्रियान्वयन नहीं हो रहा हैं।

10. अनुसंधान की समस्याएं :–

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान कार्यो का नहीं होना भी एक शैक्षणिक समस्या हैं।

प्राथमिक शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान :–

भारत में 1947 ई. से पूर्व बिट्रिश शासन द्वारा संचालित शिक्षा प्रणाली रही है। बिट्रिश युग में संघ शासन था सन् 1935 ई. के अधिनियम के अनुसार प्रान्तों में स्वशासन की स्थापना हो चुकी थी। सन् 1937 ई. में वर्धा योजना को सार्वभौमिक तथा निःशुल्क शिक्षा हेतु स्वीकृति दी गई थी। आजादी प्राप्त करने के बाद देश के लिए शिक्षा के विकास की समस्या हमारे समक्ष आई।

अनुच्छेद 45 :–

बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उपबन्ध राज्य इस संविधान के प्रारम्भ मे इस वर्ष की अल्पावधी के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ती तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।
इस अनुच्छेद में सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा, व्यवस्था करने का संकल्प किया गया है। यह अनुच्छेद संविधान का उल्लंघन नहीं करती एवं विद्यालयों को सरकार से अनुदान प्राप्त करेन का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

अनुच्छेद 30(1) के अनुसार सरकार अपना लक्ष्य सरकारी तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सहायता से प्राप्त कर सकती है।

राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार से शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

इस धारा में वर्णित उद्देश्यों के लिए राज्य वैधानिक आधार प्रस्तुत नहीं करता अतः पिछड़े वर्गो को विद्यालय संबंधी सुविधाओं को मिलने पर कानून उनकी सहायता नहीं कर सकता। इस धारा के अनुसार शैक्षिक तथा आर्थिक विकास राज्य की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। 1951 ई. में इस धारा में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि पिछड़े तथा निर्बल वर्गो के लिए आवश्यक प्रयत्न किए गए।

अनुच्छेद 29 व 30 :–

भारत का संविधान गणतांत्रिक है। इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को शैक्षिक विकास के समान अवसर प्रदान करने की घोषणा और व्यवस्था की गई है। यह घोषणा अनुच्छेद 29 व 30 में की गई हैं। इन अनुच्छेदों के अनुसार राज्य द्वारा घोषित अथवा राज्य–निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित ना रखा जायेगा।

अनुच्छेद 30 में कहा गया है– धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक लोगों व वर्गो को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

शैक्षिक अवसरों की समानता :–

भारतीय गणतंत्र में सभी धर्म, वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा के अवसरों को समानता का प्रावधान है, अर्थात् प्रत्येक जाति धर्म वर्ग यदि वह हिन्दू हो या मुसलमान, ब्राह्मण हो या जैन, अमीर हो या गरीब सभी को शिक्षा प्राप्ति का समान अधिकार एवं अवसर प्रदान किए गए है। शैक्षिक अवसरों की समानता की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में की गई।

अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा :–

देश की सम्पन्नता और विकास की स्थिति तथा सम्भव है जब देश की अधिकांश जनता शिक्षित हो और सम्पूर्ण देश में शिक्षा के समान अवसर हो। हमारे देश में आज भी अनुसूचित जातियों के लाखों लोग है जो अशिक्षा, अंधविश्वासों, उपेक्षित भावों से पीड़ित है यदि देश का समग्र विकास करना है तो इस उपेक्षित वर्ग को शिक्षित करना नितांत आवश्यक है। अतः अनुसूचित जातियों की शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना नितांत आवश्यक हैं।

संवैधानिक स्थिति के अनुसार धारा 341 और 342 में अनुसूचित जाति और आदिम जाति को पिछड़े वर्ग में स्वीकार किया गया है। शिक्षा की दृष्टि से अनुसूचित जाति के लोग पिछड़ रहे है और इस वर्ग को बड़े उपेक्षित भाव से देखा गया है। सन् 1936 से पूर्व इस वर्ग को नीचे समझकर अनेक नामों से पुकारा जाता था परन्तु 1936 के पश्चात् इसके लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति को अपनाया गया और इसके फलस्वरूप भारतीय संविधान में इनके लिए विशेष प्रावधान रखा गया। अनुसूचित जाति के विकास हेतु इनकी शिक्षा के लिये अनुच्छेद 29 में स्पष्ट किया गया कि राजकीय या राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा।

हमारा देश सामाजिक न्याय, देश में उपलब्ध प्रतिभाओं की खोज तथा उनके विकास पर बल देता है। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी सम्भव है जब सभी वर्गो की शिक्षा समानता के आधार पर हो। 'शिक्षा अवसरों की समानता ही एकमात्र वह दावा है जो एक ऐसे समाज के निर्माण का विश्वास दिलाती है जिसमें निर्बल व्यक्ति का शोषण रोका जा सके। अतः एक संतुलित शिक्षा व्यवस्था में, उन महत्वपूर्ण तत्वों को खोजने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है जिनके द्वारा शिक्षा में असमानताओं का जन्म होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है अनुसूचित जातियों की शिक्षा की शिक्षा का आवश्यक प्रावधान, जिसके आधार पर से अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकें। शिक्षा आयोग (1966) की सम्मति में अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग को जातिय शब्द के प्रयोग में विशेष आपति है।

अनुसूचित जातियों के जीवन सुधार व शिक्षा के प्रयास :–

अनुसूचित जातियों के जीवन सुधार व शिक्षा के लिए हमारे संविधान में निम्न व्यवस्था की गई हैं –

1. संविधान की धारा 17 के अनुसार छुआछूत को मानना अपराध घोषित किया गया है।
2. धारा 15 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर अन्य नागरिकों की तरह उनको जाने की स्वतंत्रता दी गई है।
3. धारा 25 के अनुसार हिन्दुओं के सभी धार्मिक स्थान उनके लिए खोल दिए गए।
4. धारा 29 के अनुसार सभी सरकारी और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश का उन्हें अधिकार दिया गया।
5. धारा 16 आर 335 के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं में उनके लिए स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया।

इसी प्रकार वर्तमान समय में भी अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए व्यापक व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं ताकि उनका शैक्षिक विकास संभव हो सकें।

1.10 नट समुदाय :–

नट समुदाय स्वतंत्रता से पूर्व राजा महाराजाओं के शासन काल में उनकी संतानों को तहजीब और तमीज सिखाने की कार्य भी करती है। क्योंकि राजा महाराजाओं के साामने इस समाज की महिलाएँ नृत्यांगना का कार्य भी करती थी। जो इनके उस्तादों के माध्यम ये तहजीब और तमीज सीख करके राजा–महाराजाओं द्वारा प्रेरित होकर यह कार्य किया जाता था। धीरे धीरे समय बीतने पर हमारा देश आजाद होने के बाद इस समुदाय को जीविकोंपार्जन का साधन या अन्य सुविधाएँ सरकार द्वारा मुहैया न कराने के कारण मजबूर होकर इन्हें वैश्यावृति की और अग्रसर होना पड़ा।

अतः नट समुदाय स्वतंत्रता के बाद से ही वैश्यावृति में लिप्त रहा है। आज भी इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय यही है। वैश्यावृति में लिप्त होकर इस समुदाय की बालिकाएँ, स्त्रियां धनोपार्जन करने में लगी रहती है। अतः अन्य किसी क्षेत्र की तरफ इनका ध्यान नहीं रहता। जिसके कारण यह समुदाय अन्य क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। शिक्षा का प्रकाश अब इस समाज में धीरे धीरे फैल रहा है। जिसके कई कारण है। स्वयंसेवी संस्थाओं का असहयोग, वैश्यावृति हेतु मुम्बई व विदेशों में प्रवास आदि प्रमुख कारण है। इनके प्रभाव से इस समुदाय में शिक्षा के क्षेत्र में विकास प्रारम्भ हो रहा है।

पहले माता–पिता अपनी संतानों को पढ़ाने पर विचार नहीं करते थे। धीरे–धीरे पुत्रों को पढ़ाना प्रारम्भ किया, परन्तु वैश्यावृति के कारण नट बालके पढ़ने में रूचि ना लेकर इसी कार्य में सहयोग करने में लगते है। स्त्रियों को शिक्षित करने का विचार इनको अभी भी नहीं आया है, परन्तु धीरे–धीरे परिस्थियों के परिवर्तन के साथ इस समाज में शैक्षिक जागृति होने लगी है, लेकिन उसका प्रयास भी ऋणात्मक है। अब समुदाय के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में रूचि लेने लगे है, परन्तु फिर भी कई कठिनाईयाँ शिक्षा के पथ में आ रही है। यही इस शोध का आधार है। जिसका प्राथमिक स्तर तक परिसीमन किया गया हैं।

1.10.1 नट समुदाय का सामाजिक इतिहास :–

किसी भी शब्द की परिभाषा के अनेक रूप हो सकते है, किन्तु परिभाषा का प्रारम्भिक स्वरूप उस शब्द के अर्थ से ही उभरता है, जो किसी वस्तु या उसके नाम के लिए प्रयोग लिया जाता है।

नए शब्द की उत्पति संस्कृत भाषा की नट धातु से हुई है, इसका अर्थ है 'नाटय क्रियाएं करने वाला' अर्थात् 'अभिनय करने वाला' शुक्ल यर्जुवेद की वाजसनेय संहिता के तीसरे अध्याय की छटी कण्डिका में शैलूप शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ 'नट' होता हैं।

हिन्दी शब्दकोष के अनुसार :–

नट एक वर्ण संकर जाति है जो गा–बजाकर खेल–तमाशा दिखाकर अपनी जीविकापार्जन करती है तथा यह एक निम्न जाति मानी जाती है। नृत्य व नाट्य वालों के सम्बोधन के लिए 'नट' शब्द का प्रयोग किया जाता है। संभवतः यह कारण है कि ताण्डव नृत्य करने वाले भगवान शिव को नटेश्वर, नटराज तथा नटेश की उपमा दी गई हैं।
यदि वास्तविक अर्थो मे देखा जाए तो 'नट' एक जाति विशेष ना होकर वह शब्द है जिसका प्रयोग नर्तक, तमाशा दिखाने में तथा नायको के लिए किया जाता हैं।

उद्भव :–

नटों की उत्पति के बारे में विभिन्न घटनाएं प्रचलित है। नटों से मिलने वाली प्रत्येक जाति अपनी उत्पत्ति अलग मानती है। जिसके सन्दर्भ में उनमें विभिन्न कथाएं प्रचलित है रोज (1919) ने इनका उत्कर्ष पंजाब से बताया है। **रिजले** (1981) ने इनकी उत्पत्ति ढाका से बताई है, जहां से ये नवाबों के उत्कर्ष के साथ भारत आये।

राजनट :–

जिस नट समुदाय का अध्ययन मेंरे द्वारा किया गया, वह अपने आपकों राजनट कहलाना पंसद करते है, क्योंकि ये अपने पूर्वजों को राजपूत तथा स्वयं को राजाओं की संतान बताते हैं।

विवरण :–

राजनट प्रायः राजस्थान के सवाईमाधोपुर, जयपुर, अजमेर, दौसा, अलवर, सीकर, टोंक तथा भीलवाड़ा जिलों में मिलते हैं।

उत्पत्ति :–

मेरे अध्ययन स्थल के राजनट अपनी उत्पत्ति निम्न धार्मिक कथानुसार मानते है सतयुग मे क्षत्रियों के अत्याचार बढने पर भगवान परशुराम ने उनका वध करना प्रारम्भ कर दिया था। तब तक क्षत्रिय राजा शेषमल परशुराम जी से भयभीत होकर जंगल मे आदिवासियों के मध्य जाकर छुप गया और अपने आपकों राजनट बनाया और यही से राजनटों की उत्पत्ति हुई। राजा शेषमल के एकमात्र पुत्र बहमल हुआ बहमल के दो पुत्र और दो पुत्रियां हुई। इन चारों बहन–भाइयों की संतानों से राजनट समुदाय के विभिन्न गोत्रों का उदय हुआ। ये गोत्र आगे जाकर विभिन्न गोत्रों में विभाजित हैं।

समस्या का औचित्य :–

नट समुदाय शिक्षा से अछुता सा रहा है। सांमतीकाल से बिट्रिश शासनकाल तक वे शिक्षा से दूर रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1990 तक नट समुदाय में शिक्षा का प्रयास धीरे–धीरे हुआ। 1990 के दशक से पूर्व नटों की शैक्षणिक स्थिति बहुत ही निम्न कोटि की थी। पुरूषों एवं महिलाओं दोनों में ही शिक्षा का प्रतिशत लगभग नगण्य था क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ये अस्थायी रहने लगे। सरकार द्वारा कृषि भूमि मिलनें पर भी इनकी महिलाओं ने यौन व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया था। जिसके कारण यह समुदायों और मुख्य गांवों में अर्न्तसंबंधहीन दूर ढाणियों में जीवनयापन करने लगे। यौन व्यवसाय के कारण नट समुदाय की ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिस्थिति इतनी निम्न कोटि की हो गयी है कोई नट विद्यार्थी यदि मुख्य गांव की पाठशाला में अध्ययन हेतु जाता तो ग्रामीण उसका विरोध करते जिसके फलस्वरूप नट शिक्षा से वंचित रहे गये।

1990 के बाद से नट समुदाय शिक्षा के प्रति जाग्रत हुआ। जिसमें गैर सरकारी सगंठनों का सहयोग रहा। जिसमें नट युवक प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने लगे। परन्तु महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत अब भी नगण्य था। इसी दशक के मध्य में नट समुदाय के

पारिवारिक संगठन में जहां एक और घरजवांई की प्रथा जुड़ गयी, वही शिक्षा के सरकारी प्रयास अपनी चरम पर थे। जिसके कारण नटों में साक्षरता का पैमाना उठा, परन्तु उनमें शिक्षा के प्रति मोह तब जाग्रत हुआ जब इनकी लड़कियां घर–जवाई की मदद से मुम्बई, दिल्ली, अरब देशों में जाने लगी। महिला यौनकर्मी ने शिक्षा का फायदा अपने व्यवसाय में पाया तो समुदाय शिक्षा के प्रति जाग्रत हुआ। इसी जाग्रति के बाद वर्तमान में नट लड़के–लड़कियों को पढ़ाने लगे। चाहे इस कारण उनके धंधे में प्रतिस्पर्धा या व्यापकता हो। परन्तु यह समुदाय अब शिक्षा के महत्व को जान चुका है, परन्तु फिर भी कई समस्यायें प्राथमिक स्तर पर इनके सामने आती है। यही वर्तमान में शोध की आवश्कता हैं।

समस्या कथन :–

''जिले के नट समुदाय के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिणिक समस्याओं का अध्ययन।''

तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण :–

- **शैक्षणिक समस्यायें :–** समस्यायें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कठिनाईयों, परेशानियां होती है। शिक्षा से जुड़ी समस्यायें शैक्षणिक समस्यायें कहलाती हैं।
- **वैश्यावृत्ति :–** देह व्यापार ही वैश्यावृति कहलाता है। जिसमें धन के लिए यौन सबंध बनाये जाते हैं।

संबंधित शोध साहित्य :–

❖ **भार्गव एस.एम. एवं मित्तल एस.सी 1988 :–**

उद्देश्य :–

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजातिय बालकों को किस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त हैं।

निष्कर्ष :–

1. प्राथमिक माध्यमिक एवं अनौपचारिक शिक्षा की सुविधाएं एक किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध थी।

2. भवन का अभाव था।

3. कक्षा 1 से 6 तक कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता।

❖ गोरे जे.एस., ढुकराल, सी.एम., जैन बी.के. 1988 :–

उद्देश्य :–

शैक्षिक अवसरों की समानता के विचारों का आधार बनाकर बुद्धिलब्धि, आत्मसम्प्रत्यय मूल्य, व्यावसाहिक महत्वकांक्षा तथा व्यावसायिक परिपक्वता का ग्रामीण एवं शहरी पृष्ठभूमि वाले अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जाति के क्षेत्रों का अध्ययन।

निष्कर्ष :–

अनुसूचित जाति की तुलना में गैर अनुसूचित जातियों के छात्रों का आत्म सम्प्रत्यय एवं बुद्धिलब्धि स्तर निम्न हैं।

❖ जैन, विद्युत 1988 :–

उद्देश्य :–

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के स्कूल जाने वाले बालकों के मूल्य एवं रूचियों का अध्ययन।

निष्कर्ष :–

उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग के बालकों के मूल्यों में कोई अन्तर प्राप्त नहीं हुआ।

❖ सिंह कुवँर हरपाल 1989 :–

उद्देश्य :–

राजस्थान के अनुसूचित जाति के छात्रों की मनोसामाजिक समस्या तथा व्यक्तित्व का अध्ययन।

निष्कर्ष :–

इस अध्ययन में पाया कि गैर अनुसूचित जाति के छात्र अनुसूचित जाति के छात्रों की उन्नति के विषय मे सकारात्मक अभिवृति रखते हैं।

समस्या से उभने वाले प्रश्न :–

1. क्या नट समुदाय का सामाजिक वातारण इस समुदाय के बालकों को विद्यालय जाने मे बाधक है?

2. क्या पारिवारिक नट समुदाय के बालकों में ज्ञान प्राप्ति में बाधक हैं?

3. वर्तमान मे नट समुदाय में शिक्ष के प्रति चेतना जाग्रत होने का आधार क्या है?

4. क्या नट समुदायच के बालकों को प्राथमिक शालाओं में उचित शैक्षिक वातारण उपलब्ध होता है?

5. क्या अन्य समुदाय के लोग इनकी शिक्षा प्राप्ति मे बाधा पहुंचाते हैं?

समस्या अध्ययन के उद्देश्य :–

1. नट समुदाय की प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं का अध्ययन।

2. नट समुदाय की प्राथमिक विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं के प्रमुख कारणों का अध्ययन।

3. नट समुदाय के बालकों में शैक्षणिक वातावरण का अध्ययन।

4. नट समुदाय के सदस्यों की शिक्षा के प्रति सोच का अध्ययन।

शोध परिकल्पना :–

अध्ययन से संबंधित शोध परिकल्पना निम्नलिखित है– ''नट समुदाय के सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन एवं परम्परागत व्यवसाय के कारण नट समुदाय के बालक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुये रहते है।''

यह परिकल्पना शोध समस्या का आधार है, जिसकी समस्या से घनिष्ठ संबंध है।

न्यादर्श :–

किसी भी शोध कार्य के लिए समस्या से संबंधित जनसंख्या में से आवश्यक न्यादर्श का चयन शोध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पक्ष है। सही न्यादर्श के चयन से ही अनुसंधान समस्या का एक बड़े रूप में हल निकाल सकते हैं।

न्यादर्श (60)

छात्र		अध्यापक	अभिभावक
बालक	बालिकायें	10	10
20	20		

शोध विधि :–

किसी भी कार्य को सम्पन्न करने के लिए विधि एवं प्रविधियों का चयन गंभीरतापूर्वक करना चाहिए। प्रस्तुत शोध हेतु शोद्यार्थी सर्वेक्षण शोध विधि का उपयोग किया जायेगा।

❖ सर्वेक्षण विधि :–

सर्वेक्षण शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि समाज मे संबंधित जनसंख्या का सुक्ष्म अवलोकन कर अपेक्षित जानकारी प्राप्त करना।

❖ सर्वेक्षण विधि के प्रकार :–

1. सामाजिक सर्वेक्षण
2. विद्यालय सर्वेक्षण
3. विवरणात्मक सर्वेक्षण
4. विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण
5. आदर्शमूलक सर्वेक्षण

उपकरण :–

अध्ययन की प्रकृति एवं प्रश्नों के आधार पर आंकड़ों के संकलन हेतु निम्न प्रविधियों का चयन करते हुये शोध आंकड़ों के संकलन के समय उपयोग किया जाएगा।

1. अवलोकन
2. अनुसूची
3. साक्षात्कार

4. सामूहिक चर्चा

5. फोटोग्राफी

प्रयुक्त सांख्यकी :–

प्रस्तुत शोध कार्य में निम्नलिखित सांख्यकी का प्रयोग किया जाएगाा।

1. प्रतिशत

समस्या के चर :–

1. स्वतंत्र चर – नट समुदाय
2. आश्रित चर – समस्याएं

समस्या का सीमाकंन :–

परिस्थिति साधनों की सीमितता के कारण समस्या का निम्नलिखित सीमाकंन किया जाएगा।

1. प्रस्तुत अध्ययन जयपुर जिले तक सीमित हैं।
2. प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों तक सीमित है।
3. नट समुदाय तक सीमित है।

अध्याय – द्वितीय

"एक शिक्षक वास्तव में कभी नहीं पढ़ा सकता यदि वह स्वयं आज न पढ़ रहा, एक दीपक दूसरे दीपक को कभी भी प्रज्जवलित नहीं कर सकता, यदि वह स्वयं अपनी ज्योति को जलती हुयी न रखे।" रविन्द्रनाथ टैगौर

आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है। आज मानव अन्धविश्वासी अथवा पूर्वाग्रहों पर निर्भर नहीं करता है। आज मानव किसी प्रक्रिया की व्याख्या उस समय तक स्वीकार नहीं करता, जब तक उसका अवलोकन तथा अध्ययन किसी वैज्ञानिक विधि तथा प्रविधि के आधार पर नहीं किया जाता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि समस्त मानव ज्ञान पुस्तकों में सुरक्षित है।

प्रत्येक शोधार्थी के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने शोध विषय से सबंधित साहित्य का गहन अध्ययन करे। यह अध्याय तीन दृष्टियों से उसके लिए उपयोगी है–

1. शोधार्थी को अपने विषय के संबंध में अतंदृष्टि पैदा होती है, जिसके आधार पर वह अपने शोध कार्य को सफलता के साथ सम्पन्न कर सकता है।
2. शोधार्थी से संबन्धित साहित्य का अध्ययन करने से शोधकर्ता को यह ज्ञात हो जाता कि इस क्षेत्र कि इस क्षेत्र में कौनसे शोधकार्य हो चुके है। जिससे शोधकर्ता पुनरावृति से बच जाता है।
3. शोधकर्ता का अपना विषय इस प्रकार के साहित्य का अध्ययन करने से, चुनने व उसका नामकरण करने में सुविधा रहती है।

किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधार शिक्षा के समान है, जिस पर सारा भावी कार्य होता है। यदि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को सुदृढ़ नहीं कर लेते है तो समस्त कार्य प्रभावहीन होने की आशंका रहती है। संबंधित साहित्य के अध्ययन के अभाव में शोधकर्ता सही दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। क्योंकि इसके बिना उसको यह ज्ञात नहीं होता है कि इस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है, किस विधि से कार्य किया गया है तथा उसके निष्कर्ष क्या आये है ? तब तक वह न तो समस्या का

निर्धारण कर सकता है और न उसकी रूपरेखा तैयार कार्य को सम्पन्न कर सकता है। संबंधित साहित्य का अध्ययन शोधार्थी को उस शिखर पर ले जाता है जहां पर अपने क्षेत्र की नवीन एवं विरोधी उपलब्धियों का परिचय प्राप्त करता है।

संबंधित साहित्य का अर्थ :–

संबंधित साहित्य से तात्पर्य है कि वे समस्त प्रकार की पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं आलेख, विज्ञप्तियों, प्रकाशित शोध प्रबन्ध आदि जिनका अध्ययन करने से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या का चयन, अध्ययन की रूपरेखा बनाने एवं परिकल्पनाओं के निर्माण करने में प्रोत्साहन व साहयता प्राप्त होती है।

संबंधित साहित्य के अध्ययन ही वह माध्यम है जो अनुसंधानकर्ता को ज्ञान के उस शिखर तक ले जाता है, जहां वह अपने क्षेत्र की नवीन उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त करता है।

प्रत्येक शोधकार्य की सफलता उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन निर्भर है। इसलिए शोधकर्ता को अपनी समस्या से संबंधित यथा संभव पुस्तकों पत्र–पत्रिकाओं पूर्व में किये गये अनुसंधानों के विवरण से अपने को परिचित करे, ताकि उसे अपनी समस्या से संबंधित शोध प्रविधि को दूर करने में सहायता प्राप्त होगी।

संबंधित साहित्य की परिभाषाएँ :–

विभिन्न विद्धानों ने संबंधित साहित्य के विषय में विभिन्न परिभाषाएं दी है जो इस प्रकार है–

1. रमन :–

नियमानुसार कोई भी शोध संबंधी लिखित वर्णन तब तक उपयुक्त नहीं समझा जाता जब तक कि उस शोध से संबंधित साहित्य का आधार उस विवरण में नहीं।

2. डब्लयू. आर. बोर्ग :–

''किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आाधारशिला के समान है जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित होता है। यदि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को दृढ़ नहीं कर

लेते तो हमारे कार्य के प्रभावहीन एवं महत्वहीन होने की सम्भावना है तथा यह पुनरावृति भी हो सकती है।''

3. जॉन डब्लयू बेस्ट :–

अनुसंधान के लिए संबंधित साहित्य का अध्ययन आवश्याक है। यद्यपि इस साहित्य का ज्ञान होने पर यह जानने में सहायता मिलती है कि पहले क्या ज्ञात किया जा चुका है। इस परिणाम को ज्ञात करने की लिए कौन सी विधि प्रयोग में लायी गयी है तथा क्या परिणाम निकालने व कौनसी समस्या का परिणाम अभी शेष है।

4. जे. एफ. रमल. :–

''नियमानुसार कोई भी शोध संबंधित लिखित विवरण तब तक उपयुक्त नहीं समझा जा सकता है। जब तक शोध से संबंधित सान्दर्भिक साहित्य का आधार उस विवरण में न हो''

5. गुडबार तथा स्केटस :–

''एक कुशल चिकित्सक के लिए आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही है। औषधि संबंधी खोजों से परिचित होता रहे, उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसंधानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र से संबंध सूचनाओं एवं खोजो से परिचित होना आवश्यक है।

उपरोक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैः–

1. शोध कार्य से प्राप्त तथ्यों उपकरणों, प्राकल्पनाओं एवं निष्कर्षो से शोधकर्ता परिचित हो जाता है। इससे शोधकर्ता को यह ज्ञात हो जाता है कि संबंधित क्षेत्र में अभी तक कितना कार्य हो चुका और कितना कार्य शेष है।
2. संबंधित साहित्य के पुनरावलोकन से शोधकर्ता को उस क्षेत्र संबंधित अध्ययन की जानकारी हो जाती है। उसे विषय की गहराई तक पहुंचने से सफलता प्राप्त होती है।
3. सन्दर्भ साहित्य के अध्ययन से शोधकर्ता जागरूक हो जाता है तथा समस्या के सभी पक्षों पर सोच विचार करता है तथा शोध को संक्षिप्त एवं महत्वपूर्ण बनाने में सहायता प्राप्त होती है।

अतः संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन दो पक्ष प्रस्तुत करता है। प्रथम पक्ष में समस्या के क्षेत्र में प्रकाशित सामग्री को पहचाना और द्वितीय पक्ष में शोध अभिलेख के भागों में इन विचारों का लिखना निहित है।

संबंधित साहित्य का महत्व :–

यह अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक पृष्ठ भूमि प्रदान करता है। प्रत्येक प्रत्यय और अवधारणा को स्पष्ट करता है। संबंधित साहित्य का अध्ययन शोधकर्ता को उस स्थिति तक पहुंचाता है, जहां वह अपने क्षेत्र तथा परस्पर विरोधी उपलब्धियों एवं नवीन अनुसंधान कार्यो से परिचित होता हैं इस संदर्भ में **गुडवार एवं स्काट** का मानना है कि ''एक कुशल चिकित्सक के लिए आवश्यक है कि अपने क्षेत्र में औषधि संबंधी आधुनिक तम खोजों से परिचित होता रहे। उसी प्रकार शिक्षा का जिज्ञासु छात्र अनुसंधान क्षेत्र के कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्ता के लिए अनुसंधान से संबंधित सूचनाओं एवं खोजो से परिचित होना आवश्यक है।

जे. एस. रमल के अनुसार :–

''नियमानुसार कोई भी शोध संबंधी लिखित वर्णन तब तक उपयुक्त नहीं समझा जा सकता जब तक कि उस शोध से संबंधित साहित्य का आधार उस विवरण में न हो।''

संबंधित साहित्य के उद्देश्य :–

1. यह सर्वेक्षण विचार, सिद्धांत व्याख्याओं तथा उन परिकल्पनाओं को प्रदान करता है। जो अपने अध्ययन की समस्या के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है।
2. यह परिकल्पना के लिए साधन प्रदान करता है। शोधकर्ता प्राप्त अध्ययनों के आधार पर शोध परिकल्पनाओं को बना सकता है।
3. संबंधित साहित्य का गंभीर अध्ययन अनुसंधानकर्ता के ज्ञान की वृद्धि करता है।
4. यह समस्या के समाधान हेतु अनुसंधान का समुचित विधि का सुझाव देता है। साथ ही प्रक्रिया तथ्यों के साधन और सांख्यिकी तकनीक का सुझाव देता है।
5. तुलनात्मक आंकड़ो को प्राप्त करने व उनके विश्लेषण में सहायक होती है।

6. यह शोधकार्य किये गये क्षेत्र में शोधकर्ता की निपुणता और सामान्य ज्ञान को विकसित करने में सहायक होता है।

संबंधित शोध साहित्य के पुरावलोकन से लाभ :–

1. सर्वेक्षण को अनावश्यक दोहराने की क्रिया नहीं होगी। इससे धन, समय एवं श्रम की बचत होगी।

2. ज्ञान के विस्तार के लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को यह ज्ञान हो कि ज्ञान को वर्तमान सीमा कहां पर है। वर्तमान ज्ञान की जानकारी साहित्य के गहन अध्ययन से हो सकती है।

3. पूर्व अनुसंधानों के अध्ययन से अन्य संबंधित नवीन समस्याओं का पता लगता है। एक अच्छा अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के प्रतिर्वहन के अंत में नवीन समस्याओं को सुझाव के रूप में प्रस्तुत करता है।

4. पूर्व साहित्य के पुनरावलोकन के अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान के विधान की रचना करने में अर्न्तदृष्टि प्राप्त हो सकती है। यह अर्न्तदृष्टि उपकरणों का चयन अनुसंधान विधि का चयन, व्यक्तियों का चयन, समस्या के परिसीमन, समस्या का सुस्पष्ट परिभाषा आदि के बारे में प्राप्त होती है।

5. इसमें शोधकर्ता की वास्तविकता का पता लग सकता है।

6. इसके द्वारा अवांछनीय तत्वों का निदान किया जाता है तथा शोधकार्य को महत्वपूर्ण एवं संक्षिप्त बना दिया जाता है।

संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण की सीमाए :–

संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण जहां अनुसंधान कार्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, वही कुछ और सीमाएं भी है जो इस प्रकार है–

1. संबंधित साहित्य का अध्ययन हमारे उस समस्या के प्रति एक विशेष प्रकार का सुझाव और पक्षपात का भाव उत्पन्न कर सकता है जिसके कारण हमारी सम्पूर्ण क्रिया पक्षपातपूर्ण होने का भय है।

2. अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्राप्त निष्कर्षो से अपने अध्ययन में प्राप्त निष्कर्षो की तुलना करते समय हम निम्न तथ्यों की उपेक्षा कर देते है।

3. पूर्व अनुसंधानकर्ताओं की अवधारणाएं क्या थी ?

4. उसके न्यादर्श की विशेषताए क्या थी ?

5. उसने द्वारा प्रयोग किया गया उपकरण किस सीमा तक विश्वसनीय एवं वैध था ?

6. निष्कर्ष को निकालने में उसने किस सीमा उपयुक्त सांख्यिकीय एवं तार्किक विधियों का प्रयोग किया गया है ?

सम्बन्धित साहित्य क अध्ययन के स्त्रोत :–

संबंधित साहित्य के स्त्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते है –

1. प्राथमिक स्त्रोत
2. द्वितीय स्त्रोत

1. प्राथमिक स्त्रोत :–

प्राथमिक स्त्रोत शोधकर्ता द्वारा किये गये शोध प्रतिवेदन होता है तथा मूल लेखक का लेख होता है। जैसे पूर्व में किये गये शोध प्रबंध कार्य की प्रतिलिपि।

प्राथमिक स्त्रोत के अर्न्तगत निम्नलिखित साहित्य का समावेश किया जाता है।

अ. पत्रिकाओं में उपलब्ध सामयिक साहित्य।

ब. ग्रन्थ एक ही विषय पर निबंध पुस्तिकाएं वार्षिक पुस्तके तथा बुलेटिन।

स. स्नातक डॉक्टरेट तथा अन्य शोध प्रबंध।

द. कुछ अन्य विविध स्त्राते जैसे शान के शिक्षा पर प्रकाशन ।

द्वितीयक स्त्रोत :–

इसमें वह पाठ्य पुस्तके सम्मलित है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में हुये शोध कार्यों के परिणामों का सारांश सुगठित रूपों में प्रस्तुत किया गया हो, इन्हें द्वितीयक स्त्रोत कहते है। जैसे विभिन्न सर्वे बुक इंडियन बुक, डेजर्टेशन स्ब्सट्रेक्ट राजस्थान के शिक्षा अनुसंधान आदि।

शिक्षा के विश्व कोष का ज्ञान :–

1. शिक्षा सूची पत्र

2. शिक्षा शोध सार

3. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची निर्देशिकाएं

4. जीवन गाथा संबंधी सन्दर्भ

5. उदाहरण स्त्रोत

6. मोनोग्राफ

7. विभिन्न सर्वे बुक

8. इण्डियन एजुकेशनल रिव्यू

9. राजस्थान के शिक्षा अनुसंधान आदि

10. राजकीय प्रशासन

11. शैक्षिक सांख्यिकी

नट समुदाय में शिक्षा के सदंर्भ में अनुसंधान :–

नट समुदाय में अभी तक शैक्षिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अनुसंधान कार्य सम्पन्न नहीं हुये है। नट समुदाय पर अनुसंधान कार्य की तरफ ध्यान अभी कम ही है। जितने भी कार्य अब प्रारम्भ हुये है उनका आधार इनका व्यवसाय है। जिसके कारण समाज में इन समुदाय की अलग पहचान बन गयी है। जिसके कारण ही विभिन्न विद्वानों का ध्यान इस तरफ गया है। वैश्यावृति के कारण ही आज इस समुदाय में अन्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया है। इनमें अनुसंधान कार्य जो प्रारम्भ हुये है वे या तो सामाजिक या स्वास्थय से संबंधित है। जिनकी पृष्ठभूमि वैश्यावृति ही होती है। इस समुदाय में शैक्षिक अनुसंधान कार्य प्रारम्भ न होने का कारण कोई निश्चित नहीं है, परन्तु कुछ संस्थानों यहां पर शिक्षा के क्षेत्र के कार्य करने में रूचि ले रही है।

संबंधित शोध साहित्य स्त्रोत :–

1. भार्गव एस. एम. एवं मिलाल एस. सी. 1998 :–

इन्होनें अपने अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया कि राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजातिय बालकों को किस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त है।

इस अध्ययन का आधार डूंगरपूर एवं भरतपुर जिलों को बनाया गया। इसका कारण इन दोनों जिलों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की बहुलता रही।

इन्होनें अपने अध्ययन में पाया कि प्राथमिक माध्यमिक एवं अनौपचारिक शिक्षा की सुविधाए एक किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध थी परन्तु कुछ विद्यालयों में भवन का अभाव था। सामान्य बालिकायें विद्यालय नहीं जाती थी। कक्षा 1 से 8 तक पहुंचते–पहुंचते नामांकन में कमी हो जाती थी। जबकि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक बालिकाओं का नामांकन मात्र 5 प्रतिशत पाया गया। 50 छात्रों पर एक शिक्षक नियुक्त था। छात्रों को निःशुल्क पाठ्यसामग्री, गणवेश, मध्यमान आहार, लेखन पुस्तिकायें प्रदान की जाती थी। 10.8 प्रतिशत महिला शिक्षिकाएं थी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 2.08 प्रतिशत शिक्षिकाएं तथा 2.17 प्रतिशत शिक्षक थे। कक्षा 1 से 6 तक कोई शिक्षण शुल्क नही लिया जाता। इन्होनें अपने शोधकार्य में विस्तार से अपत्यय एवं अवरोधन के कारणोंका उल्लेख किया।

2. गोर जे. एस. ढुकराल. सी. एम. जैन बी. के. 1988 :–

शैक्षिक अवसरों की समानता प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है। इस विचार को आधार बनाकर यह अध्ययन किया गया है इनके द्वारा बुद्धिलब्धि, आत्मसम्प्रत्यय, मूल्य व्यवसायिक महत्वाकांशा तथा व्यवसायिक महत्वकांक्षा तथा व्यवसायिक परिपक्वता का ग्रामीण एवं शहरी पृष्ठ भूमि वाले अनुसूचित जाति व गैर अनुसूचित जाति के क्षेत्रों का अध्ययन किया गया। यह एक लम्बे समय तक किया जाने वाला अध्ययन था। जिसके लिये हरियाणा, गुंडगांव, करनाल, हिसार से 33 उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का चयन किया गया। सारस्वत की व्यावसायिक महत्वकांक्षा मापनी, जे. एस. ग्रेवाल का मूल्य परीक्षण आर. के. औझा का सामूहिक, मानसिक परीक्षण पी. एन. मल्हौत्रा का व्यवसायिक परिपक्वता मापनी का प्रयोग इस अध्ययन के उपकरणों के रूप में किया गया। निष्कर्ष में प्राप्त हुआ कि अनुसूचित जातियों की तुलना में गैर अनुसूचित जातियों के छात्रों का आत्म सम्प्रत्यय एवं बुद्धिलब्धि स्तर निम्न है।

3. जैन, विद्युत 1988 :–

इनके द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के स्कूल जाने वाले बालकों के मूल्य एवं रूचियों का अध्ययन किया गया। इन्होंने पाया कि ग्रामीण एवं शहरी बालकों के मध्य शैक्षिक रूचि सामान्यतः निम्न है। विभिन्न जाति समूहों में बहुत कम सकारात्मक सहसंबंध पाया गया। व्यावसायिक रूचियों में ग्रामीण व शहरी बालकों में सकारात्मक सहसंबंध प्राप्त हुआ। उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग के बालकों के मूल्यों में कोई अन्तर प्राप्त नहीं हुआ।

4. सिंह कुंवर हरपाल 1989 :–

राजस्थान के अनुसूचित जाति के छात्रों की मनोसमाजिक समस्या तथा व्यक्तित्व का अध्ययन किया। 450 अनुसूचित जाति क व 500 गैर अनुसूचित जाति क छात्रों का न्यादर्श लिया गया। इन्होंनें पाया कि गैर अनुसूचित जाति के छात्रों की तुलना में शाब्दिक बुद्धि के स्तर पर अनुसूचित जाति के छात्र निम्न है। उनमें अधिक चिंता और आत्मनियंत्रण पाया गया।

गैर अनुसूचित जाति के छात्रों की तुलना में अनुसूचित जाति के छात्र आंतरिक प्रवृति जाति के छात्रों के प्रति अभिवृत्यात्क अध्ययन करने पर पाया गया कि वे सामान्य अभिवृति के रहते है तथा गैर अनुसूचित जाति के छात्र अनुसूचित जाति के छात्रों की उन्नति के विषय में सकारात्मक अभिवृति रखते है।

5. स्त्रोत आर. एन. 1993 :–

इनके द्वारा एक अध्यापर यह जानने के लिए किया गया कि अनुसूचित जाति के विकास के लिये किये जा रहे राजकीय कल्याणकारी प्रयास किस स्थिति में है। यह एक मूल्यांकन परक शोधकार्य था। शोध के न्यादर्श में 200 अनुसूचित जाति के ग्रामीण एवं शहरी व्यक्तियों को चुना गया। साक्षात्कार अनुसूचितयों के द्वारा आंकड़े एकत्रित किये गये।

6. साल्वे. आर. एन. 1993:–

इनके द्वारा एक अध्यापन यह जानने के लिए किया गया कि अनुसूचित जाति के विकास के लिये किये जा रहे राजकीय कल्याणकारी प्रयास किस स्थिति में है। यह एक मूल्यांकन परक शोधकार्य था। शोध के न्यादर्श में 200 अनुसूचित जाति के ग्रामीण एवं

शहरी व्यक्तियों को चुना गया। साक्षात्कार अनुसूचियों कें द्वारा आंकड़े एकत्रित किये गये। जिसके निष्कर्षो में अग्रलिखित है–

1. अधिकांश व्यक्तियों जाति के उपर्युक्त सुविधाएं प्राप्त नहीं कर रहे।
2. अधिकांश व्यक्तियों को आरक्षण की जानकारी है।
3. अधिकांश उत्तरदाता नौकरीपेशा थे।
4. अधिकतर व्यक्तियों ने बताया कि राजकीय कल्याणकारी योजनाओं का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

7. सिंह के. एस. 1993 :–

इन्होनें अपनी पुस्तक **द सड्यूल कास्ट** में उल्लेख किया है कि आर्थिक कारणों से नट अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते है। प्राथमिक स्तर तक भी नहीं। इनकी साक्षरता दर 1981 की जनगणना के अनुसार 16.84 थी।

जिनकें महिलाओं की 7.05 प्रतिशत थी जो कि बहुत कम है। जबकि पुरूषों की 18.94 प्रतिशत थी। ये लोग परम्परागत व आधुनिक स्वास्थय सुविधाओं का प्रयोग करते है।

भारतीय जनगणना नट समुदाय की शैक्षिक स्थिति

Populations				Literates			
Year		Persons	Male	Females	Persons	Male	Females
1961	T	10,706	5,497	5,209	472	449	23
	R	10,473	5,365	5,088	436	413	23
	U	233	112	121	36	36	-
1971	T	16,355	8,415	7,940	914	856	58
	R	15,538	7,580	7,580	859	806	53
	U	817	360	360	55	50	5
1981	T	23,225	11,541	11,541	1,891	1,740	151
	R	19,616	9,878	9,818	1,575	1,462	113
	U	3,529	1,806	1,723	316	278	38

स्त्रोत – Sharma O P, Scheduled castes, Population and litrates, Kar kripa Publishers, New Delhi 1990

यादव नरेन्द्र कुमार सिंह (2000) :– ''अनुसूचित जाति के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति अध्ययन''

उद्देश्य :– अनुसूचति जाति के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा का अध्ययन किया।

परिणाम :–

1. बालिका शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर अवरोधन 29 प्रतिशत ज्ञात हुआ।
2. अधिकांश छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते है।
3. प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में आने अनुसासन कायम रखने।

रतनेश सिंह (2011) :– ''अनुसूचित जाति की महिलाओं की शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन।

परिणाम :–

1. शैक्षणिक परिवेश की समानता होते हुए भी अनुसूचित जाति के महिलओं के उपलब्धि और आकांक्षाओ का प्रतिमान भिन्न–भिन्न है।

2. अनुसूचित जाति के सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की भिन्नता और आर्थिक स्तर का अंतर इन समुदायों का युवा वर्ग के उपलब्धि आकांक्षाओं और मूल्य में अंतर को बनाये हुऐ।

निष्कर्ष :–

उपरोक्त अध्ययन के उपरान्त स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि भारत में अनुसूचित जातियों में शैक्षिक दृष्टि से काफी कम कार्य हुआ है और काफी अनुसंधान कार्य होना बाकी है। विशेष रूप से नट समुदाय में अभी तक कोई विशेष शैक्षिक अनुसंधान कार्य नहीं हुआ है। अतः इस दिशा में प्रयास किये जाने आवश्यक है।

अध्याय – तृतीय

प्रस्तावना :–

शोध या अनुसंधान मानव को प्रगति की ओर ले जाने में एक आवश्यक तथा शक्तिशाली उपकरण सि़द्ध हुआ है। क्रमबद्ध शोध के अभाव में आज की जो प्रगति हम देखते है, वह कभी संभव नहीं हो सकती थी। अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित तथा नियन्त्रित प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत संबंधित घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अन्वेक्षण तथा विश्लेषण उपर्युक्त सांख्यिकी तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। सिद्धान्तों की खोज तथा पुष्टि की जाती है किसी भी अनुसंधान की सफलता बड़ी सीमा तक उसकी योजना एवं क्रियाविधि पर निर्भर करती है। एक सुनियोजित योजना आगे आने वाली बाधों को दूर करने में सहायक होती है। अनुसंधान का महत्व, उपयोगिता व प्रभावशीलता उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षो द्वारा आंकी जा सकती है। इस सन्दर्भ में समस्या की योजना बनाकर संबंधित उपकरणों पर विचार किया गया। अतः यह महत्वपूर्ण है कि उपकरणों का चयन तत्परता से व सही ढ़ंग से किया जाये एवं विश्लेषण उपयुक्त हो। इसलिए प्रस्तुत अनुसंधान में उपयुक्त शोध विधि, न्यायदर्श प्रविधि तथा उसका आकार, प्रदतों के विश्लेषण की प्रविधि को सम्मिलित किया गया है।

2. अनुसंधान का अर्थ :–

अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहते है। जब दो शब्दों से रि+सर्च से बना है। इसमें रि का अर्थ ''पुनः'' तथा सर्च का ''खोजना'' है। अर्थात् किसी तथ्य की पूरे मनोयोग से खोज करना।

वे सब प्रयास जो राज्य कोष या वैयक्तिक या जन संस्थानों द्वारा किये जाते है। जिनसें शैक्षिक विधियों का आम शैक्षिक कार्यो में सुधार हो, जिनमें उच्च स्तर के वैज्ञानिक अनुसंधान व विद्यालय प्रणाली और शैक्षिक विधियों से सम्बधित अधिक साधारण परीक्षण हो।

संबंधित साहित्य के अवलोकन के पश्चात किसी भी शोध समस्या की योजना का निर्धारण एवं विवरण देना आवश्यक हो जाता है। अतः इसी बात को ध्यान में रखकर प्रस्तुत

अध्ययन में जनसंख्या एवं न्यादर्श के चयन की प्रक्रिया, प्रयुक्त विविध उपकरण तकनीक का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय के आधार पर ही शोध कार्य के परिणाम प्राप्ति की प्रक्रिया वर्णित होती है अतः यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अध्याय में सम्पूर्ण शोध कार्य का ऐसा ढांचा है जिसके आधार पर शोध कार्य को रूप अध्यनकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः शोध कार्य की रूपरेखा को इसी अध्याय में शामिल किया गया है। इसलिए इस अध्याय में शोध कार्य का मुख्य प्रवेश द्वारा कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा। क्योंकि इसी अध्याय में शोध विधि आदि निर्धारित हो जाती है।

अनुसंधान परिभाषाएं :–

शिक्षा के क्षेत्र में किये गये गये अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान कहलाते है। **रोबर्ट एम. डब्लयू ट्रैक्र्स** ने शैक्षिक अनुसंधान के संदर्भ में कहा है कि ''शैक्षिक अनुसंधान वह क्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के विज्ञान का अंतिम उद्देश्य ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जो शिक्षक के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी पद्धतियों द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकें''।

1. जॉन डेब्ल्यू बेस्ट :–

''हमारे सांस्कृतिक विकास का गुप्त रहस्य अनुसंधान में निहित है। अनुसंधान नये सत्यों की खोज द्वारा अज्ञानता के क्षेत्रों को समाप्त कर देता है और वे सत्य हमें कार्य करने की श्रेष्ठता विधियों तथा उत्तमतर परिणाम प्रदान करते है।''

2. फ्रांसिस बेकन :–

''अनुसंधान वह शक्ति जिससे हम धीरता के साथ निर्णयों को स्थापित करते है, सुखों का मनन, सर्तकता से सहमति, तत्परता से मूल सुधार और सावधानी व कष्ट के साथ कष्ट व विचारों की व्यवस्था करते है।''

अनुसंधान प्रक्रिया नियंत्रित एवं सुव्यस्थित होती है। सत्य सूचनाओं का एकत्रित कर तर्कसंगत विश्लेषण द्वारा आरम्भ में ही उठाये गये सुनियोजित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना ही अनुसंधान है। अनुसंधान किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण

है। पूर्ण अर्थ में अनुसंधानो प्रदत्तों के सुनियोजित एवं क्रमबद्ध संकलन, विश्लेषण तथा व्याख्या के माध्यम से किसी समस्या के निर्भर युक्त हल तक पहुँचाना है।

अनुसंधान की विशेषताएं :–

अनुसंधान की निम्नलिखित विशेषताएं है–

1. अनुसंधान में समस्या से संबंधित परिकल्पना का निर्माण करना होता है।
2. अनुसंधान तथ्यों पर आधारित एक अनुभवगत प्रक्रिया होती है। यह केवल कल्पना की उड़ान अथवा अमूर्त चिन्तन पर आधारित नहीं होती।
3. अनुसंधान में विश्लेषण वैज्ञानिक तथा सांख्यिकीय पद्धति से किया जाता है। इसलिए अनुसंधान का स्वरूप कुशल विशिष्ट तथा वस्तुनिष्ठ होता हैं।
4. अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जो विशिष्ट ज्ञान, क्रमबद्धता और शुद्धता पर बल देती है। अनुसंधान की रूपरेखा तैयार करने, अध्ययन सामग्री एकत्र करने, सामग्री का विश्लेषण करने के लिये विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है साथ ही सम्पूर्ण कार्य बड़े व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध रूप से करना होता हैं।
5. अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षो, भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता हैं।

अनुसन्धान की विधियाँ :–

किसी अध्ययन को सफलतापूर्वक प्रेषित करने के लिए यह आवश्यक है कि समस्या के अनुरूप ही विधि का चयन किया जाये। जिस विधि का चुनाव किया जाये वह उपयुक्त, पूर्व नियोजित तथा पूर्णरूपेण परिचित होनी चाहिए। क्योंकि यदि विधि के संबंध में उपयुक्त जानकारी नहीं होगी तो उपयुक्त परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेंगे।

प्रत्येक अनुसंधान की कई विधियां है अनुसंधान की विधियों का वर्गीकरण विद्वानों में अनेक प्रकार किया है। किसी ने क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण करते हुये शिक्षा, मनोविज्ञान इतिहास संबंधी अनुसंधान के रूप में वर्गीकरण किया है तो किसी ने उसके उद्देश्य अथवा आंकड़े प्राप्त करने की विधि के आधार पर वर्गीकरण किया है। सामान्य रूप से अधिकांश विद्वानों निम्नलिखित वर्गीकरण को मानते है।

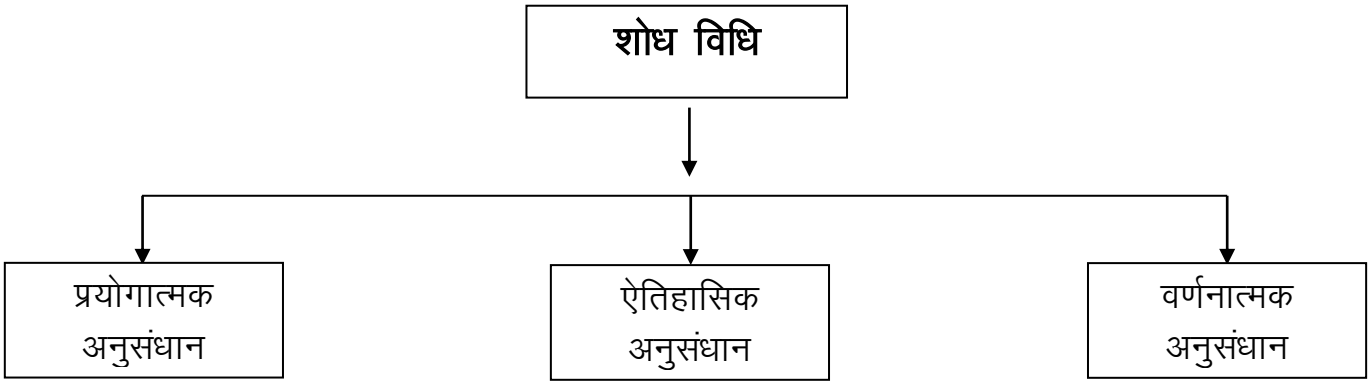

1. प्रयोगात्मक अनुसंधान :–

इसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से दो से अधिक तत्वों के संबंध की व्याख्या करना होता है।

2. ऐतिहासिक अनुसंधान :–

उसका संबंध भूत से है तथा यह भविष्य को समझने के लिए भूत का विश्लेषण करता है।

3. वर्णात्मक/सर्वेक्षण प्रकार का अनुसंधान :–

इसका संबंध वर्तमान से होता है तथा इसके अन्तर्गत अनुसंधान के विषय का स्तर निर्धारित करने का प्रयास करते है।

डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार :–

''एक समुदाय के सम्पूर्ण जीवन तथा उसके किसी एक पहलू के संबंध में व्यवस्थित और पूर्ण तथ्य सकंलन तथा विश्लेषण का नाम ही सर्वेक्षण है।

अनुसंधान विधि :–

जयपुर जिले के नट समुदाय के प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों की शैक्षिणिक समस्याओं के संदर्भ के अध्ययन करने की दृष्टि से वर्णात्मक, सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। अनुसंधान की इस विधि का संबंध उन परिस्थितियों से है जिनका असितत्व वर्तमान में है तथा विश्वास, विचारधारा तथा अभिवृतियों से सम्पन्न होने के साथ–साथ अनुभवों पर आधारित है। जिसके द्वारा नई दिशाओं का विकसित होना स्वाभाविक सा प्रतीत हो रहा है।

सर्वेक्षण विधि :–

सर्वेक्षण शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि समाज में संबंधित जनसंख्या का सूक्ष्म अवलोकन कर अपेक्षित जानकारी प्राप्त करना। सर्वेक्षण शब्द की उत्पति मूल रूप से अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों या सार एव ंबीयर से मानी जाती है। जिसका सामान्य अर्थ ऊपर से देखना या निरीक्षण करना होता है।

ट्रेवर्स के अनुसार :–

''नारमेटिव सर्वे उपस्थित घटनाओं की स्थिति की प्रकृति को निश्चित करने के लिए निर्मित किया गया है। सर्वप्रथम प्रकार के सर्वेक्षण घटनाओं की केवल आवृति व गणना की चेष्टा करते है, जबकि जटिल प्रकार के सर्वेक्षण घटनाओं के मध्य संबंध स्थापित करने की चेष्टा करता है।''

जॉन डब्ल्यू वैस्ट के अनुसार :–

''यह विधि क्या है, क्या वर्णन एवं विश्लेषण करती है। परिस्थितियों तथा संबंध जो वास्तव में है, अभ्यास जो चालू है, विश्वास विचारधारा अथवा मनोवृति जो पायी जा रही है, प्रक्रिया जो चल रही है, अनुभव जो किये जा रहे है अथवा नई दिशाएं जो विकसित हो रही है उन्हीं से सम्बन्ध है।''

करलिंगर के अनुसार :–

''सर्वेक्षण अनुसंधान सामाजिक वैज्ञानिक अन्वेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यापक तथा क्रम आकार वाली जनसंख्याओं का अध्ययन उनमें से चयनित प्रतिदर्शा के आधार पर इस आश्य से किया जाता है ताकि उनमें व्यापत सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों के घटनाओं, वितरणों तथा पारस्परिक अन्तः संबधो का ज्ञान उपलब्ध हो सके।''

अतः यह विधि प्रस्तुत शोध कार्य की पूर्ति हेतु उपयुक्त विवेचन तथा तथ्यों कें संग्रह के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यह विधि समूह की सामान्य विशेषताओं के तथ्यात्मक वर्णन की विधि है। इस विधि से तथ्यों का निष्कर्ष निकालने के लिए अपेक्षित प्रश्नों के उत्तर ही प्राप्त नहीं होते, अपितु समस्या से संबंधित तथ्यों की वर्तमान स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है।

सर्वेक्षण विधि के प्रकार :–

सर्वेक्षण विधि कई प्रकार की होती है।

1. विवरणात्मक सर्वेक्षण
2. विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण
3. सामाजिक सर्वेक्षण
4. विद्यालय सर्वेक्षण
5. आदर्श मूलक (तुलनात्मक) सर्वेक्षण

सर्वेक्षण विधि की विशेषताए :–

अध्ययनकर्ता ने सर्वेक्षण की विशेषताओं के कारण अपने अध्ययन के सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है –

1. इस विधि में एक ही समय से अधिक व्यक्यिों के आंकड़े प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. इस विधि का सम्बन्ध व्यक्तियों की विशेषताओं से नहीं होता है।
3. इस विधि के लिए विशिष्ट एवं कल्पनापूर्ण नियोजन आवश्यक होता है।
4. इस विधि की प्रकृति आवश्यक रूप से प्रति खण्डात्मक होती है।
5. इसके अन्तर्गत स्पष्ट पारिवारिक समस्या पर कार्य किया जाता है।
6. सर्वेक्षण जटिलता में अधिक परिवर्तनशील होते है।
7. इसके उद्देश्य विशिष्ट एवं निश्चित होते है।
8. यह वैज्ञानिक सिद्धान्तों के संगठित ज्ञान को विकसित नहीं करती है।
9. इसके आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी आवश्यक है।
10. यह भविष्य के विकास के क्रम में सूचनाएं प्रदान करती है।
11. यह स्थानीय समस्याओं के समाधान की उपयुक्त सूचनाएं देती है।
12. यह विधि ज्ञान में वृद्धि करती है क्योंकि जो कार्य किया जाये उसके लिए अपेक्षित प्रदत्त किया जाये।
13. इसके लिए निष्कर्षो के तार्किक एवं युक्तिपूर्ण प्रतिवेदन आवश्यक है।
14. यह सरल विधि है इसके द्वारा अनुसंधानकर्ता स्वतंत्रता पूर्वक निर्भकता से सर्वेक्षण करता है।

15. यह गुणात्मक व संख्यात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है।

16. इस विषय में अध्ययनकर्ता विषयों से सीधा सम्पर्क स्थापित कर लेता है।

17. यह विधि प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति का एक अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण साधन है।

18. यह विधि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के अध्ययन से सम्बन्धित है।

19. इसके द्वारा किसी समुदाय के मूर्त जीवन का अध्ययन किया जाता है।

20. यह विधि व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य जीवन का अध्ययन करने में सहायक होती है।

21. यह उपकरणों के निर्माण में सहायता करती है जिसके द्वारा हम शोध प्रक्रिया को पूरा करते है।

22. यह वर्तमान नीतियों का निर्माण करती है, तथा समस्याओं का समाधान भी करती है।

23. इस विधि में सभी प्रकार के उपकरणों एवं प्रमापीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है।

24. यह विधि अशिक्षित लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है।

25. कम आयु वर्ग के लिए यह विधि श्रेष्ठ है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श :–

किसी भी शोध कार्य के लिए समस्या से सम्बधिंत जनसंख्या में से आवश्यक न्यादर्श का चयन शोध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पक्ष है। सही न्यादर्श के चयन से ही अनुसंधान समस्या का एक बड़े रूप में हल होती है। जिसके द्वारा समष्टि का अध्ययन किया जाता है। अतः अध्ययनकर्ता को न्यादर्श के प्रारूप तथा प्रविधियों का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। तभी वह शोध के प्रारूप का नियोजन कर सकता है।

न्यादर्श का आकार जितना बड़ा होगा उसमें प्राप्त निष्कर्ष उतने ही विश्वसनीय एवं वैध होगें। अतः न्यादर्श ऐसा होना चाहिए जिसमें जनसंख्या के सभी ग्रंथो की प्राप्ति संभव हो सके। न्यादर्श प्रारूप से तात्पर्य चयन करना तथा अनुमान लगाना होता है। अतः ऐसा न्यादर्श ऐसा चयन करना चाहिए जिससे जनसंख्या के बारे में अनुमानों में कम से कम त्रुटि हो।

न्यादर्श की परिभाषाएं :–

न्यादर्श को स्पष्ट करने के लिये कई विद्वानों ने अलग–अलग रूप से इसे परिभाषित किया है जो इस प्रकार से है :–

पी.वी. यंग के अनुसार :–

''एक सांख्यिकीय निदर्शन सम्पूर्ण समूह योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया जाता है।''

गुड एवं हॉट के अनुसार :–

''न्यादर्श एक विस्तृत समूह का छोटा प्रतिनिधि है।''

फ्रैंक येट्स के अनुसार :–

''न्यादर्श शब्द इकाईयों के एक समूह या सम्पूर्ण सामग्री के एक अंश के लिये सुरक्षित होना चाहिए। जिसको इस विश्वास के ऊपर चुना गया है कि वह सम्पूर्ण का प्रतिनिधि होगा।''

अतः उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि न्यादर्श समूह इकाई समूह में चुनी गई ऐसी इकाइयों का समूह है, जो समूचे इकाई का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करता हैं।

एक अच्छे न्यादर्श की विशेषताएं :–

एक अच्छे न्यादर्श की निम्न विशेषताएं होती है।

1. न्यादर्श प्रतिनिधित्व पूर्ण होना चाहिए।
2. पक्षपात व मित्या सुझाव से मुक्त होना चाहिए।
3. पर्याप्त आकार का न्यादर्श होना चाहिए। न तो अधिक छोटा और न ही अधिक बड़ा हो।
4. न्यादर्श अध्ययन विषयों के अनुकूल हो।
5. सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित तथा व्यवहारिक अनुभवों से पूर्ण न्यादर्श होना चाहिए।

न्यादर्श की विधियां :–

न्यादर्श में प्राप्त करने की अनेक विधियां विकसित की गई है। न्यादर्श में प्रतिनिधि एवं पर्याप्तता का गुण होने के लिये न्यादर्श को विशिष्ट विधियों द्वारा करना चाहिए। न्यादर्श की मुख्य दो विधियां प्रचलित हैं।

1. सम्भाव्यता न्यादर्श
2. असम्भाव्यता न्यादर्श

न्यादर्श के प्रारूप

सम्भाव्यता न्यादर्श

1. यादृच्छिक न्यादर्श
2. स्तरीकृत न्यादर्श
3. गुच्छ यादृच्छिक न्यादर्श
4. दिशा न्यादर्श
5. क्रमबद्ध न्यादर्श

असम्भाव्यता न्यादर्श

1. अंश न्यादर्श
2. सोउद्देश्य न्यादर्श
3. आकस्मिक न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन की जनसंख्या :–

प्रस्तुत अध्ययन के लिए जनसंख्या का निर्धारण जयपुर जिले के नट समुदाय के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, अभिभावक व सरकारी विद्यालय के अध्यापक है।

प्रस्तुत अध्ययन का न्यादर्श :–

जयपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नट समुदाय के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, अध्यापकों व अभिभावकों का यादृच्छिक न्यादर्श लिया गया। जिसका विवरण निम्नलिखित है।

न्यादर्श (60)

छात्र		अध्यापक	अभिभावक
बालक	बालिकाये	10	10
20	20	10	10

चर :

वैज्ञानिक अनुसंधान की अध्ययन रूपरेखा या विधि निर्धारित करने में चर अथवा चरों का बहुत महत्व हैं। चरों के ज्ञान चरों के मापन और चरों के नियंत्रण के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं हैं। अनुसंधान समस्या के सम्बन्ध में परिकल्पनाओं के निर्माण के बाद अध्ययन की योजन बनाई जाती हैं। यह अध्ययन की योजना वैज्ञानिक ढंग से तभी बनाई जाती है तब अनुसंधानकर्ता के चर और उनके नियंत्रण का पर्याप्त ज्ञान हो।

चर का अर्थ व परिभाषा :–

चरों को परिवर्त्य, परिवर्ती और चल राशि भी कहते है। चर का शाब्दिक अर्थ है Vary करना या परिवर्तित करना।

करलिंगर के अनुसार :–

चर वह लक्षण या गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते है।

गैरेट :–''चर वह लक्षण या गुण है जिसकी मात्रा मे परिवर्तन होता है वह परिवर्तन किसी माप या आयाम पर होता हैं।''

डी. अमेटो के अनुसार – ''चर किसी वस्तु घटना या प्राणी मापन योग्य गुण या लक्षण हैं।''

पोस्टमैन तथा ईगन के अनुसार –''चर वह लक्षण या गुण है जिसके अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं।''

मैथसन व उनके सहयोगियों (1970) के अनुसार –''वैज्ञानिक अन्वेषण में चर वह स्थिति या अवस्था है जिसकी मात्रा या मूल्य में परिवर्तन होता है।''

चरों के प्रकार :–

वैज्ञानिक शोध के कार्यो में चरों का अत्यधिक महत्व है। चरों की प्रकृति गुणात्मक न होकर परिणात्मक होती है। परिकल्पना चरों की भूमिकाओं बदलती रहती है। चरों को भूमिकाओं के आधार पर पांच वर्गो में विभाजित किया गया है।

1. स्वतंत्र चर
2. आश्रित चर
3. परिमित चर
4. नियन्त्रित चर
5. मध्यस्थ चर

1. स्वतंत्र चर :–

स्वतंत्र चर किसी वातावरण में क्रियाशील होता है और व्यवहार को प्रभावित करता है। स्वतन्त्र चर का मापन किया जाता है और प्रयोग द्वारा प्रयोग उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तथा आश्रित चर से सह–संबंध स्थापित किया जाता है।

2. आश्रित चर :–

किसी स्वतंत्र चर का प्रभाव जिस चर के आधार पर किया जाता है उसे आश्रित चर कहा जाता है। जिसका मूल्य स्वतन्त्र चर के मूल्य पर आधारित होती है।

3. परिमित चर :–

परमित चर का निरीक्षण शोधकर्ता इसलिए करता है कि शोध की परिस्थिति ज्ञात हो जाती है तथा सामान्यीकरण का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाती है। जैसे लिंग, चर सामाजिक, आर्थिक स्तर, शहरी तथा ग्रामीण स्तर परिमित चर का कार्य करते है।

4. नियंत्रित चर :–

प्रयोगात्मक शोध कार्यों में प्रयोगात्मक चर को नियन्त्रित चर के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसकी प्रभावशीलता सापेक्षित होती है।

5. मध्यस्थ चर :–

मध्यस्थ चर का स्वरूप अमूर्त होता है। इसलिए इसे सूझ से ही पहचाना जा सकता है। शैक्षिक शोध में मध्यस्थ चर अधिक महत्वपूर्ण होते है।

शोध में प्रयुक्त चर :–

1. स्वतंत्र चर – नट समुदाय
2. आश्रित चर – समस्याऐं

उपकरण :–

अध्ययन की प्रकृति एवं प्रश्नों के आधार पर आकड़ों के संकलन हेतु निम्न प्रविधियों का चयन करते हुये शोध आंकड़े सकंलन के समय उपयोग किया गया।

1. अवलोकन

2. अनुसूची

3. साक्षात्कार

4. सामूहिक चर्चा

5. फोटोग्राफी

अवलोकन :–

साधित अथवा असाधित उचित परिस्थितियों में, चाहे वे नियन्त्रित हो या अनियन्त्रित व्यक्ति के बाह्य व्यवहार के अध्यापन के लिए अवलोकन या पर्यवेक्षण अनुसंधान के उपकरण के साथ में प्रयुक्त होता है।

उपयोग एवं लाभ :–

1. पर्यवेक्षण या अवलोकन तकनीक के रूप में परिशोधन एवं विकास इस सीमा तक किया जा रहा है कि सम्भवतः वह वर्णात्मक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके।
2. व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलुओं क अध्ययन प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार की अपेक्षा अवलोकन के द्वारा सही रूप में किया जा सकता है।
3. विद्यालय भवन, छात्र एवं अध्यापकों, परिवार आदि के सामान्य भौति पहलुओं का अवलोकन द्वारा अधिक तुलना करके आंकड़े प्राप्त किये जा सकते है।

अवलोकन के प्रकार :–

साधारण : अवलोकन दो प्रकार का होता है –
(अ) सहयोगी अवलोकन
(ब) असहयोगी अवलोकन

अनुसूची :–

गुड और हॉट के अनुसार – ''अनुसूची बहुधा उन प्रश्नों को कहते है जो कि साक्षात्कार कर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने–सामने बैठकर पूछे जाते है तथा लिखे जाते है।''
अनुसूची प्रश्नावली से निम्न होती है। इसके अनुसंधानकर्ता एवं उतरदाता के मध्य मधुर सबंध स्थपित करने, उद्देश्य की व्याख्या करने तथा के अर्थ स्वष्ट करने के अवसर उपलब्ध हो जाते है। अनुसूची समय और धन की दृष्टि से भी मितव्ययी होती है तथा इसके परिणाम पूर्ण एवं प्रयुक्त करने योग्य होते है।

साक्षात्कार :–

अनुसंधान के उपकरण के रूप में साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली या अनुसूची है, जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता विषय की प्रत्यक्ष उपस्थिति में वांछित जानकारी प्रस्तुत करता है,। ''साक्षात्कार करने की गतिविधि मौखिक प्रश्नावली से कहीं अधिक गहन

होती है। छोटे बच्चों आरिखितों के अध्ययन करने के लिए यह उपकरण विशेष रूप से उपयुक्त होता है।

समूह चर्चा :–

एक साथ अध्ययन क्षेत्र के समूह के लोगों से चर्चा करना जिससे सभी समूह वालों के विचार एक साथ ज्ञात हो सके। यह विधि सही आंकड़ो के सत्यापन में सहयोग करती है।

फोटोग्राफ :–

कई जानकारियां हमें उपरोक्त उपकरणों से नहीं मिल पाती जो कि फोटोग्राफी से प्राप्त हो जाती है। अतः यह भी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है।
उपरोक्त सभी उपकरण अपनी–अपनी विशेषताओं के कारण प्रदतों के चयन के लिए अध्ययन क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रयोग में लायी जाती है।

तथ्य संकलन हेतु उपकरण :–

अध्यापनकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन के सम्पादन हेतु सूचनाएं एकत्र करने हेतु तीन स्वनिर्मित सर्वेक्षण अनुसूचियों का प्रयोग किया गया।
ये निम्नलिखित है।

1. विद्यालय सर्वेक्षण अनुसूची
2. अभिभावक सर्वेक्षण अनुसूची
3. अध्यापक सर्वेक्षण अनुसूची

परिकल्पना :–

शोध की प्रक्रिया का द्वितीय सोपान परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करता है। परिकल्पना शोध समस्या का सम्भावित समाधान होता है। वैज्ञानिक शोध की सभी क्रियाओं का नियोजन परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए किया जाता है।

परिकल्पना का अर्थ एवं परिभाषा :–

परिकल्पना शब्द का अर्थ एक उपकपन से होता है जो समस्या के समाधान की अवधारणा होती है और शोधकर्ता उसकी पुष्टि करने का प्रयास करता है। परिकल्पना के कथन का स्वरूप एक व्याख्या के रूप में होती है जो अवलोकन या सिद्धान्तों पर आधारित होता है, जब किसी सम्भावित सिद्धान्त प्रदात्तों तथा प्रमाणों के आधार पर पुष्टि की जाती है तब उसे परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है।

परिकल्पना को अग्रेंजी में Hypothesis कहते है। हाइपो (Hypo) + थीसिस (Thesis) Hypothesis (हाइपोथिसीस)। हाइपो (Hypo) का अर्थ है –सम्भावित या जिसकी पुष्टि की जाये तथा थीसिस का अर्थ – समस्या के समाधान का कथन। हाइपोथीसिस का शाब्दिक अर्थ उस सम्भावित कथन से है जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। जिसकी पुष्टि प्रदत्तों को आधार पर की जा सकें।

शब्द **हाइपोथिसिस** का अन्य अर्थ यह है – **हाइपो** का अर्थ दो या दो से अधिक चरों का सम्मिश्रण, **थीसिस** का अर्थ है उन चरो की स्थिति को प्रदर्शित करनां यह परिकल्पना का व्यवहारिक अर्थ है।

गुड तथा हैट के शब्दों में – ''एक परिकल्पना यह बात कहती है जिसे हम आगे कि सोचते है। परिकल्पना सदैव आगे को देखती है। यह एक साध्य होती है जिसकी वैद्यता हेतु परीक्षण किया जाता है। यह सिद्ध हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।

जेम्स ई. ग्रीटन का कथन है – ''परिकल्पना संभावित माना हुआ समस्या का हल होती है, जिसकी व्याख्या उस परिस्थिति से निरीक्षण के आधार पर की जाती है।''

टाउन सैण्ड के विचारानुसार –परिकल्पना एक अभिग्रह तथा तर्क वाक्य है जिसकी स्थिरता की परीक्षा उसकी अनुरूपता उपयोग, अनुभव, जन्म प्रमाण तथा पूर्वज्ञान के आधार पर की जाती है।''

परिकल्पनाओ के प्रकार

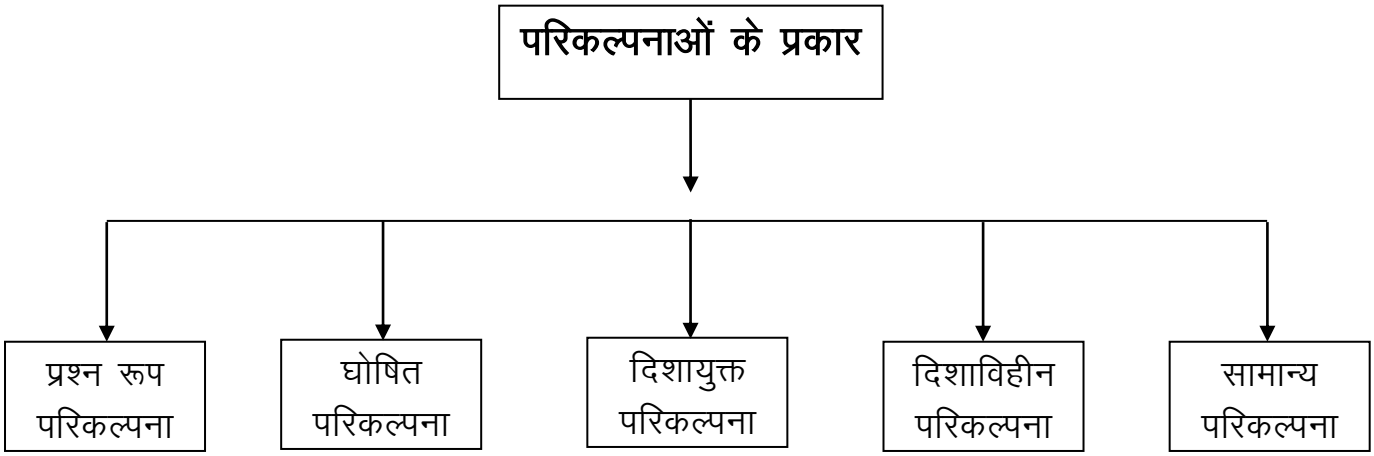

परिकल्पना रूप व संदर्भ के आधार पर कई आधार पर कई प्रकार की होती है। परिकल्पना का रूप उसके कार्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है। साधारण परिकल्पनाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं

1. प्रश्न रूप परिकल्पना :–

कुछ विद्वानों की यह विचारधारा है कि परिकल्पनाओं को प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए, किन्तु कुछ लोग इसका विरोध भी करते है। इस प्रकार की परिकल्पनाओं का प्रयोग सरल रूप इस प्रकार का होती है कि इन्हें निरस्त भी किया जा सकता है और स्वीकृति भी।

2. घोषित परिकल्पना :–

घोषित परिकल्पना में चरों के सह–संबंध की घोषण की जाती है। पूर्व अपेक्षित सह–संबंध तथा चरों के अंतर के परिकल्पना घोषित कथन के रूप में विकसित की जाती है। पूर्व अपेक्षित अन्तर का विश्वास उपलब्ध प्रमाणों तथा अनुभवों के आधार पर किया जाता है।

उदाहरणार्थ – एक अनुसंधानकर्ता शैक्षिक उपलब्धि पर पठन – बोध के प्रभाव को ज्ञात करना चाहता है। इसके संबंध में वह घोषित परिकल्पनायें इस प्रकार बना सकता है। कि

''वे छात्र जो वाचन में कुशल होते है वे वाचन में अकुशल छात्रों सें उच्च उपलब्धि वाले होगें। इसे अनुसंधान परिकल्पना भी कहते है।

3. दिशायुक्त परिकल्पना :–

जब किसी संभावित समाधान को अपेक्षित दिशा में लिखा जाता है तब उसे दिशायुक्त परिकल्पना कहा जाता है। इससे चरों के सह–संबंध को अपेक्षित रूप में प्रकट किया जाता है। इसी प्रकार चरों के अंतर को विशिष्ट रूप में लिखते है। दिशायुक्त परिकल्पना बिना सैद्धांतिक आधार अथवा औचित्य के वैद्य नहीं माना जाता है।
''अन्तर्मुखी व्यक्तित्व के छात्र पुनर्बलन के निरन्तर प्रारूप से अधिक सीखते है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के छात्र पुर्नबलन के अन्तःक्रिया प्रारूप से अधिक सीखते है।''

4. दिशाविहीन परिकल्पना :–

दिशाविहीन परिकल्पना को शून्य परिकल्पना भी कहते है। इस प्रकार की परिकल्पना का नकारात्मक रूपमें विकसित किया गया है। चरों के सह–संबंध को नकारात्मक रूप में प्रकट करते हे। जैसे दो समूहों या दो चरों में कोई संबंध नहीं है। यदि कोई अन्तर है तो वह संयोगवंश न्यादर्श की त्रुटि के कारण हो सकता है। इस प्रकार की परिकल्पना की सांख्यिकीय विधियों द्वारा परीक्षण करते है। इसलिए इस परिकल्पना को सांख्यिकी परिकल्पना भी कहते है।

5. सामान्य परिकल्पना :–

सामान्य रूप से परिकल्पनाओं के दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है।

1. सामान्य परिकल्पना
2. शून्य परिकल्पना

परिकल्पना की विशेषताएं :–

एक उत्तम प्रकार की परिकल्पना की निम्नलिखित विशेषताऐं है–

1. किसी भी परिकल्पना का निर्माण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता हो। यह अनुसंधानकर्ता की सुझ अनुभव पर आधारित है कि अनेक परिकल्पनाओं में से किसे अपने परीक्षण का विषय बनायें।

2. अच्छी परिकल्पना को सरल रूप में विकसित किया जाता है। परिकल्पना समस्या का जितना ही अधिक सरलतम तथा स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत करती होगी उसके परीक्षण में कठिनाई नहीं होगी। जटिल व भ्रमपूर्ण परिकल्पना का परीक्षण बड़ा ही जटिल हो जाता है और निष्कर्ष प्राप्ति भी संदिग्ध रहती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि

अ. परिकल्पना की शब्दावली सरल और स्पष्ट हो।

ब. परिकल्पना लम्बी न होकर छोटी हो।

स. भ्रमपूर्ण भाषा का प्रयोग न किया गया हो।

3. अच्छी परिकल्पना सिद्धान्त, तथ्य, नियम, अवधारणाओं तथा स्वयं सिद्धियों में स्पष्ट अन्तर प्रकट करती है। ऐसी परिकल्पना को लेना चाहिए जिसका किसी न किसी रूप से कुछ समर्थन किसी सिद्धांत द्वारा हो चुका हो अथवा उसका विरोध हो चुका हो।

4. परिकल्पना प्रमाणित करने योग्य होनी चाहिए। परिकल्पना का परीक्षण करके निष्कर्ष निकालते है। यह किसी भी अनुसंधान का उद्देश्य होता है। जिस परिकल्पना का परीक्षण न किया जा सके या जिले प्रमाणित न किया जा सके उसे लेना व्यर्थ हैं।

5. अच्छे परिकल्पना की पुष्टि हेतु विधि तथा प्रविधियां शोधकर्ता की पहुँच में रहनी चाहिए साथ ही परीक्षण के लिये यंत्र भी प्राप्त हो।

6. अनुसंधान कर्ता को वहीं परिकल्पना लेनी चाहिए जिसके लिए आकंड़े प्राप्त हो सके।

7. परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए जैसे – यदि वह परिकल्पना ले कि ''लड़के और लड़कियों की रचनात्मकता में भिन्नता होती है।'' तो इसमें यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि किस प्रकार की रचनात्मकता, कला, वैज्ञानिक, यांत्रिक आदि में अतंर है। यह विशिष्टीकरण उसके मापन में सहायक होगी।

8. परिकल्पना प्रत्यात्मक दृष्टि से स्पष्ट हो अर्थात् एक अच्छी परिकल्पना के सभी प्रत्ययों का संक्रियात्मक परिभाषीकरण आवश्यक है।

9. शून्य परिकल्पना सर्वोत्म होगी है।

10. अच्छी परिकल्पना अपने चरों की भूमिकाओं को स्प्ष्ट रूप में प्राप्त करती है।

11. अच्छी परिकल्पना के न्यादर्श में प्रदत प्राप्त करना शोधकर्ता के नियत्रंण अथवा पहुंच के अंतर्गत होती है।

परिकल्पना का महत्व :–

डी. बी. बेन डेलन के अनुसार परिकल्पना का महत्व इस प्रकार है :–

1. वैज्ञानिक शोध कार्य परिकल्पना द्वारा ही किया जा सकता है। परिकल्पना समस्या तथा समाधान की मध्यस्ता करती है। वास्तव में यह समस्या का समाधान करती है।

2. परिकल्पना अध्ययनकर्ता को निर्देशित करती है तथा कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

3. परिकल्पना अध्ययनकर्ता को समस्या के तथ्यात्मक तथा प्रत्यात्मक तथ्यों का गहन रूप से समझ सकती है।

4. परिकल्पना केवल शोध कार्य को ही दिशा प्रदान नहीं करती है वरन् प्रदतों के सकंलन के लिए आधार प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार का उपकरण, प्रशिक्षण तथा प्रविधियों आवश्यक है।

5. परिकल्पना तथ्यों की सार्थकता को निर्धारित करती है तथा शोधकर्ता को रचनात्मक कार्यो के लिए प्रोत्साहित करती है।

6. शोध परिकल्पनायें नये शोध कार्यो के लिए प्रोत्साहित करती है।

7. परिकल्पना निष्कर्षो के लिए आधार प्रदान करती है।

शोध में प्रयुक्त परिकल्पनाये :–

अध्ययन से संबंधित शोध परिकल्पना निम्नलिखित है –

1. नट समुदाय के सामाजिक, पिछड़ेपन एवं परम्परागत व्यवसाय के कारण नट समुदाय के बालक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुये रहते है।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी का अर्थ :–

सांख्यिकी शब्द को दो अर्थो में प्रयुक्त किया जाता है।

1. एकवचन :– ''समकों के संग्रह, विश्लेषण एवं निर्वाचन का विज्ञान।

2. बहुवचन :– ''व्यक्तितव इकाईयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक तथ्य''

सांख्यिकी की परिभाषा :–

''सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किन्हीं घटनाओं की व्याख्य, विवरण एवं तुलना के लिए अंकित तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन करता है।''

लिविट

फैडाल व बैकलैण्ड के अनुसार :–

''सांख्यिकी प्रदतों के सग्रंह उनमें विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है।''

संख्यिकी वैज्ञानिक विधि की वह शाखा है जो प्राकृति पदार्थो के समूह की विशेषताओं को गिनकर या गिनाकर प्राप्त की गयी सामग्री से संबंधित है।

सांख्यिकी के द्वारा परीक्षणों से प्राप्त जटिल असंबंधित आंकड़ो को एक निश्चित स्वरूप प्रदान कर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। आंकड़ो में विश्लेषण का ध्येय तथ्यों के पारस्परिक संबंध के ज्ञान उनके संदर्भ में निष्कर्ष निकालना है।

सांख्यिकी के कार्य :–

सांख्यिकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करती है। कृषि, अर्थशास्त्र व्यापार, स्वास्थय एवं चिकित्साशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा आदि में उपयोग किया जाता है।

सांख्यिकी के प्रमुख कार्य :–

1. किसी समस्या या परीक्षण के संबंधों में तथ्यों या आकंड़ो का संकलन करना।
2. समस्या सम्बन्धी आंकड़ो को समय और स्थान के अनुसार व्यवस्थित करना।
3. समस्या संबंधी आंकड़ो का वर्गीकरण और सारणीयन करना।
4. विभिन्न आंकड़ो, तथ्यों या समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. विभिन्न आंकड़ो, तथ्यों यस समस्याओं से सह–संबंध स्थापित करना।
6. विभिन्न आंकड़ो, तथ्यों या समस्याओं से सम्बंधित पुराने नियमों की परीक्षा करना और नये नियमों का निर्माण करना।

सांख्यिकी की आवश्यकता :–

सांख्यिकी का ज्ञान प्रत्येक अध्यापक व शोधकर्ता का होना आवश्यक है क्योंकि –

1. मार्गदर्शन की प्रक्रिया का आधार सांख्यिकी होती है।

2. प्रयोग तथा अनुसंधानों कार्य सांख्यिकी का प्रयोग के अभाव में विश्वसनीय एवं प्रमाणित नही ंहोता है।

अनुसंधान तथा प्रयोगो की व्याख्या के लिए सांख्यिकी का ज्ञान होना आवश्यक है।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

प्रस्तुत शोध में शोधकर्त्री ने प्राप्त आंकड़ो का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी के अन्तर्गत प्रतिशतता का प्रयोग किया है।

प्रतिशत ज्ञान करने का सूत्र :–

$$\text{प्रतिशत} = \frac{\text{प्राप्तांक}}{\text{कुल अंक}} \times 100$$

अध्याय –चतुर्थ

तथ्यों का प्रदर्शन, सकंलन, विश्लेषण एवं सारणीयन

प्रस्तावना :–

किसी भी शोध कार्य में विभिन्न उपकरणों की सहायता से प्राप्त सूचनाओं का कोई निष्कर्ष नही निकलता जब तक कि उनका विश्लेषण न किया जाए।

पी.वी. यंग के अनुसार :–

वैज्ञानिक विश्लेषण यह मानता है कि तथ्यों के संकलन के पीछे स्वयं तथ्यों से कही अधिक महत्वूपर्ण व रहस्योद्घाटन और कुछ भी होता है। यदि इन सुव्यवस्थित तथ्यों का सम्पूर्ण अध्ययन से संबंधित किया जाए तो उनका महत्वपूर्ण अर्थ प्रकट हो सकता है जिसके आधार पर घटना की सप्रमाण व्याख्या की जा सकती हैं।

प्रदत्तों का सारणीयन एवं विश्लेषण :–

इस कथन से तात्पर्य है कि अनुसंधान या शोधकार्य मे केवल तथ्यों को एकत्र कर लेने से की अध्ययन स्पष्ट हो सकता है जबकि उन तथ्यों का वर्गीकरण व सारणीयन करने से बिखरे हुये तथ्यों के ढेर का एक क्रमबद्ध व संक्षिप्त रूप मिल जाता हैं। जिसके कारण उन्हे सरलता से समझा जा सकता है। सारणीयन के पश्चात् निश्चित होते हैं।

कुक के अनुसार :–

''वैज्ञानिक विश्लेषण अध्ययन तथ्यों, परिणामों तथा वैज्ञानिकों ज्ञान से संबधों की खोज करता हैं।''

प्रसिद्ध फ्रेन्च गणितज्ञ आंकाटे के अनुसार :–

''जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण तथ्यों से होता है परन्तु तथ्यों का केवल संकलन उसी भांति का विज्ञान नहीं है जैसे पत्थरों का ढेर मकान नही है।''

वास्तव मे इसी के द्वारा घटनाओं की व्याख्या, विवरण तथा तुलना के लिए तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन किया जाता है। शोधार्थी ने इनको लक्ष्यानुसार विश्लेषण करने के लिए सारणी मे वर्गीकृत किया गया हैं।

ये आंकड़े भिन्न भिन्न सर्वेक्षण अनुसूचियों द्वारा एकत्रित किये गये है जो जयपुर क नट समुदाय के प्राथमिक स्तर कर के विद्यालयों के शैक्षणिक समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रयोग में लिये गये है।

शैक्षणिक समस्या (विद्यालयों के दृष्टिकोण से) –

विद्यार्थियों सर्वेक्षण अनुसूची में दिये कथनानुसार

सारणी संख्या–1

विद्यालय भवन की स्थिति	विद्यालय भवन का क्षेत्र	विद्यालय की सीमित संख्या
35%	37.5%	27.5%

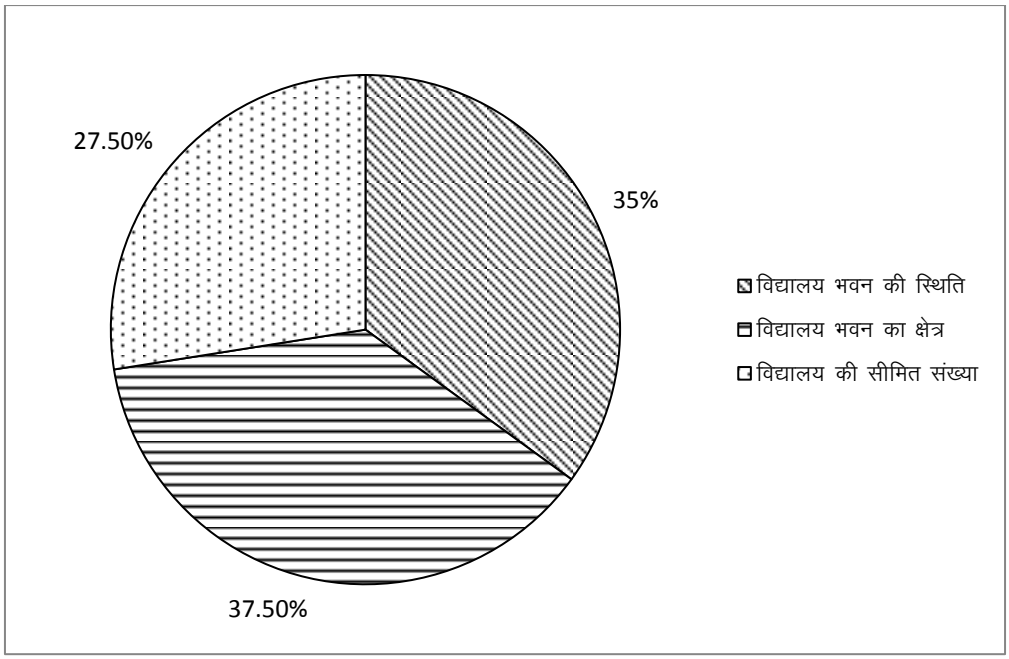

उपरोक्त सारणी संख्या 4 के अध्ययन से पता चलता है कि नट समुदाय के विद्यालयों भवन की स्थिति को समस्या मानते है अर्थात विद्यालय भवन समुदाय के अति निकट स्थित है। अतः अध्ययन कार्य प्रभावित होता है। (37.5) प्रतिशत विद्यालय क्षेत्र को समस्या मानते है अर्थात् विद्यालय भवन कुछ कमरो में ही चलाया जाता है। (27.5) प्रतिशत विद्यालयों की सीमित संख्या को समस्या मानते हैं।

सारणी संख्या–2

विद्यालय की समय सारणी से संबंधित शैक्षिक समस्या–

समय सारणी की अनिश्चता	10 से 4:30 का समय	7:30 से 12:30
32.5%	**40%**	**27.5%**

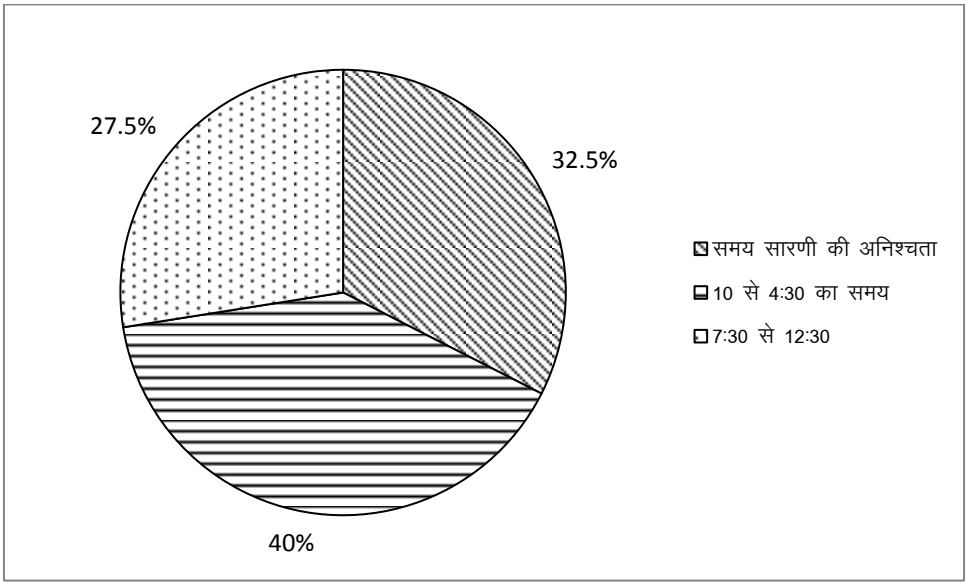

उपरोक्त सारणी संख्या 2 के अध्ययन से पता चलता है कि (32.5) प्रतिशत विद्यालयों के लिए समय सारणी की अनिश्चिता समस्या है। अर्थात् समय सारणी की अनिश्चिता होती है। जिसके कारण विद्यालय मे आने व जाने के समय में किसी प्रकार की निश्चितता नहीं रहती हैं। (40) प्रतिशत विद्यालयों के लिये 10 से 4.30 के समय मे विद्यालय के समुदाय मे स्थिति होने के कारण अन्य गतिवविधियाँ चलती रहती है जिसके कारण वे सुचारू रूप से अध्ययन कार्य नहीं कर पाते है। 27.5 प्रतिशत विद्यालयो के लिये 7.30 से 12.30 का समस्या प्रमुख समस्या है। अर्थात् उनके अभिभावकों को रात तक अपने व्यवस्याय मे लिप्त होने के कारण वह प्राप्त जल्दी बच्चों को नहीं भेज पाते हैं।

सारणी संख्या–3

कक्षा शिक्षण सामग्री संबंधित शैक्षिक समस्यायें –

पाठ्यपुस्तकों का अभाव	कक्षा कक्ष का अभाव	अन्य अध्ययन सामग्री का अभाव
27.5%	**30%**	**42.5%**

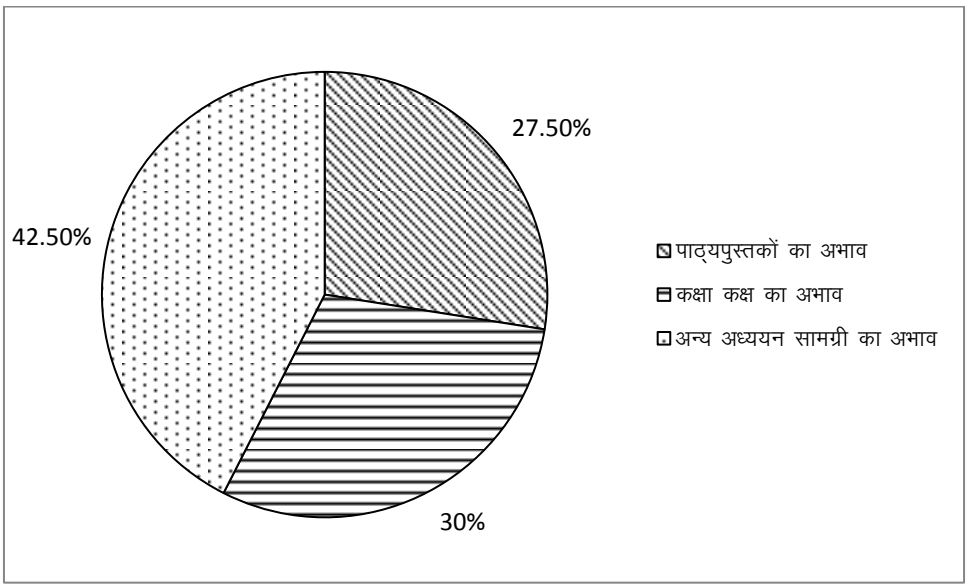

उपरोक्त सारणी संख्या 3 के अध्ययन से पता चलता है कि 25 प्रतिशत विद्यालयों के लिए पाठ्यपुस्तकों का अभाव प्रमुख समस्या है अर्थात उनके पास उचित मात्रा मे पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नहीं है 30 प्रतिशत बालकों के लिए कक्षा कक्ष का अभाव समस्या है। जिसके कारण उन्हे खुले पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ता है। जिसके कारण अध्ययन के समय एकाग्रचीत नहीं हो पाते है। 30 प्रतिशत विद्यालयों के लिए अन्य सामग्री का अभाव जैसे दरीपट्टियों, मेज, चार्ट, कम्प्यूटर लैब आदि का अभाव प्रमुख समस्या हैं।

सारणी संख्या–4

अध्यापक व अध्ययन से संबंधित शैक्षणिक समस्यायें –

अध्यापकों की सीमित संख्या	सामुदायिक विद्यालयों में योग्य अध्यापको का अभाव	अध्यापकों के अध्यापन से संबंधित समस्याये
30%	**32.5%**	**37.5%**

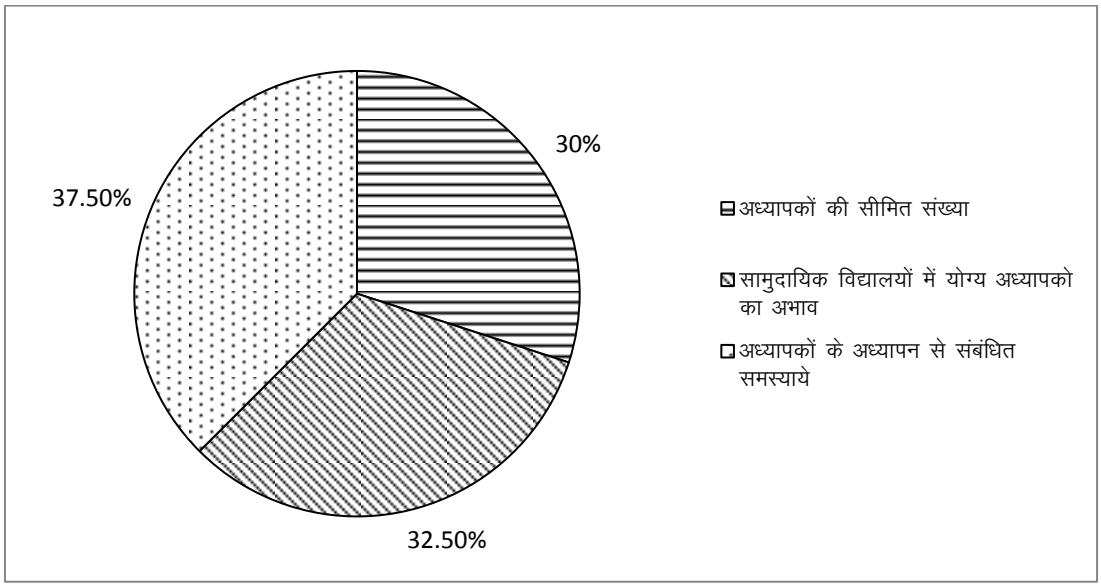

उपरोक्त सारणी संख्या 4 के अध्ययन से पता चलता है कि 30 प्रतिशत विद्यार्थियों के अध्यापकों की समस्या प्रमुख है विद्यार्थियों के अनुपात मे अध्यापकों की संख्या है। समुदाय या गैर सरकारी संगठन के विद्यालयों में पढ़ने वाले 32.5 प्रतिशत विद्यालयों के लिए योग्य अध्यापकों का अभाव हैं। कुछ अध्यापक उनके समुदाय के व्यक्ति ही होते है। जो स्नातक स्तर तक पढ़ हुये होते है। 37.5 प्रतिशत विद्यालयों के लिए अध्यापकों के अध्यापन सम्बन्धित समस्यायें प्रमुख है अर्थात् उनके द्वारा पढ़ाया गया अध्याय समझ में नहीं आता।

सारणी संख्या–5

सहपाठियों से संबंधित समस्यायें –

छात्रों को अन्य सहपाठियों की भाषा संबंधी समस्या	छात्राओं के कारण छात्रों को समस्या	अपने सहपाठियो से समस्या
32.5%	**42.5%**	**25%**

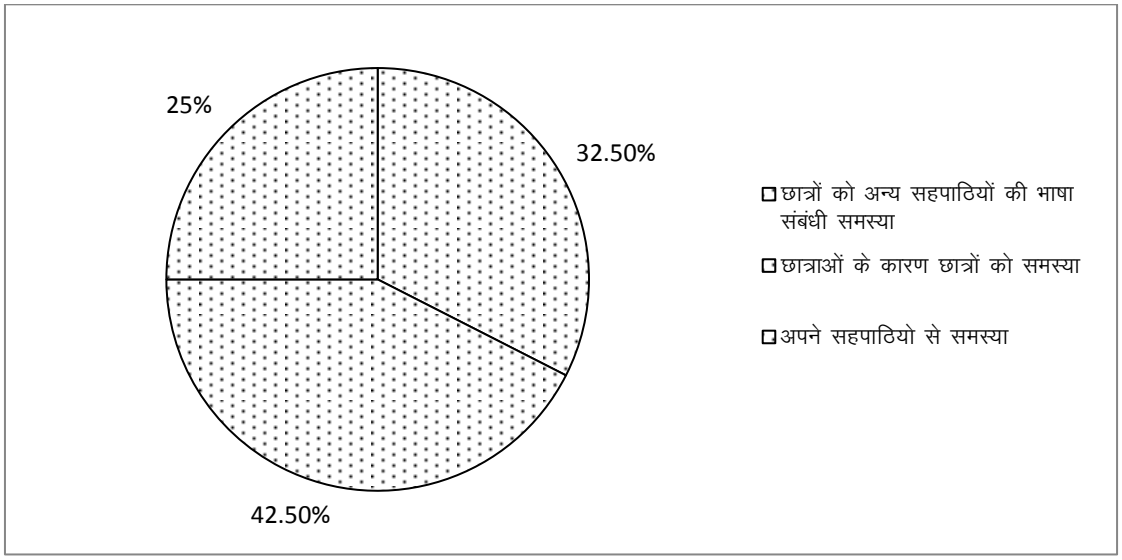

उपरोक्त सारणी संख्या 4 के अध्ययन से पता चलता है कि 32.5 प्रतिशत छात्रों को अन्य छात्रों को अन्य छात्रों की भाषा सम्बन्धी समस्या हैं। प्राथमिक स्तर के होने के कारण वह अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। 42.5 प्रतिशत विद्यार्थियों के अनुसार छात्राओं के कारण उन्हे अध्यापक कार्य में परेशानी आती है अर्थात् उनका समय पर नहीं आना, कक्षा शिक्षण के बीच–बीच मे आने–जाने के अध्यापन कार्य प्रभावित होता है। जबकि 25 प्रतिशत विद्यार्थियों का अध्ययन अन्य वर्ग उदण्ड सहपाठियों के द्वारा प्रभावित होता है जो उनकी समस्या हैं।

सारणी संख्या–6

जाति /वर्ग/समुदाय से संबंधित समस्यायें –

जाति	समुदाय	वर्ग
27.5%	**42.5%**	**30%**

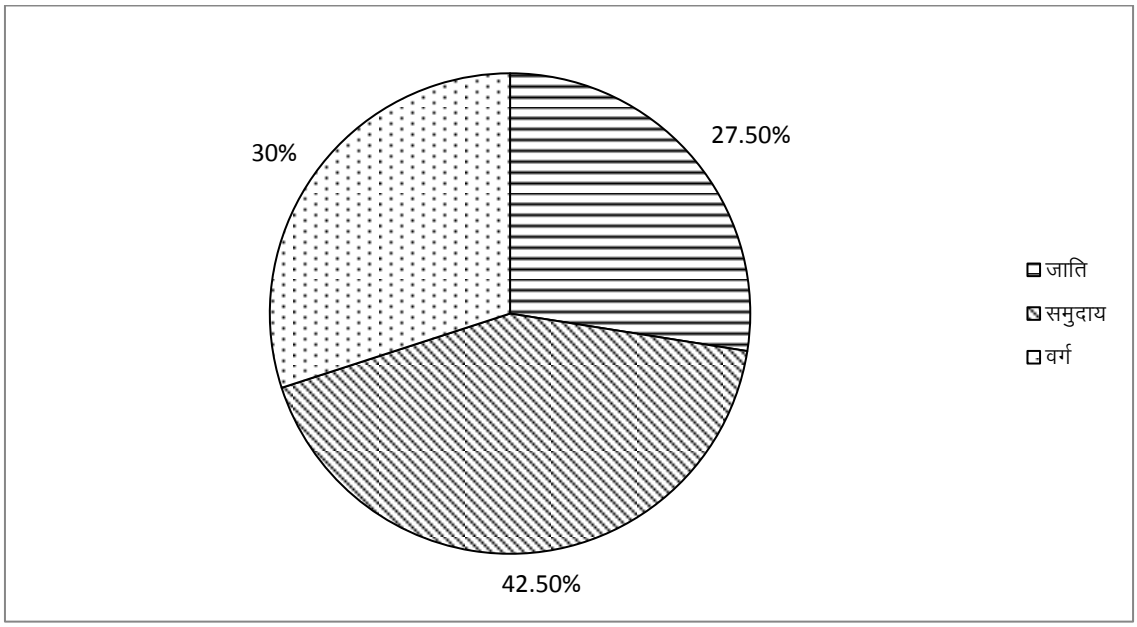

उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि 27.5 प्रतिशत विद्यार्थियों का अन्य जातियों द्वारा भेदभाव किया जाता है जो शिक्षा प्राप्ति में बाधित होते है। उनको निजी विद्यालयों में पढ़ने नहीं दिया जाता है जिसका प्रमुख कारण उनका व्यवसाय है। 42.5 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा समुदाय का शिक्षा के विकास में सहयोग नहीं करना, शिक्षा की व्यवस्था मे सहायता करना समस्या है अर्थात् नट समुदाय अपने बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहा है। 30 प्रतिशत विद्यार्थियों की शहर व गांव के सम्पन्न वर्ग द्वारा शिक्षा मे परेशानी खड़ी हो जाती हैं।

सारणी संख्या–7

भाषा संबंधित शैक्षणिक समस्याएं

हिन्दी भाषा में समस्या	अग्रेंजी भाषा में समस्या	मातृभाषा में समस्या
12.5%	**55%**	**32.5%**

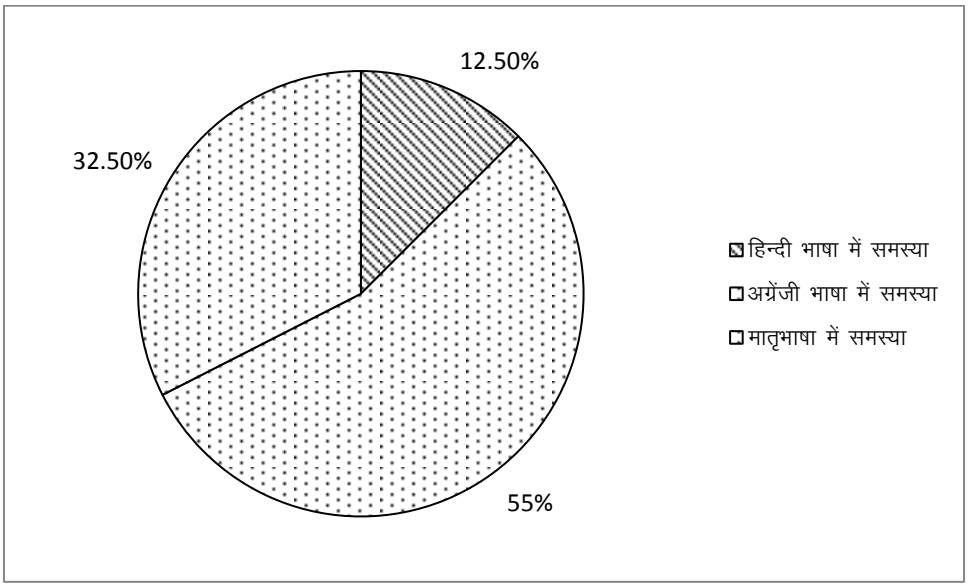

उपरोक्त सारणी संख्या 7 के अध्ययन से पता चलता है कि 12.5 प्रतिशत विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा में समस्या है अर्थात् हिन्दी भाषा मे शिक्षण से उन्हें कठिनाई महसूस होती है। 55 प्रतिशत को अग्रेंजी मे कठिनाई होती हैं। 32.5 प्रतिशत विद्यार्थियों को मातृभाषा में नहीं पढ़ने से कठिनाई महसूस होती हैं।

सारणी संख्या–8

परिवार सम्बन्धित शैक्षणिक समस्यायें–

बाधक	हतोत्साहित	असहयोग
42.5%	**42.5%**	**15%**

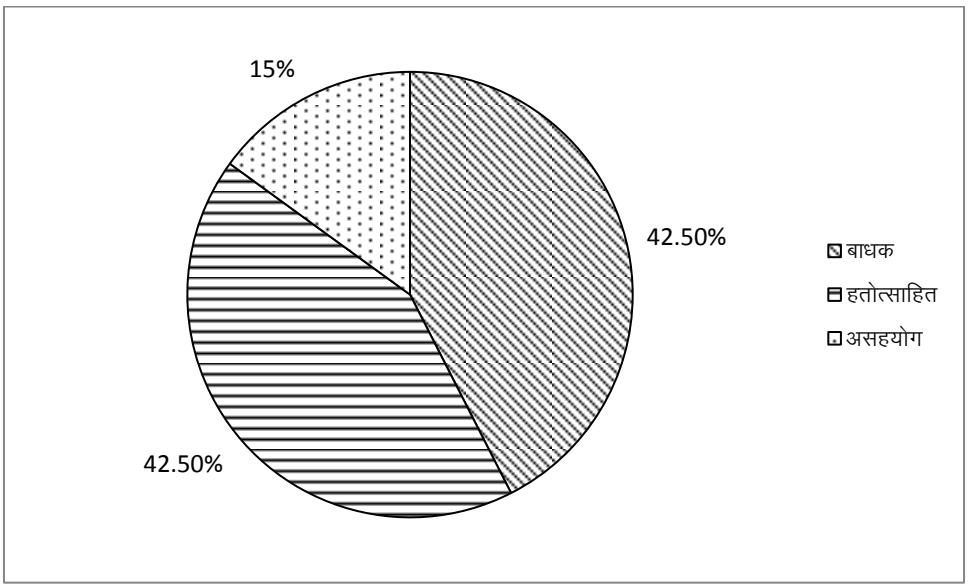

उपरोक्त सारणी संख्या 8 के अध्ययन से पता चलता है कि 42.5 प्रतिशत विद्यार्थियों के परिवार उनकी शिक्षा मे बाधक हैं। जो उन्हे पढ़ने नहीं देना चाहता हैं। छात्रों के साथ यह समस्या अधिक हैं। 42.5 प्रतिशत विद्यार्थियों के अनुसार परिवार उन्हें शिक्षा के लिए हतोत्साहित करता है अर्थात् पढने के लिए मना करते है। छात्राओं के साथ यह स्थिति अधिक हैं। 15 प्रतिशत विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षा क लिए परिवार वाले असहयोग करते हैं।

सारणी संख्या–9

अन्य शैक्षणिक समस्यायें–

धन की कमी	संसाधनों की कमी	व्यवसाय सम्बंधित
45%	**42.5%**	**12.5%**

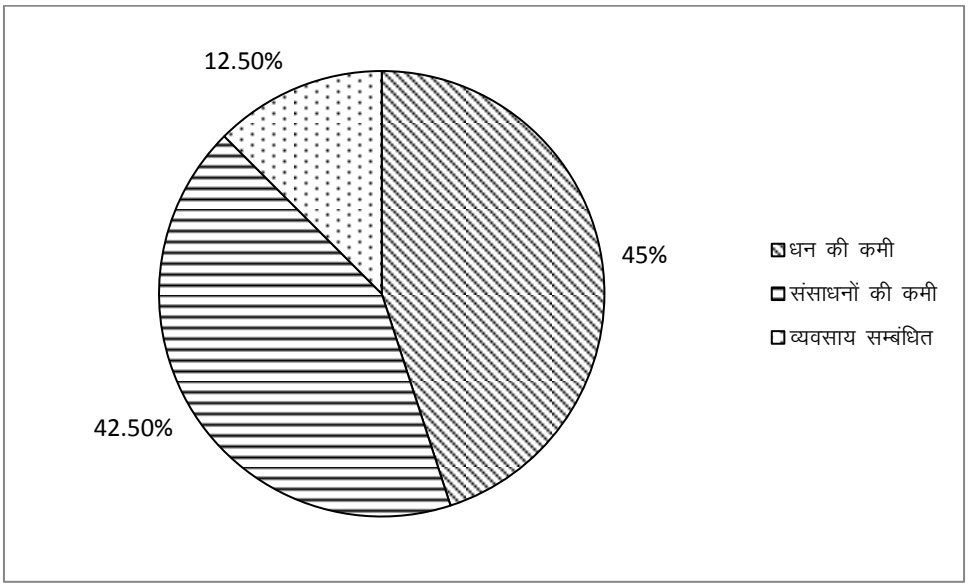

उपरोक्त सारणी संख्या 9 से पता चलता है कि 45 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए धन की कमी शिक्षा प्राप्ति में बाधक है। 42.5 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संसाधनों की कमी प्रमुख समस्या हैं। 12.5 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक कारण शिक्षा प्राप्ति मे बाधक है अर्थात् वैश्यावृति व गाने बजाने में लिप्त होने के कारण उनकों भी शिक्षा सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पाती हैं।

विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं (अध्यापकों के दृष्टिकोण)

सारणी संख्या–1

प्र.1 क्या समुदाय के लोग बच्चों को विद्यालय भेजना नहीं चाहते हैं?

सहमत	असहमत	अनिश्चित
40%	**30%**	**30%**

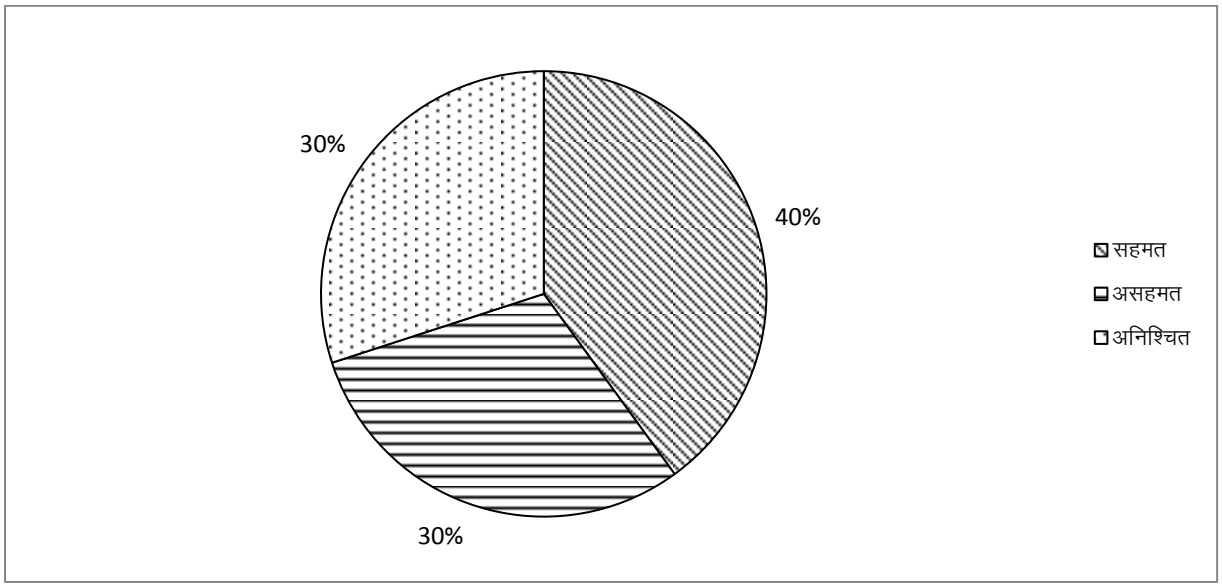

उपरोक्त सारणी संख्या 1 से पता चलता है कि 40 प्रतिशत अध्यापकों का मत है कि समुदाय के लोग बच्चों को विद्यालय भेजना नहीं चाहते है। जबकि 30 प्रतिशत अध्यापकों का मत है कि समुदाय के लोग बच्चों को विद्यालय भेजना चाहते है तथा 30 प्रतिशत अध्यापक इस तथ्य से अनिश्चितता रखते हैं।

सारणी संख्या –2

प्र.2 क्या नट समुदाय का व्यवसाय बच्चों की शिक्षा में बाधक है?

सहमत	असहमत	अनिश्चित
40%	**50%**	**10%**

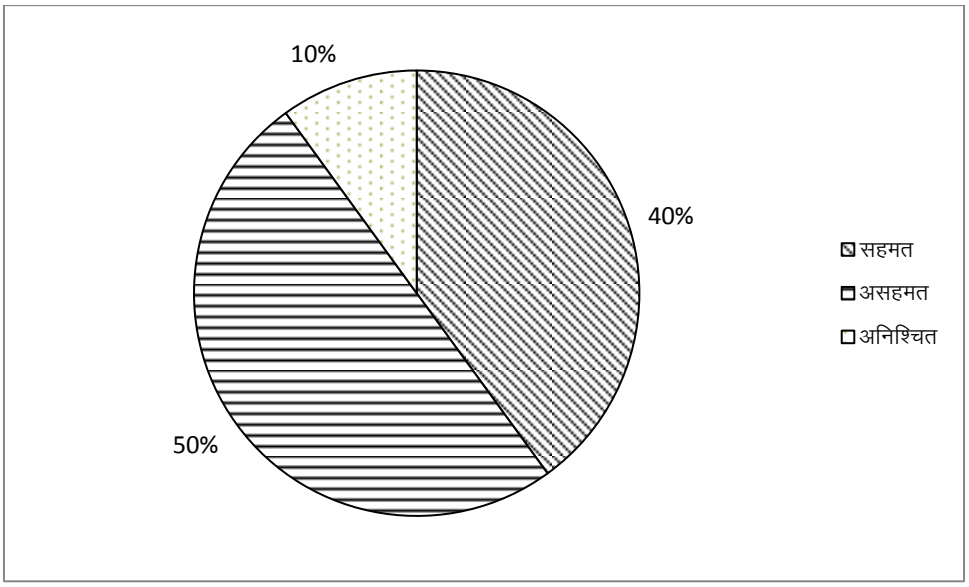

उपरोक्त सारणी संख्या 2 से पता चलता है कि 40 प्रतिशत अध्यापक नट समुदाय के विद्यार्थियों की शिक्षा में केवल व्यवसाय को बाधक मानते है। जबकि 50 प्रतिशत अध्यापक नहीं मानते है तथा 10 प्रतिशत अध्यापक इस तथ्य से अनिश्चितता रखते हैं।

सारणी संख्या –3

प्र.3 बच्चों का शिक्षा के प्रति कैसा रूझान है?

उच्च	निम्न	अनिश्चित
10%	**40%**	**50%**

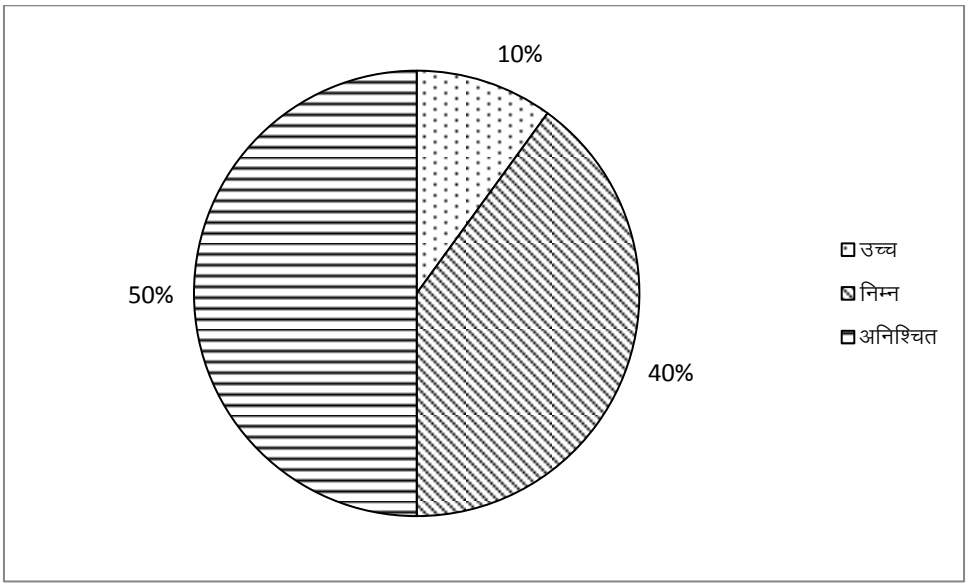

उपरोक्त सारणी संख्या 3 से पता चलता है कि 10 प्रतिशत अध्यापक बच्चों का शिक्षा के प्रति रूझान होना बताते है। 40 प्रतिशत विद्यार्थियों के निम्न रूझान को दर्शाते है। यह इनके व्यवसाय के कारण है। 50 प्रतिशत अध्यापक अनिश्चितता रखते हैं।

सारणी संख्या –4

प्र.4 क्या समुदाय के लोग बच्चों की शिक्षा के लिये सहयोग करते है?

सहमत	असहमत	अनिश्चित
20%	**30%**	**50%**

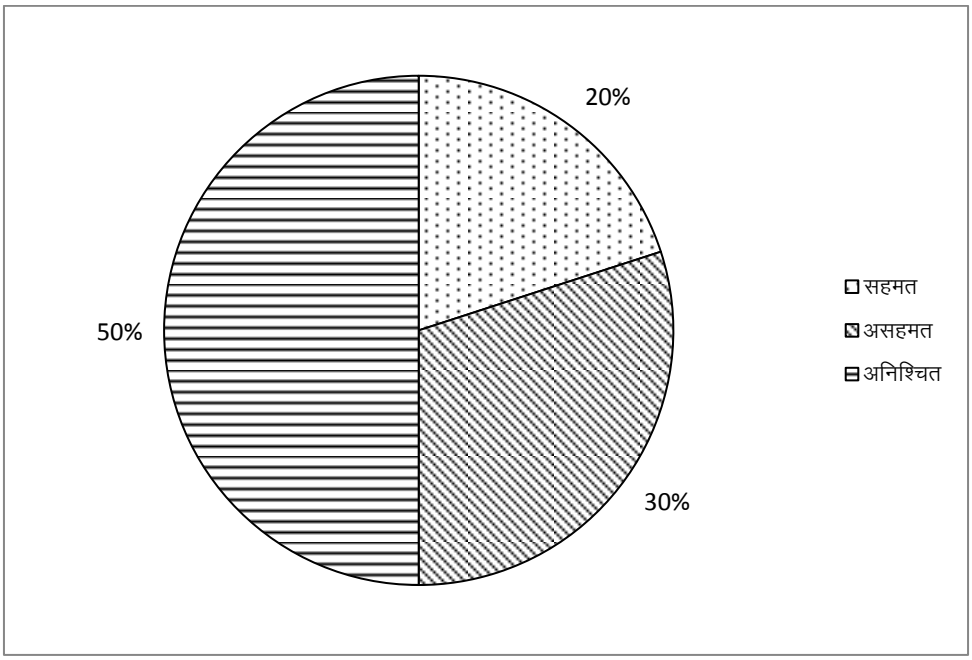

उपरोक्त सारणी संख्या 4 से पता चलता है कि 20 प्रतिशत अध्यापकों के मतानुसार समुदाय के लोग बच्चों की शिक्षा के लिए सहयोग करते है जबकि 30 प्रतिशत अध्यापकों के अनुसार समुदाय नहीं करता है तथा 50 प्रतिशत अध्यापक अनिश्चितता रखते हैं।

सारणी संख्या –5

प्र.5 क्या विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम है?

सहमत	असहमत	अनिश्चित
60%	**20%**	**20%**

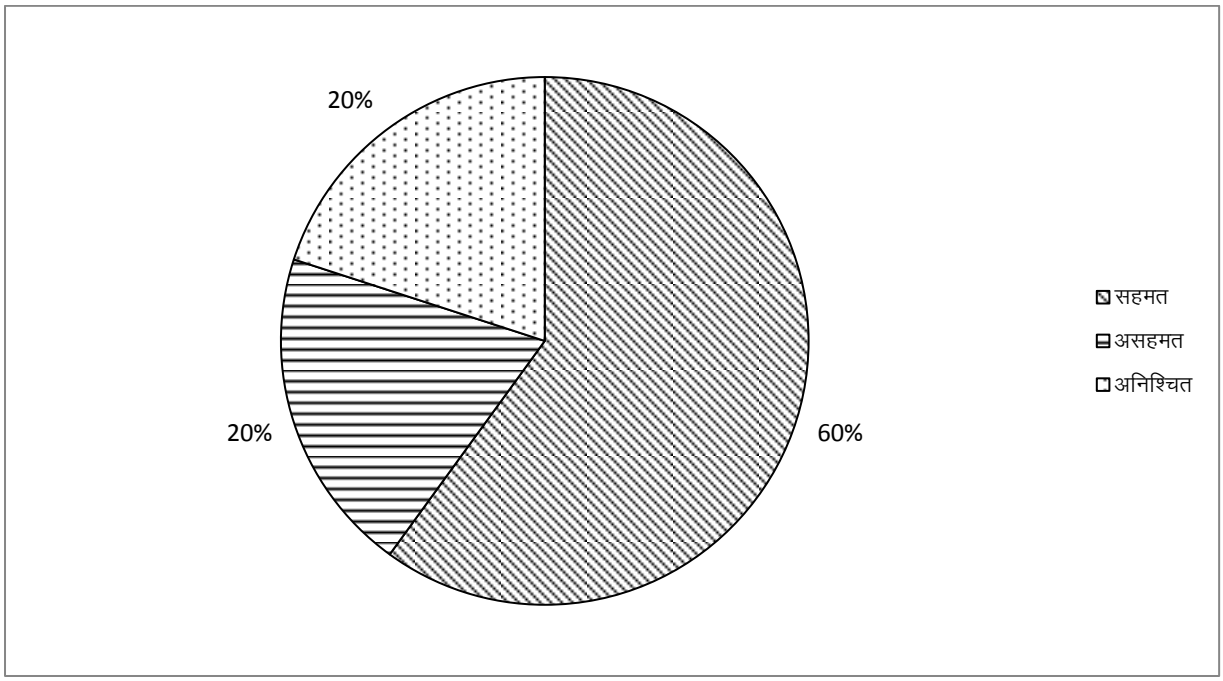

उपरोक्त सारणी संख्या 5 से पता चलता है कि 60% अध्यापक विद्यार्थियों की उपस्थिति कम मानते है यह उपस्थिति उनके व्यवसाय के कारण है। जबकि 20% इस तथ्य से सहमत है तथा 20% अध्यापक अनिश्चितता रखते है।

सारणी संख्या –6

प्र.6 क्या विद्यालय में बच्चें कम आते है तो क्यों?

व्यवसायिक कारण	शिक्षा के अरूचि	पारिवारिक कारण
30%	**30%**	**40%**

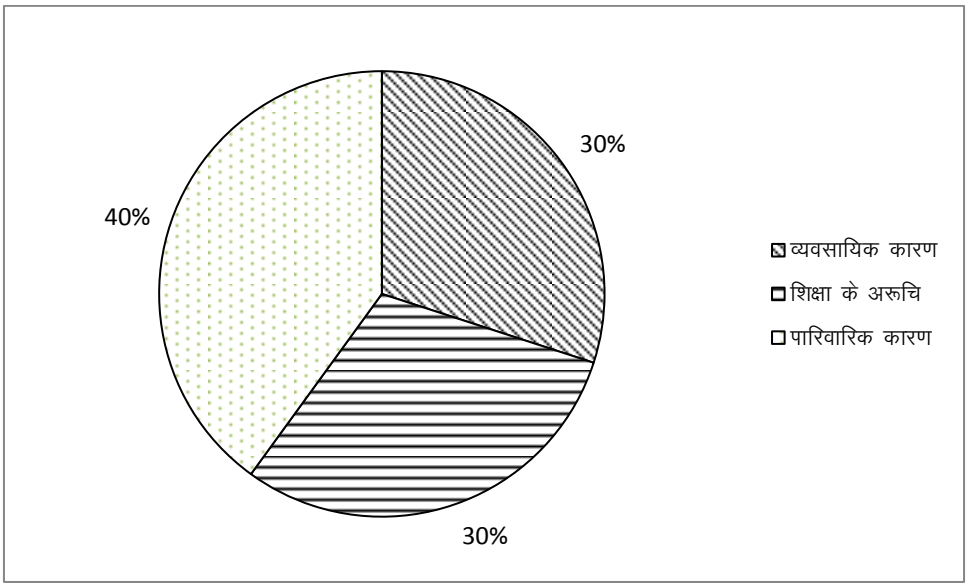

उपरोक्त सारणी संख्या 6 से पता चलता है कि 30 प्रतिशत अध्यापक बच्चे के विद्यालय के कम आने के कारण इनके परम्परागत व्यवसाय को मानते है जबकि 30 प्रतिशत अध्यापक शिक्षा के प्रति अरूचि इसका कारण मानते है क्योंकि उनको शैक्षिक वातावरण नहीं प्राप्त होता है तथा 40 प्रतिशत पारिवारिक कारणों को महत्व देते हैं।

सारणी संख्या –7

प्र.7 बालिका शिक्षा की कमी का क्या कारण है?

व्यवसायिक कारण	शिक्षा के अरूचि	पारिवारिक कारण
40%	**40%**	**20%**

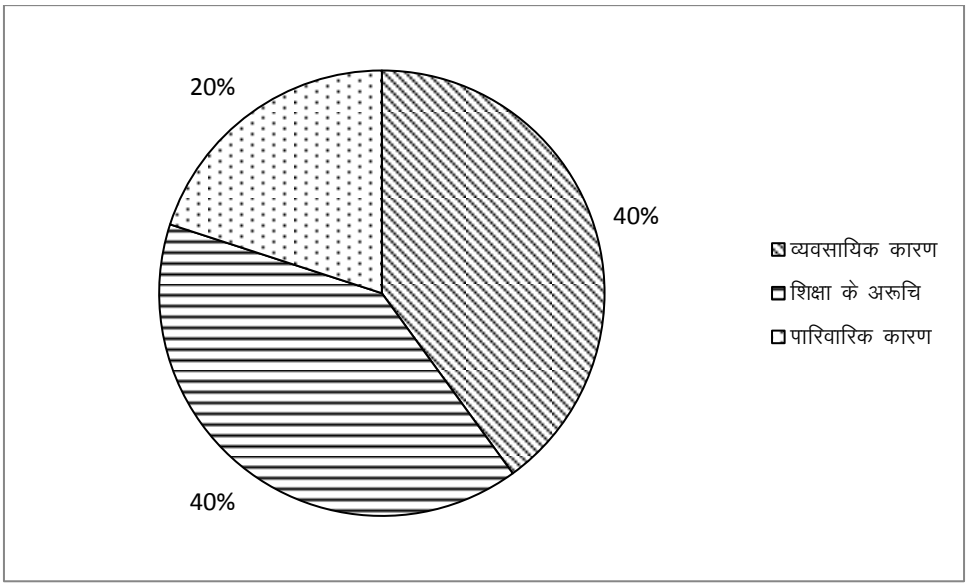

उपरोक्त सारणी संख्या 7 से पता चलता है कि 50 प्रतिशत बालिका शिक्षा में कमी का कारण देह व्यापार मानते है जो इनका परम्परागत व्यवसाय है जबकि 10 प्रतिशत अध्यापक शिक्षा के प्रति अरूचि को इसका कारण मानते है तथा 20 प्रतिशत अध्यापक पारिवारिक कारणों को शिक्षा से दूरी का आधार मानते हैं।

सारणी संख्या –8

प्र.8 क्या समुदाय के वृद्धों का शिक्षा के क्षेत्र मे हस्तक्षेप है?

सहमत	असहमत	अनिश्चित
40%	**40%**	**20%**

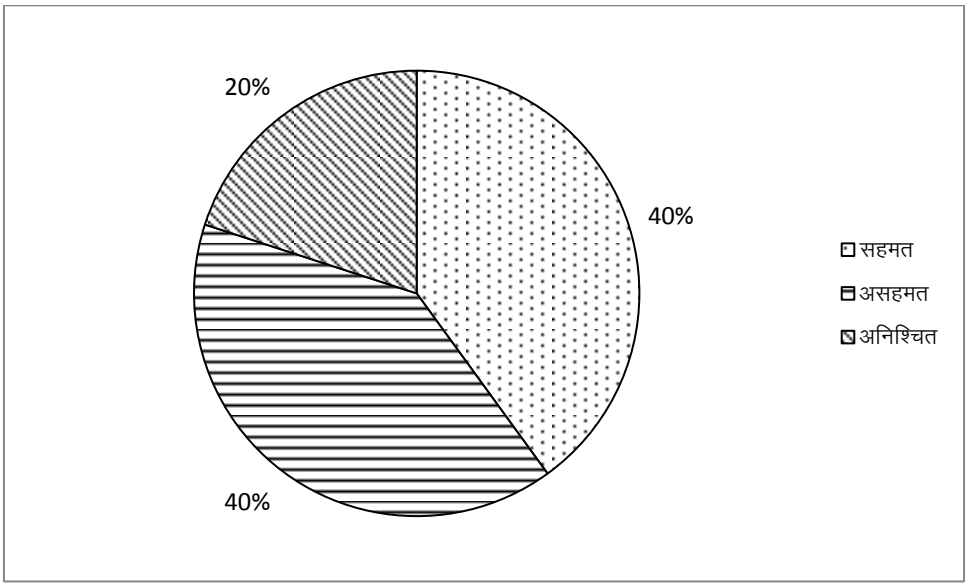

उपरोक्त सारणी संख्या 8 से पता चलता है कि 40 प्रतिशत अध्यापक इस तथ्य से सहमत है कि समुदाय के वृद्धों का शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप है जबकि 40 प्रतिशत अध्यापक असहमत है क्योंकि इस समुदाय वर्तमान में अपने व्यवसाय के कारण शिक्षा के प्रति जागृति आयी है तथा 20 प्रतिशत अध्यापक अनिश्चितता रखते हैं।

सारणी संख्या –9

प्र.9 क्या परिवर्तन के साथ–साथ मे लोग शिक्षा के प्रति जागृत हुये है?

सहमत	असहमत	अनिश्चित
60%	**20%**	**20%**

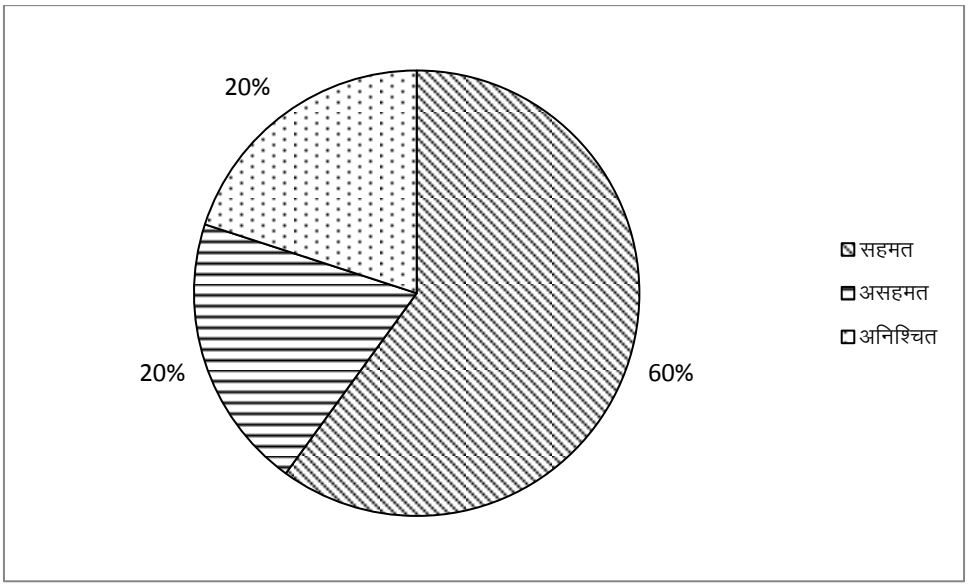

उपरोक्त सारणी संख्या 9 से पता चलता है कि 60 प्रतिशत अध्यापक उक्त तथ्य से सहमत है इस व्यवसाय की लड़कियों को विदेश मे जाने के कारण इनका शिक्षा के प्रति रूझान बढा है। 20 प्रतिशत अध्यापक सहमत है अर्थात् वे शिक्षा के प्रति जागृति को नहीं मानते तथा 20 प्रतिशत अध्यापक इस तथ्य से अनिश्चितता रखते है।

सारणी संख्या –10

प्र.10 आपके अनुसार बच्चों की शिक्षा की प्रमुख कठिनाईयाँ क्या है?

साधनो की कमी	उपयुक्त वातावरण अभाव	व्यवसाय
30%	**50%**	**20%**

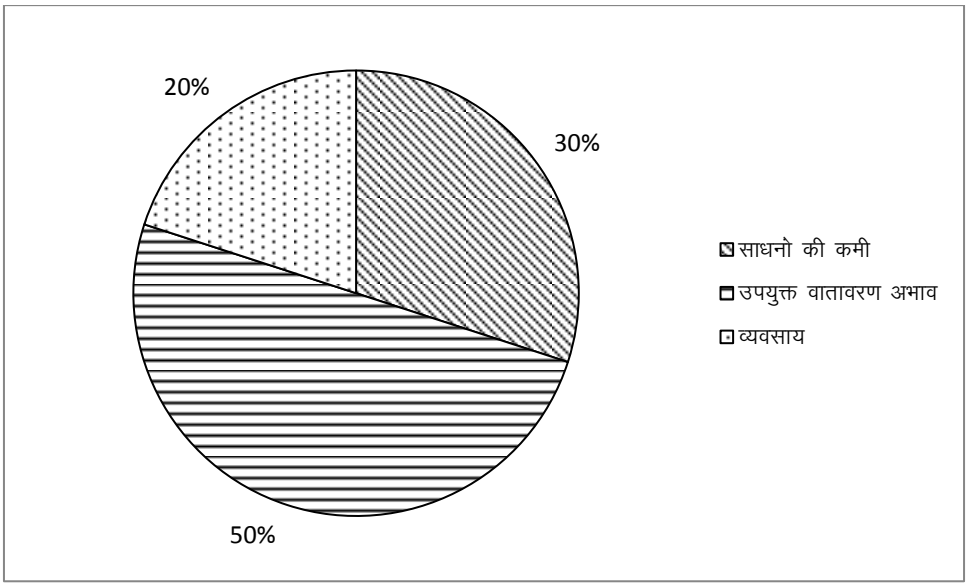

उपरोक्त सारणी संख्या 10 से पता चलता है कि 30% अध्यापक शिक्षा की प्रमुख कठिनाई साधनों की कमी को मानते है। जिससे शिक्षा में सक्रियता कम होती है जबकि 50% उपयुक्त वातावरण के अभाव को प्रमुख कठिनाई मानते है अर्थात् बालकों को शिक्षा का उपयुक्त वातावरण प्राप्त नहीं हो पाता 20% अध्यापक शिक्षा की प्राप्ति में प्रमुख कठिनाईयाँ व्यवसाय को मानते है। जिसका कारण शिक्षा प्राप्ति बाधित होती हैं।

सारणी संख्या –11

प्र.11 आप अपने स्तर पर कौनसे विशेष कार्य इनकी शिक्षा के लिए करना चाहते है?

साधन उपलब्ध कराना	शैक्षिक वातावरण का निर्माण	जागृति उत्पन्न करना
20%	**50%**	**30%**

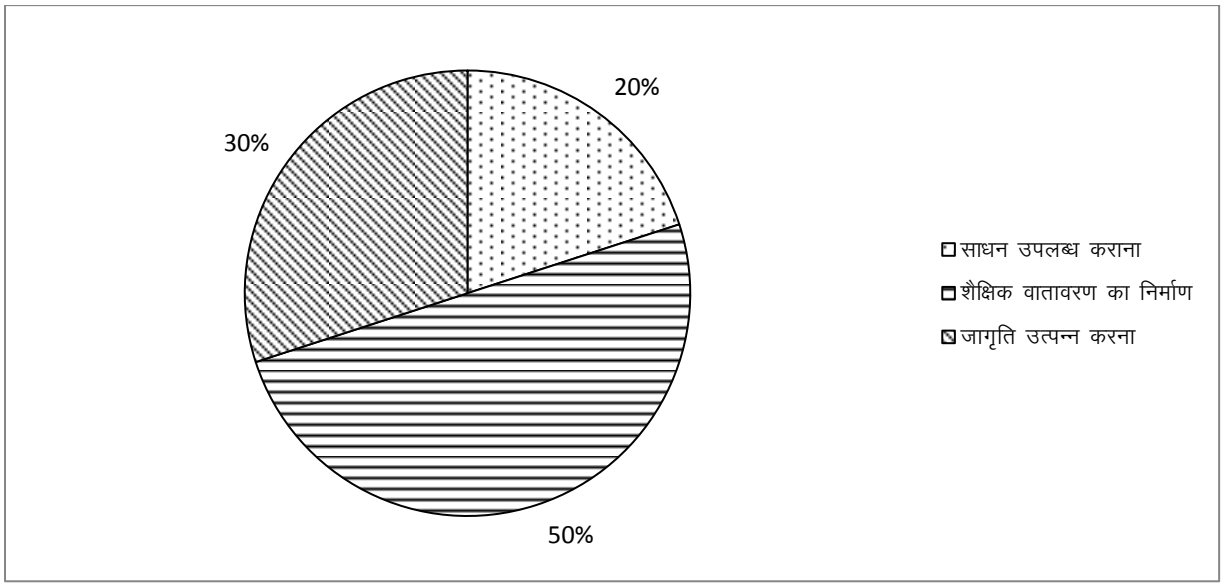

उपरोक्त सारणी संख्या 11 से पता चलता है कि 20% शिक्षा के विकास के लिए नये साधन उपलब्ध करवाना चाहते है ताकि शिक्षा प्राप्ति में कोई कठिनाई न हो। जबकि 50% शैक्षिक वातावरण के निर्माण पर जोर देते है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ने मे रूचि विकसित हो सके तथा 30% अध्यापक शिक्षा के प्रति समुदाय मे जागृति को उत्पन्न करने मे प्रयास को महत्व देते हैं।

सारणी संख्या –12

प्र.12 क्या आप शिक्षा सुधार के कार्य कर पा रहे है?

हाँ	नहीं	अनिश्चित
40%	**30%**	**30%**

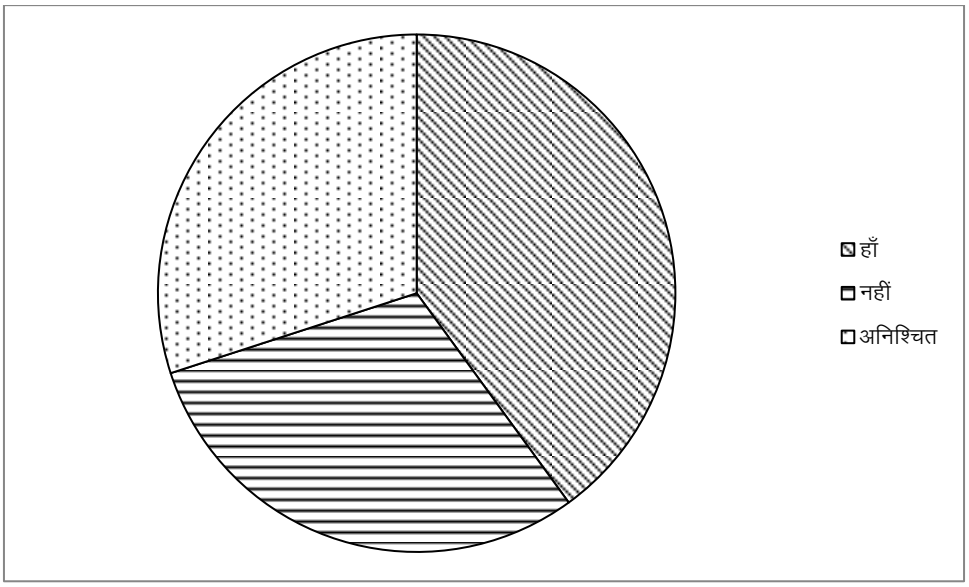

उपरोक्त सारणी संख्या 12 से पता चलता है कि 40% ही शिक्षा के प्रति बच्चो को जागरूक कर पा रहे है जबकि 30% अध्यापक नहीं कर पा रहे हैं। 30% अध्यापक अनिश्चितता रखते हैं।

परिकल्पना :

नट समुदाय के सामाजिक शैक्षिणक पिछड़ेपन एवं परम्परागत व्यवस्था के कारण नट समुदाय के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुऐ रहते है। उक्त सर्वेक्षण अनुसूची के आंकड़ो के विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्यायें (अभिभावकों के दृष्टिकोण से) संकेत (*) अभिभावकों हेतु सर्वेक्षण अनुसूची में दिये कथनानुसार

सारणी संख्या 1

प्र. 1 क्या आप अपने बच्चों को गांव के विद्यालयों में भेजना पसन्द करते है?

हाँ	नहीं	अनिश्चित
60%	**30%**	**10%**

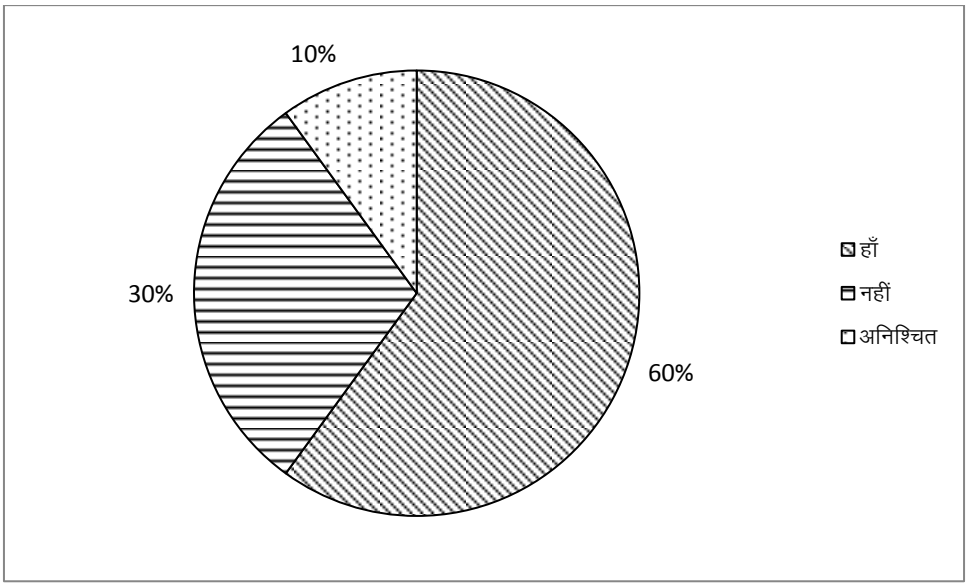

उपरोक्त सारणी संख्या 1 से पता चलता है कि 60% अभिभावक अपने बच्चों को अपने गांव/शहर के विद्यालय में भेजना पसन्द करते है। 30% अभिभावक अपने बच्चों को गांव के विद्यालय में भेजना पसंद नहीं करते है। जिनका कारण बच्चों के साथ किया जाने वाला व्यवहार है। जबकि 10% अभिभावको का उत्तर अनिश्चिता पूर्ण रहा।

सारणी संख्या 2

प्र. अपने बच्चों को किस विद्यालय में भेजना पसन्द करते है?

समुदाय के विद्यालय में	सरकारी विद्यालय में	निजी विद्यालय में
20%	**70%**	**10%**

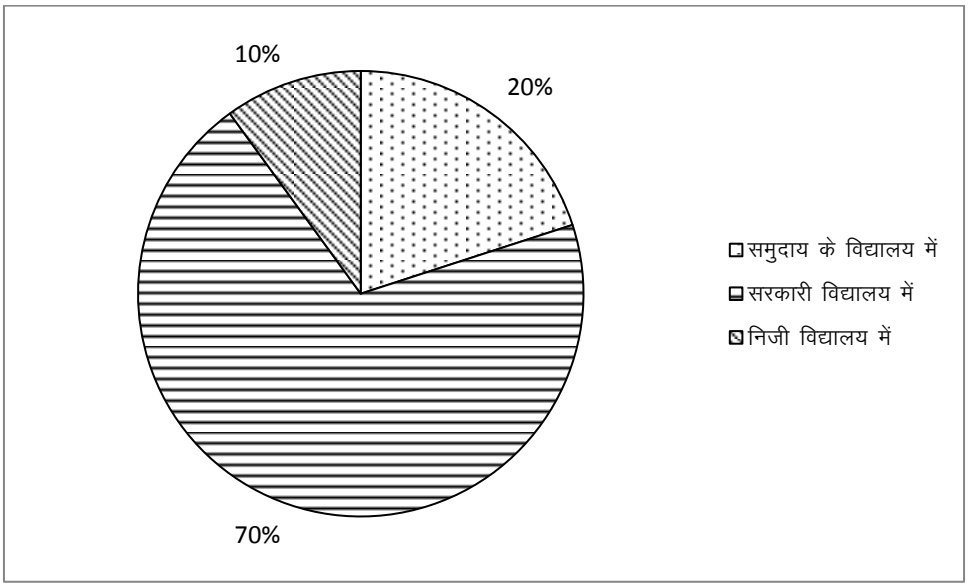

उपरोक्त सारणी संख्या 2 से पता चलता है कि 20% अभिभावक अपने बच्चों को समुदाय के विद्यालय में भेजना पसन्द करते है। जबकि सिर्फ 70% अभिभावकों अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजना पसन्द करते है। जबकि 10% अभिभावकों निजी विद्यालय में भेजना पसन्द करते है।

सारणी संख्या 3

प्र. क्या व्यवसाय के कारण बच्चों को विद्यालय में भेजने पर कठिनाई आती है?

सहमत	असहमत	अनिश्चित
20%	40%	40%

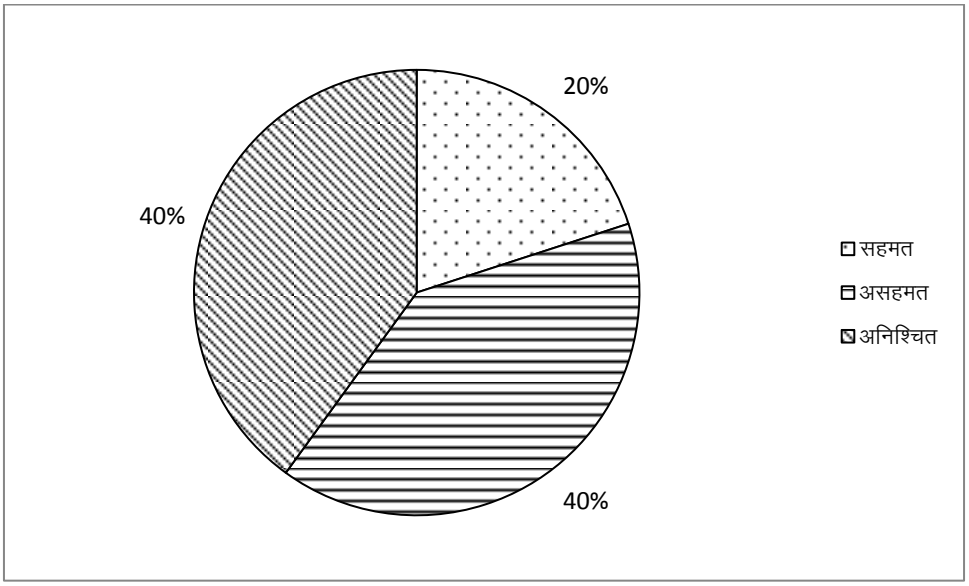

उपरोक्त सारणी संख्या 3 से पता चलता है कि 20% अभिभावक को उत्तर हाँ रहा। जबकि 40% अभिभावकों का उत्तर नहीं रहा। तथा 40% अभिभावकों का उत्तर अनिश्चित रहा।

सारणी संख्या 4

प्र. क्या सामाजिक परिस्थिति बच्चों की पढाई में बाधक है ?

सहमत	असहमत	अनिश्चित
40%	40%	20%

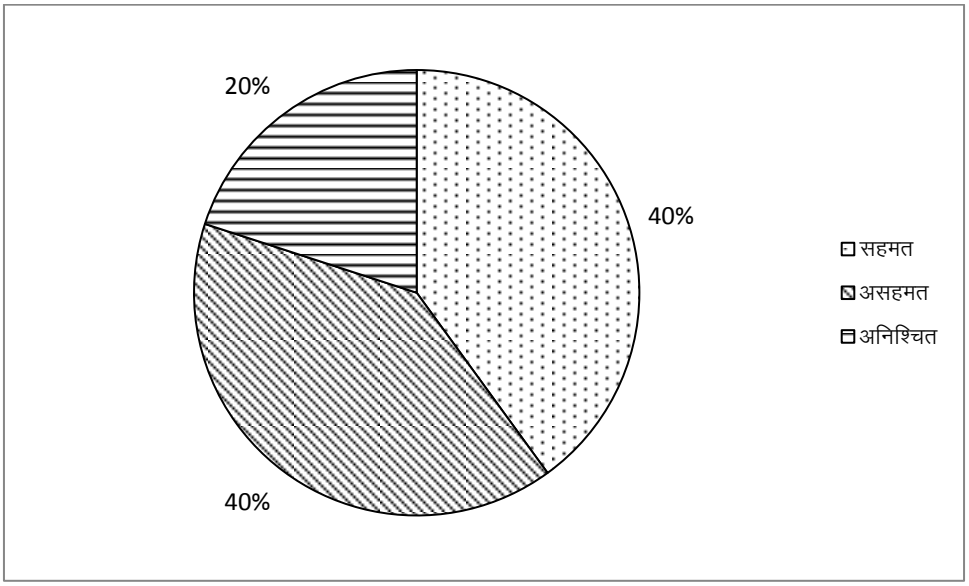

उपरोक्त सारणी संख्या 4 से पता चलता है 40% प्रतिशत अभिभावक सामाजिक परिस्थिति को शिक्षा में बाधक मानते है। जबकि 40% इस तथ्य से असहमत है तथा 20% अभिभावक इस प्रश्न के प्रति अनिश्चितता रखते है।

सारणी संख्या 5

प्र. सरकारी विद्यालय में भेजना क्यों नहीं चाहते है ?

साधनों की कमी	असमानता का व्यवहार	उचित ध्यान नहीं देना
60%	20%	20%

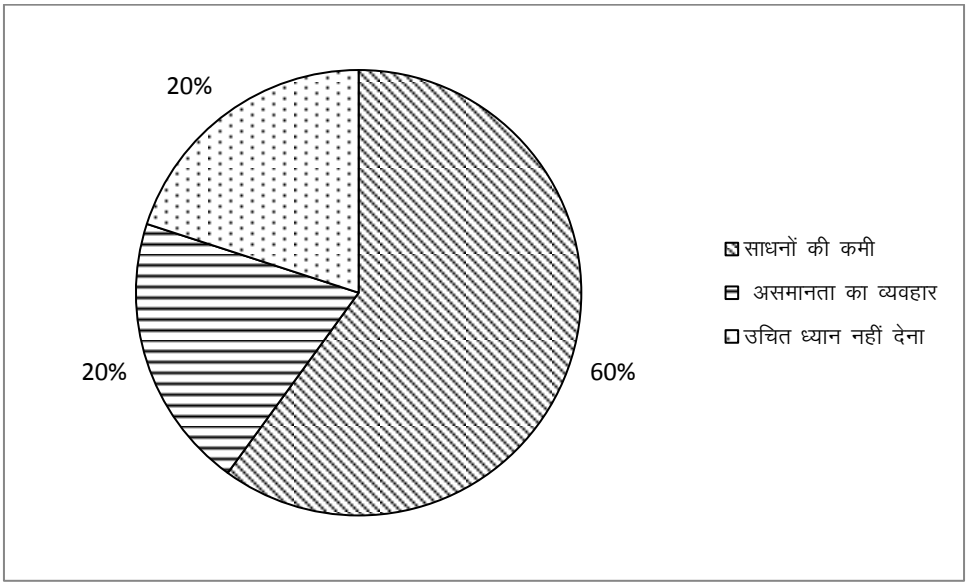

उपरोक्त सारणी संख्या 5 से पता चलता है 60% प्रतिशत अभिभावक साधनों की कमी के कारण सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं भेजते है। जबकि 20% अभिभावक असमानता के व्यवहार के किये जाने के कारण अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं भेजते है। 20% अभिभावक उचित ध्यान नहीं देने के कारण अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजने को सहमत नहीं है।

सारणी संख्या 6

प्र. क्या आप अपने बच्चों को पढाना चाहते है?

सहमत	असहमत	अनिश्चित
80%	10%	10%

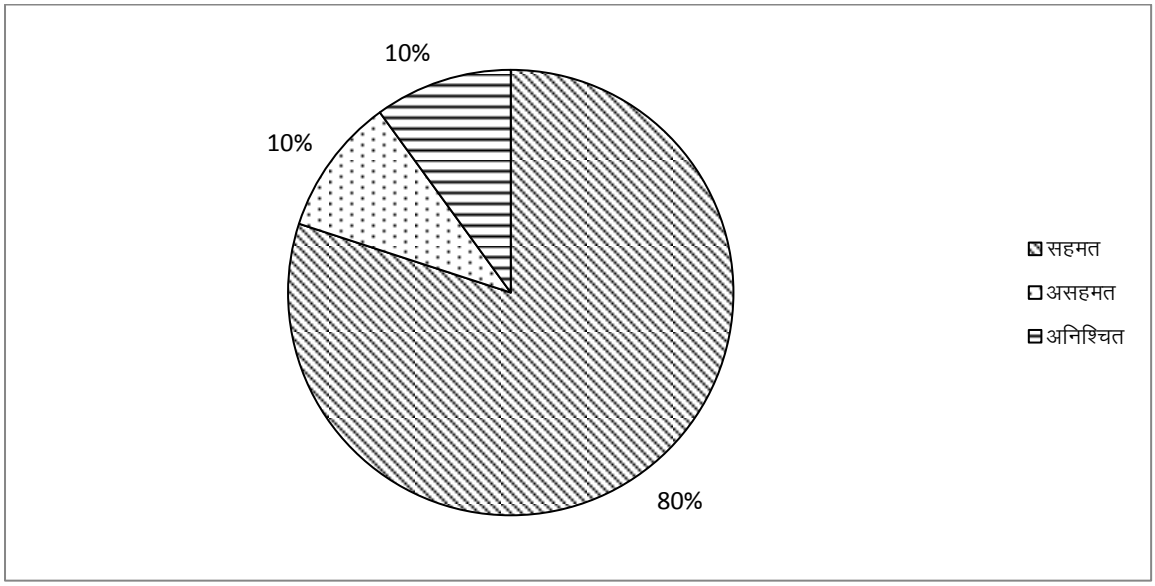

उपरोक्त सारणी संख्या 6 से पता चलता है कि 80% अभिभावक अपने बच्चों को पढाना चाहते है क्योंकि यह इनके व्यवसाय में भी उपयोगी है। 10% अभिभावक असहमत है क्योंकि उनके पास धन की कमी है। 10% अभिभावक अनिश्चितता की स्थिति में है।

सारणी संख्या 7

प्र. आपके बच्चों के लिए शिक्षा का महत्व है तो क्यों ?

रोजगार प्राप्ति के लिए	जीवनयापन के लिए	अनिश्चिता
10%	80%	10%

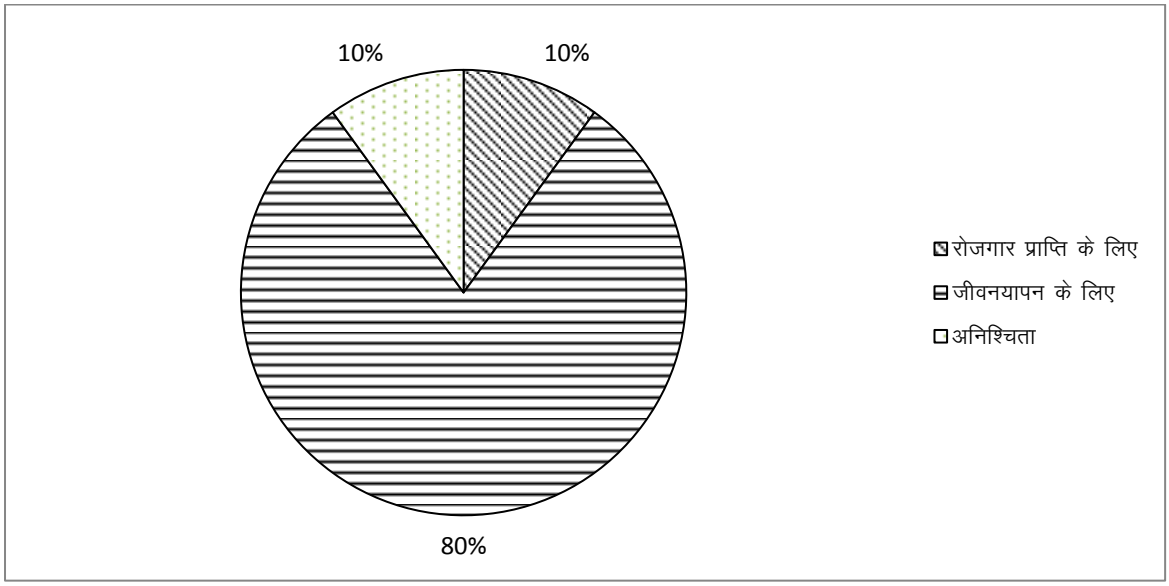

उपरोक्त सारणी संख्या 7 से पता चलता है कि 10% अभिभावक अपने बच्चों के लिए शिक्षा के महत्व रोजगार प्राप्ति के लिए मानते है। जबकि 80% अभिभावकों अपने बच्चों का जीवनयापन के लिए शिक्षा के महत्व को मानते है। जबकि 10% अनिश्चितता रखते है।

सारणी संख्या 8

प्र. आपको समुदाय में शिक्षा के निम्न स्तर का मुख्य कारण क्या मानते है?

व्यवसाय	जागृति का अभाव	साधनों की अनुपलब्धता
20%	30%	50%

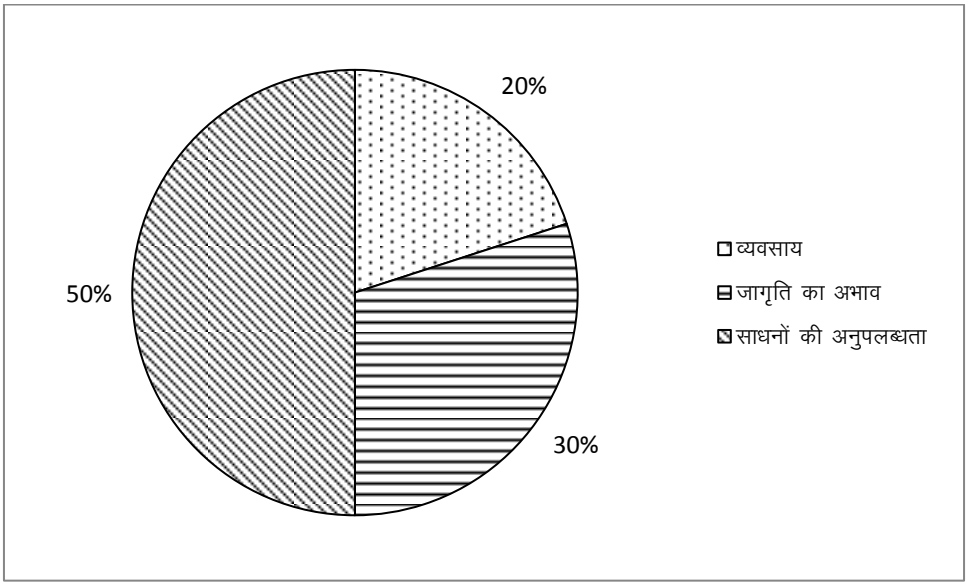

उपरोक्त सारणी संख्या 8 से पता चलता है कि 20% नट समुदाय में शिक्षा निम्न स्तर का मुख्य कारण व्यवसाय को मानते है। जबकि 30% शिक्षा के प्रति जागृति का अभाव मुख्य कारण मानते है तथा 50% साधनों की अनुपलब्धता को शिक्षा के निम्न स्तर का कारण मानते है।

सारणी संख्या 9

प्र. सरकार या समाज से शिक्षा के स्तर को उच्च बताने के लिए अपेक्षा क्या है?

साधनों की उपलब्धता	उचित सहयोग	समानता का व्यवहार
30%	60%	10%

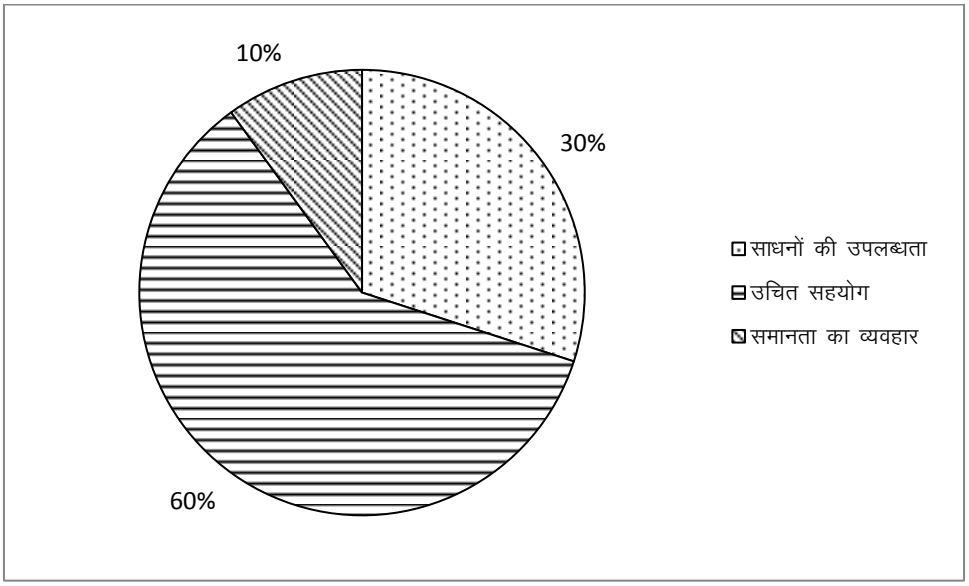

उपरोक्त सारणी संख्या 9 से पता चलता है कि 30% अभिभावक सरकार या समाज से शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए साधनों की उपलब्धता के लिए सहमत है। जबकि 60% अभिभावक उचित सहयोग तथा 10% अभिभावक समानता के व्यवहार पर जोर देते है।

सारणी संख्या 10

प्र. क्या अपने समुदाय का सामाजिक वातावरण बालकों के विद्यालय जाने में बाधक है?

सहमत	असहमत	अनिश्चित
50%	20%	30%

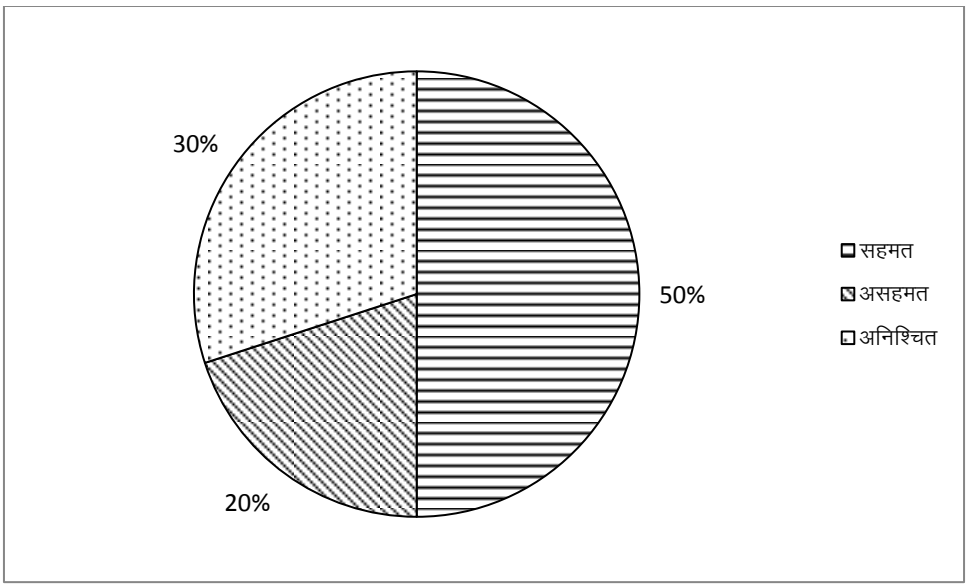

उपरोक्त सारणी संख्या 10 से पता चलता है कि 50% अभिभावक समुदाय के सामाजिक वातावरण को बालको के विद्यालय जाने में बाधक मानते है। जबकि 20% अभिभावक नहीं मानते है तथा 30% अभिभावक इस तथ्य से अनिश्चितता रखते है।

सारणी संख्या 11

प्र. क्या पारिवारिक वातावरण नट समुदाय के विद्यार्थियों

सहमत	असहमत	अनिश्चित
50%	20%	30%

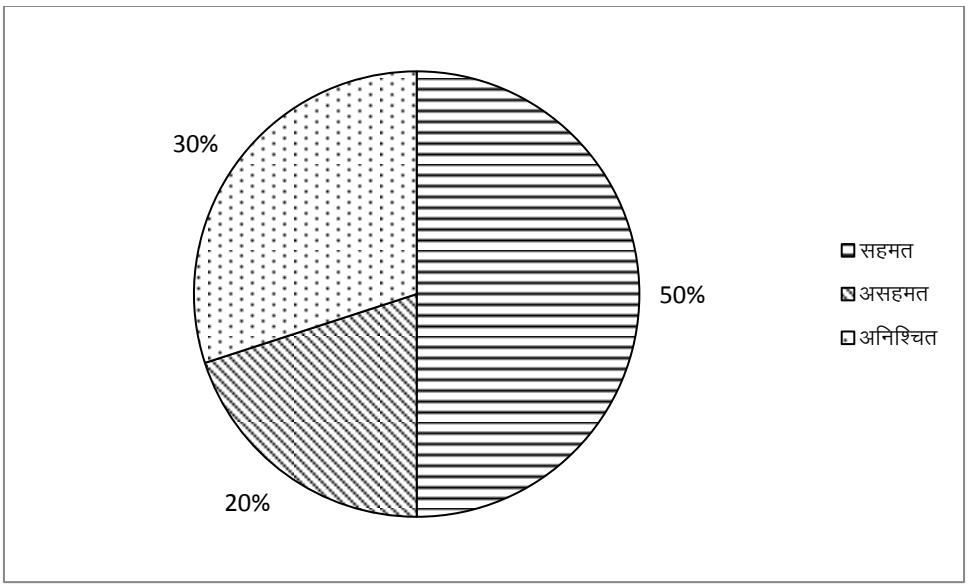

उपरोक्त सारणी संख्या 11 से पता चलता है कि 50% अभिभावक उक्त तथ्य पारिवारिक वातावरण नट समुदाय के विद्यार्थियों की शिक्षा प्राप्ति में बाधक से सहमत है। जबकि 20% उक्त तथ्य पारिवारिक वातावरण नट समुदाय के विद्यार्थियों की शिक्षा प्राप्ति में बाधक असहमत है। तथा 30% अभिभावक उक्त तथ्य पारिवारिक वातावरण नट समुदाय के विद्यार्थियों की शिक्षा प्राप्ति में बाधक की अनिश्चितता रखते है।

सारणी संख्या 12

प्र. वर्तमान समय में नट समुदाय में शिक्षा के प्रति चेतना जाग्रत होने का आधार क्या है ?

व्यवसायिक द्वन्द्व	आधुनिकता का विकास	साधनों का विकास
20%	50%	30%

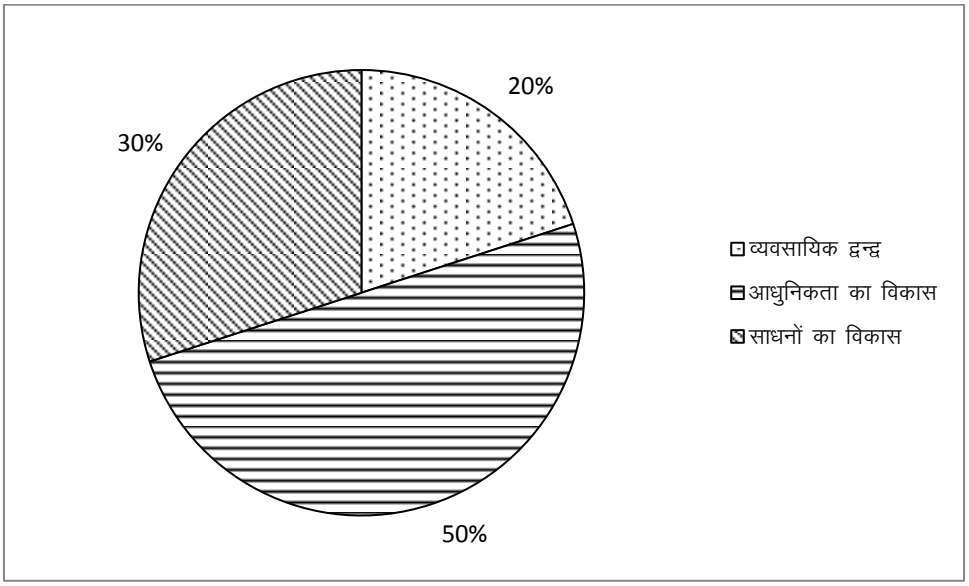

उपरोक्त सारणी संख्या 12 से पता चलता है कि 20% अभिभावक समुदाय के शिक्षा के प्रति चेतना जाग्रत होने का आधार व्यवसायिक प्रति द्वन्द्व मानते है। जबकि 50% अभिभावक आधुनिकता के विकास को महत्व मानते है तथा 30% अभिभावकों साधनों के विकास को प्रमुख महत्व मानते है।

सारणी संख्या 13

प्र. आपके समुदाय के विद्यार्थियों की प्राथमिक शालाओं की प्रमुख शैक्षणिक समस्याए क्या है ?

शैक्षणिक वातावरण की समस्या	उचित मार्गदर्शन नहीं मिलना	साधनों का अभाव
50%	20%	30%

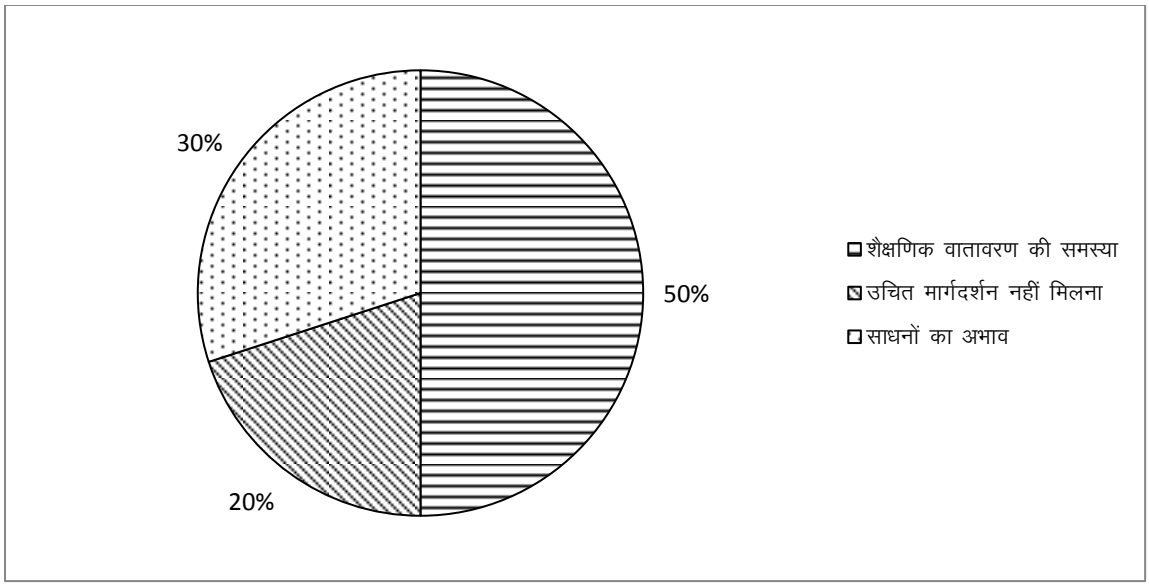

उपरोक्त सारणी संख्या 13 से पता चलता है कि 50% अभिभावकों शैक्षणिक वातावरण की समस्या को प्रमुख मानते है। जबकि 20% अभिभावक विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन नही मिलना प्रमुख समस्या मानते है। 30% अभिभावक साधनों का अभाव मुख्य कारण मानते है।

सारणी संख्या 14

प्र. सभी शैक्षणिक समस्याओं के कारण क्या है ?

सरकारी असहयोग	समुदायिक असहयोग	व्यवसायिक कारण
30%	50%	20%

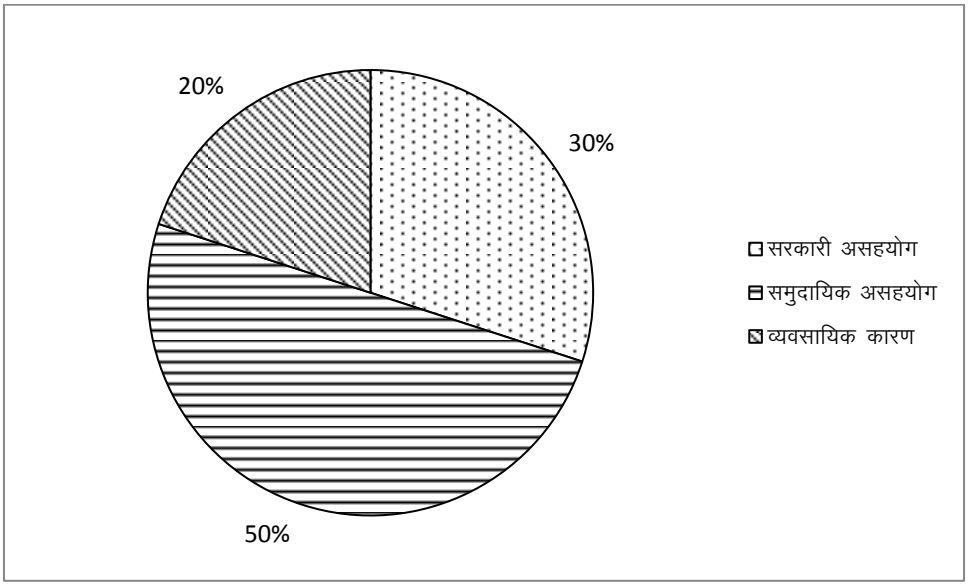

उपरोक्त सारणी संख्या 14 से पता चलता है कि 30% अभिभावक शैक्षणिक समस्याओं का कारण सरकारी असहयोग जबकि 50% अभिभावक सामुदायिक असहयोग तथा 20% अभिभावक व्यवसायिक कारणों को मानते है।

सारणी संख्या 15

प्र. आपके समुदाय के विद्यार्थियों की प्राथमिक शालाओं की प्रमुख शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होता है?

सहमत	असहमत	अनिश्चित
50%	30%	20%

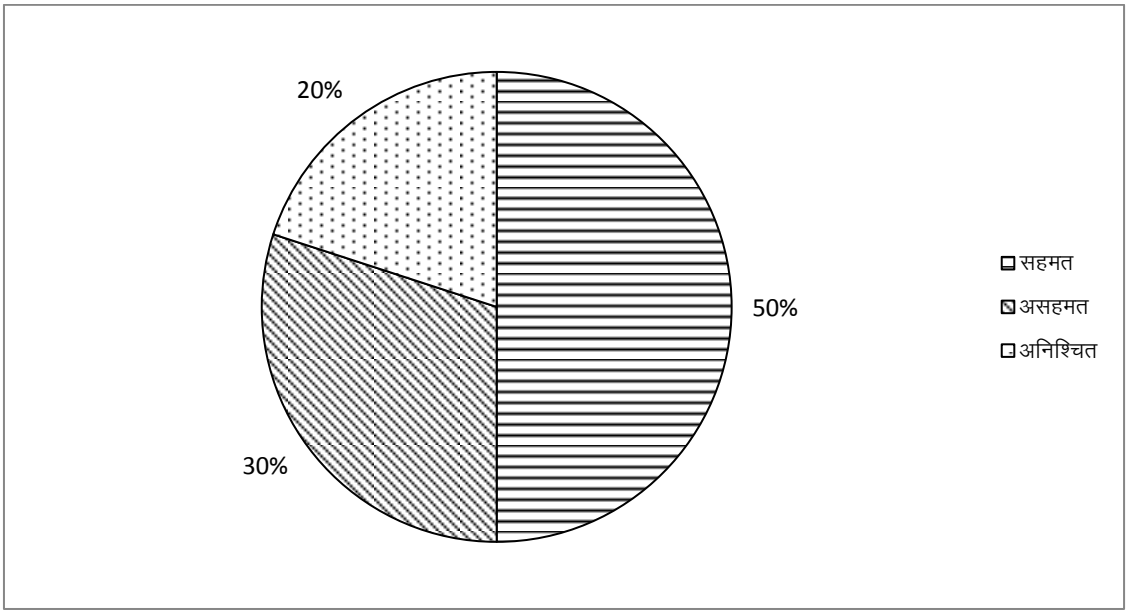

उपरोक्त सारणी संख्या 15 से पता चलता है कि 50% अभिभावक मानते है कि उनमें समुदाय के विद्यार्थियों को उचित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध होता है। जबकि 30% अभिभावक मानते है कि कि उनके समुदाय के विद्यार्थियों को उचित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध नहीं होता है तथा 20% अभिभावक इस तथ्य अनिश्चितता रखते है।

पंचम अध्याय

शोध सार एवं निष्कर्ष

प्रस्तावना :–

शिक्षा व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक निरन्तर चलने वाली वह स्वाभाविक प्रक्रिया है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है तथा उसे सामाजिक प्राणी भी बनाती है। शिक्षा ही वह श्रेष्ठता है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से पृथक स्वरूप प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा समाज अपनी संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा करते हुये उसे आगे बढाता है और शिक्षा मनुष्य को पूर्णत्व प्रदान करने का साधन है। शिक्षा की प्रक्रिया मानवेतर प्राणियों में भी चलती है। परन्तु उनकी शिक्षा केवल आत्मरक्षा के कार्यो तक सीमित रहती है। जबकि मनुष्य की शिक्षा उनमें विवेक जाग्रत करती है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु से ऊपर नही उठ सकता।

नट समुदाय :–

नट समुदाय स्वतंत्रता से पूर्व राजा–महाराजाओं के शासनकाल में उनकी संतानों को तहजीब और तमीज सिखाने का कार्य भी करता था। क्योंकि राजा–महाराजाओं के सामने इस समाज की महिलायें नृत्यांगना का का कार्य भी करती थी। जो इनके उस्तादों के माध्यम से तहजीब व तमीज सीख करके राजा–महाराजाओं द्वारा प्रेरित होकर यह कार्य किया जाता था। धीरे–धीरे समय बीतने पर हमारा देश आजाद होने के बाद इस समुदाय को जीविकोपार्जन का साधन या अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया न कराने के कारण मजबुर होकर इन्हें वैश्यावृति की और अग्रसर होना पड़ा।

समस्या कथन :–

''जयपुर जिले के नट समुदाय के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिणिक समस्याओं का अध्ययन।''

महत्व :–

प्रस्तुत शोध कार्य का प्रमुख महत्व है कि उपर्युक्त समस्या नट समुदाय का बालकों की प्रमुख एवं जटिल समस्या है। जिसे देखकर यह शोधाकार्य सुधारात्मक दृष्टिकोण से सम्पन्न किया गया है। इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। इस शोध कार्य को सफल बनाने में संबंधित साहित्य का भी बहुत महत्व है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन शोधकर्ता को उस स्थिति तक पहुँचाता है, जहां अपने क्षेत्र एवं परस्पर विरोधी तक पहुँचाता है, जहाँ वह अपने क्षेत्र एवं परस्पर विरोधी उपलब्धियों एवं नवीन अनुसंधान कार्यो से परिचित होता है। इस सदंर्भ में गुडवार एवं स्कॉट का मानना है कि ''एक कुशल चिकित्सक के लिए आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में औषधि संबंधी आधुनिकतम खोजों से परिचित होता रहें। उसी प्रकार शिक्षा का जिज्ञासु छात्र अनुसंधान से संबंधित सूचनाओं एंव खोजों से परिचित होना आवश्यक है।''

शोध उद्देश्य :–

1. नट समुदाय की प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं का अध्ययन।
2. नट समुदाय के विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं के प्रमुख कारणों का अध्ययन।
3. नट समुदाय के बालकों में शैक्षणिक वातावरण का अध्ययन।
4. नट समुदाय के सदस्यों की शिक्षा के प्रति सोच का अध्ययन।

शोध की परिकल्पनाएं :–

अध्ययन से सम्बंधित शोध परिकल्पना निम्नलिखित है– ''नट समुदाय के सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन एवं परम्परागत व्यवसाय के कारण नट समुदाय के बालक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुये रहते है।''

यह परिकल्पना शोध समस्या का आधार है, जिसकी समस्या से घनिष्ठ संबंध है।

शोध विधि :–

सर्वेक्षण विधि :–

''सर्वेक्षण शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि समाज मे संबंधित जनसंख्या का सुक्ष्म अवलोकन कर अपेक्षित जानकारी प्राप्त करना।'' सर्वेक्षण शब्द की उत्पति मूल रूप से अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों या सार एव ंबीयर से मानी जाती है। जिसका सामान्य अर्थ ऊपर से देखना या निरीक्षण करना होता है।

सर्वेक्षण विधि के प्रकार :–

सर्वेक्षण विधि कई प्रकार की होती है।

1. विवरणात्मक सर्वेक्षण
2. विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण
3. सामाजिक सर्वेक्षण
4. विद्यालय सर्वेक्षण
5. आदर्श मूलक सर्वेक्षण

न्यादर्श :–

जयपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नट समुदाय के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, अध्यापकों व अभिभावकों का यादृच्छिक न्यादर्श लिया गया।

न्यादर्श (60)

छात्र		अध्यापक	अभिभावक
बालक	बालिकाये	10	10
20	20	10	10

उपकरण :–

अध्ययन की प्रकृति एवं प्रश्नों के आधार पर आकड़ों के संकलन हेतु निम्न प्रविधियों का चयन करते हुये शोध आंकड़े सकंलन के समय उपयोग किया गया।

1. अवलोकन
2. अनुसूची
3. साक्षात्कार
4. सामुहिक चर्चा
5. फोटोग्राफी

शोध के प्रमुख निष्कर्ष :–

शोधकार्य में तथ्यों के एकत्रिकरण के उपरान्त उनको व्यस्थित सारणीयन करके परिणामया निष्कर्ष प्राप्त किये जाते है। जिनसे उस शोध के संबंध में भिन्न–भिन्न निष्कर्ष प्राप्त होते है।

नट समुदाय के प्राथमिक स्तर पर शैक्षिण्कि योग्ताओं के संदर्भ में निष्कर्ष

विद्यार्थियों का दृष्टिकोण : (निष्कर्ष)

नट समुदाय में प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक समस्याओं के सन्दर्भ में विद्यार्थियों का दृष्टिकोण निम्नलिखित रहा।

1. विद्यालय भवन समुदाय के अति निकट स्थित है। जिसके कारण उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता है। सभी सामान्य गतिविधियों के आस–पास चलने से शिक्षा में विध्न पड़ता है तथ अध्ययन के समय एकाग्रचित नही हो पाते हैं।

2. विद्यालयों की संख्या सीमित है जिसके कारण शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते है।

3. विद्यालय की समय सारणी अनिश्चित होने से निरन्तर पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्योंकि यह दिन में अपना नाचने का व्यवसाय भी करते है।

4. समय सारणी 10 से 4.30 का होने पर अन्य गतिविधियों से शिक्षा कार्य प्रभावित होता है।

5. धन की कमी के कारण बच्चों के पास अध्ययन सामग्री का अभाव है। यह एक प्रमुख समस्या है।

6. अन्य अध्यापक सामग्री जैसे चार्ट, टेबल, कुर्सी, दरी आदि की कमी भी शिक्षण को प्रभावित करती है।

7. अध्यापक सीमित संख्या में है जिससे अध्यापन कार्य प्रभावित होता है।

8. विभिन्न छात्रों को अपने सह–पाठियों से भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे उन भी पढ़ाई में रूकावटे उत्पन्न करते हैं

अभिभावक के दृष्टिकोण से : (निष्कर्ष)

1. अभिभावक अपने बच्चों को गांव के सरकारी विद्यालय में भेजना पसन्द करते है परन्तु कुछ अभिभावक असमानता का व्यवहार होने के कारण अपने समुदाय के विद्यालय में भेजना पसन्द करते है।

2. अपने व्यवसाय के कारण इनको बच्चों को विद्यालय भेजने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

3. इनकी सामाजिक परिस्थिति इनके बच्चों की शिक्षा में बाधक होती है।

4. इनका अपने बच्चों के लिए शिक्षा का महत्व अब स्वीकार्य है।

5. अपने बच्चों के लिए रोजगार प्राप्ति, व्यवसाय आदि के लिए शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते है।

6 व्यवसाय और धन के अभाव के कारण वह उनकी शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दे पा रहे है।

7. वे अपने बच्चे को पढ़ाने के इच्छुक है।

8. व्यवसाय को शिक्षा के निम्न स्तर का कारण मानते है।

9. सरकार या समाज से साधनों की उपलब्धता उचित सहयोग की अपेक्षा करते है।

अध्यापकों के दृष्टिकोण से : (निष्कर्ष) :–

1. इसके अनुसार समुदाय के अधिकांश लोग अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना नहीं चाहते है।

2. नट समुदाय का व्यवसाय इनके बच्चों की शिक्षा में प्रमुख बाधक है।

3. इनके अनुसार इन समुदाय के बालकों में शिक्षा के प्रति कम रूझान है। छात्राओं में अधिक रूझान है।

4. समुदाय के लोग इनकी शिक्षा के लिए सामान्यत नहीं करते है।

5. विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम रहता है। विशेष रूप से छात्राओं की।

6. बच्चों को विद्यालय कम आने के कारण अनेक है। जिनमें इनके परम्परागत व्यवसाय के कारण अधिक विद्यार्थियों का विद्यालय आना कम होता है। शिक्षाा के प्रति अरूचि तथा अन्य पारिवारिक कारण जैसे धनार्जन आदि के कारण भी विद्यार्थियों को विद्यालय में जाने से रोका जाता है।

7. बालिका शिक्षा का स्तर तो और भी भिन्न होता है।

8. बालिका शिक्षा की कमी का प्रमुख कारण उनका व्यवसाय है साथ ही लड़कियों की अरूचि तथ पारिवारिक कारणों से भी वह विद्यालय नहीं आती है।

9. शिक्षा की प्रमुख कठिनाई साधानों की कमी है।

10. अन्य कठिनाइयाँ शैक्षिक वातावरण का अभाव तथा व्यवसाय जिसके कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते है।

शोध परिपेक्ष्य में सुझाव :–

विद्यार्थियों को :–

1. विद्यार्थियों का नियमित विद्यालय जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में उन्हें विद्यालय जाना नहीं छोड़ना चाहिए।

2. विद्यालय के सीमित साधनों का भी उचित प्रयोग कर शिक्षा कार्य सुचारू रूप से करते रहना चाहिए।

3. विद्यालय समय सारणी में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।

4. विद्यालय में समायोजन करना आवश्यक है।

5. सहपाठियों से सहयोग पूर्ण व्यवहार करते रहना चाहिए। उनके व्यवहार से विचलित हुए बिना अपने अध्ययन पर ध्यान रखना चहिए।

6. भाषा शिक्षण की कठिनाईयों से अध्यापकों को अवगत करना चाहिए ताकि वे समाधान कर सके।

7. छात्राओं को शिक्षा में रूचि लेने से नहीं रोकना चाहिए।

8. साधनों की सीमितता से शिक्षा को नहीं रोकना चाहिए।

9. व्यवसाय के कारण अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए।

10. कक्षा शिक्षण में आने वाली सभी कठिनाईयों को अध्यापक से कहना चाहिए।

11. अध्ययन कार्य निरन्तर रूप से करते रहना चाहिए।

अभिभावकों से :–

1. अपने बच्चों की रूचि के अनुसार उनको विद्यालय अवश्य भेजें।

2. अपने व्यवसाय के कारण बच्चों की शिक्षा को बाधित न करें।

3. किसी भी कारण से चाहे वह पारिवारिक हो या सामाजिक अपने बच्चों की शिक्षा ने रोकें।

4. अपनी सामाजिक परिस्थिति को बच्चों की शिक्षा में बाधक न मानें।

5. शिक्षा के महत्व का स्वीकार करें।

6. अपने बच्चों की शिक्षा पर उचित ध्यान दें।

7. व्यवसाय के कारण शिक्षा के स्तर को निम्न न होने दे।

8. शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में सहयोग प्रदान करे।

9. अपने सामाजिक वातावरण को शिक्षा में बाधक नहीं बनने दे।

10. पारिवारिक वातावरण को शिक्षा के लिए सहयोगी बनाये।

अध्यापकों :–

1. नट समुदाय में शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करें

2. बच्चों में शिक्षा प्राप्ति के प्रति रूझान बढ़ायें।

3. छात्रों को विशेष प्रोत्साहित करें।

4. बच्चों की सभी शैक्षणिक समस्याओं के कारणों को खोज कर उनको दूर करने का प्रयास करें।

5. बालिका शिक्षा के स्तर को उन्नत करें।

6. शिक्षा की प्रमुख कठिनाई साधनों की कमी है। जिनकों सरकार, समुदाय व अन्य स्वयं सेवी सगठनों के सहयोग से दूर करने का प्रयास करे ताकि विद्यार्थियों को साधनों की कमी से शिक्षा प्राप्ति में कठिनाई न हो।

7. भाषा शिक्षण की विद्यार्थियों की समस्याओं को समझें तथा उनको दूर करने का प्रयास करें।

8. विद्यालय में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करें।

9. समुदाय के सभी व्यक्तियों का सहयोग लेंवे।

10. मातृ भाषा में शिक्षण की व्यवस्था करें।

अन्य जातियों को :–

1. नट समुदाय के बच्चों के साथ उपेक्षित व्यवहार न करके उनसे समानता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे ये भी गांव के सार्वजनिक विद्यालय में अध्ययन कर सकें।

2. अन्य जातियों के प्रतिभावन बच्चों की भांति नट समुदाय के बच्चों को भी राष्ट्रीय पर्वों एवं सार्वजनिक समारोहों पर सम्मानित किया जाना चाहिए, जिससे उनकी प्रतिभा का भी विकास हो सके।

3. नट समुदाय का प्रयोग केवल मतदाताओं के रूप में न करके उन्हें भी विकास की धारा में जोड़ना चाहिए।

सरकार को :–

1. सरकारी महकमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्यक्तिगत मूल्यों से ऊपर उठ कर नट समुदाय की सामुदायिक परिस्थिति को भूल कर उन्हें भी विकास की धारा में जोड़ना चाहिए।

2. सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चाहिए की वे केवल अपनी नौकरी/हाजरी पूरी करने के उद्देश्य मात्र से कार्य न करें।

3. कर्मचारियों को चाहिए की पद के कर्तव्य के साथ–साथ अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझे और नट समुदाय के विकास हेतु कार्य करें।

4. नट समुदाय के बच्चों के साथ होने वाले उत्पीड़न के प्रति सचेत रहे और इस प्रकार के व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ राजकीय नियमों के अनुरूप कार्य करें।

5. समाज में असमानता के प्रति जनचेतना लाने का प्रयास करें, जिससे नट समुदाय भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ा सके।

भावी शोध हेतु सुझाव :–

1. नट समुदाय में स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में कठिनाईयों का अध्ययन।

2. नट समुदाय के शैक्षणिक पिछड़ेपन का अध्ययन।

3. नट समुदाय के विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा के महत्व का अध्ययन।

4. नट समुदाय के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों तथा अन्य सामान्य वर्ग का विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन।

5. नट समुदाय के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों तथा अन्य सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन।

सदंर्भ ग्रन्थ सूची

1. बेस्ट जॉन, डब्ल्यू : (1931) ''रसर्च इन एज्यूकेशन'', प्रिटिंग हॉल, प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली

2. भल्ला एल.आर. : (2000) ''सामाजिक राजस्थान'', कुलदीप प्रकाशन, अजमेर

3. बुच एम. वी. : (1988–91) ''पंचम सर्वे ऑफ रिसर्च इन एज्यूकेशन'', एन. सी. आर. टी., नई दिल्ली

4. चौबे सरयू प्रसाद : (1981) ''शिक्षा समस्याऐ'', विनोद प्रकाशन मंदिर आगरा

5. डॉ. अग्रवाल, उमेश चन्द्र : (2002) ''सभी को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के दिशा मे एक महत्वकांशी कदम'', कुरूक्षेत्र पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली

6. डॉ. हसन मोहम्मद : (2003) ''प्राथमिक शिक्षा प्रयास एवं परिणाम'', कुरूक्षेत्र पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली

7. डॉ.शर्मा आर.ए : ''शोध प्रबंध लेखन'', लॉयल बुक डिपो, मेरठ

8. गुड एण्ड कार्टर वी : (1959) ''इन्ट्रोडकशन एज्यूकेशन रिसर्च'', न्यूयार्क, ऐप्लटन सैन्चुरी क्राफ्टस (इंस)

9. गुड एण्ड हैट : (1952) ''मैथड्स इन सोशल रिसर्च'', न्यूयार्क, मैकग्रो हिल बुक कम्पनी

10. झा. प्रफुल्ल रंजन, बरनवाल दीपशिखा, झा. राजकिशोर : (1998) भाग 1 पीयूष पब्लिकेशन, दिल्ली

11. कार्टर वी. गुड. वार एवं स्कॉट ए. एम : (1959) ''मैथड्स ऑफ रिसर्च'', न्यूयार्क, एक्जीटन सचूंरी

12. कंटलिंगर एफ. एम. : (1964) फॉउन्डेशन ऑफ ब्हेवीयर रिसर्च (हाल्ट)

13. लाल रमन बिहारी : (1980) ''शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय सिद्धान्त'', रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ

14. लोहिया, लाला, बजरंग : (1959) ''आओं गांव चले'', राजस्थान पत्रिका प्रकाशन, जयपुर

16. पाठक पी. डी. : ''भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याऐं'', विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

17. पाण्डेय के.पी. : (2007) ''शैक्षिक अनुसंधान'', वि.वि प्रकाशन वारणासी

18. रमन जे.एस.इन : (1963) ''इन्ट्रोक्शन टू रिसर्च प्रोसिजरस इन एज्यूकेशन'', ब्रदर्स लि. न्यूयार्क

19. शर्मा चेतन कुमार : (2001) ''नट समुदाय मे सामाजिक परिवर्तन'', मानवशास्त्र विभाग राज. वि.वि.

20. शर्मा रतन लाल : (1981) ''माध्यमिक शिक्षा की समस्यायें'', कोटा

21. शर्मा वीरेन्द्र प्रकाश : (1998) ''रिसर्च'', मैडोलॉजी, पंचशील प्रकाशन, जयपुर

- Best Join W., Research In Education, U.S.A Prettier Hall…… Inc. Englewoodliffs, New York, 1959.
- Robert M.N., Traverse An Introducation, of Educational Research New York Macmillan & Com. Ltd, 1959.
- International Bursa of Education, The organization of Educational Researtch UNESCO Paris, Publication, 1960.
- Sharma OP, Scheduled castes, Population and citrates, karkripa publishers, New Delhi, 1990.
- Census of India, Govt. of India, New Delhi, 1991
- Singh K.S., The Scheduled castes, Oxford University Press, Delhi, 1993.
- Crooke, W., The Tribes and castes of the worth western India, Cosmo Pub. Delhi. 1995.
- Swarnkar. R.C Tradition of wism & AIDS in Rajasthan, Rajasthan Ecology, Culture and society, Karmal Enterprise, Delhi, 1999.
- Swarnkar. R.C Infrastructure Impact on the Nat community of Rajasthan, Special reference to Highway Project.
- Swarnkar. R.C., Nat: The Nomadic community Anthropological study in Village of Eastern Rajasthan.
-